लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

Preservation ... 18-9-92 Parliament Library

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 13, शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 1977/11 अग्रहायण 1899 (शक)

No. 13, *Friday, December* 2, 1977/*Agrahayana* 11, 1899 (*Saka*)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ईरान के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to Iranian Parliamentary Delegation	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	2–12
तारांकित प्रश्न संख्या 245 से 249	*Starred Questions Nos. 245 to 249	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	13–137
तारांकित प्रश्न संख्या 244 और 250 से 264	Starred Questions Nos. 244 and 250 to 264	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2303 से 2334, 2336 से 2345, 2347 से 2367, 2369 से 2370, 2372 से 2388, 2390 से 2437 और 2439 से 2502	Unstarred Questions Nos. 2303 to 2334, 2336 to 2345, 2347 to 2367, 2369 to 2370, 2372 to 2388, 2390 to 2437 and 2439 to 2502.	
महालेखापाल, इलाहाबाद के कार्यालय के श्री कृपाशंकर तथा अन्य कर्मचारियों की बहाली के संबंध में 29-7-1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5331 तथा श्री विद्याचरण शुक्ल की आय और धन का निर्धारण करने के बारे में 5-8-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6421 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण	Correcting Statements to USQ. No. 5331 dated 29-7-1977 *re.* reinstatement of Shri Kripa Shankar and other employees of the office of Accountant General, Allahabad; and USQ. No. 6421 dated 5-8-1977 *re.* Assessment of income and wealth of Shri Vidya Charan Shukla.	138
सभा पटल पर रखे गये पत्र—	Papers laid on the Table—	139–141
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha	142
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	*Re.* Question of Privilege	142
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—	142–154
(एक) जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा जारी किया गया लोक सुरक्षा अध्यादेश तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया	(i) Public Safety Ordinance issued by the Jammu and Kashmir Government and reaction of Government thereto	142–145 व 148–150

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—367 LSS (ND)/77

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(दो) केरल और पश्चिम बंगाल से सरकारी नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा विशेष जांच पड़ताल के बारे में गृह मंत्रालय का कथित परिपत्र	(ii) Home Ministry's reported Circular *re.* special verification of persons from Kerala and West Bengal Seeking Government employment	146–148 व150–154
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	154
तेरहवां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	
बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, मताधिकार आयु कम करने आदि के बारे में याचिका	Petition *re.* Unemployment, price-rise lowering of voting age, etc.	154
सभा का कार्य—	Business of the House—	155
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee—	156
काफी बोर्ड	Coffee Board	
लोकपाल विधेयक	Lokpal Bill	156
संयुक्त समिति में सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of Members to Joint Committee	
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	157
आंठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1977-78—विवरण प्रस्तुत किया जाना	Supplementary Demands for Grants (General) 1977-78—Statement presented	157
नियम 377 के अधीन मामलें—	Matters under rule 377—	157–158
(एक) सरसों के तेल में तोरिया के तेल की कथित मिलावट करने और उसे बहुत अधिक मुल्यों पर बेचे जाने और वनस्पति में हानिकारक तेलों और चर्बी की मिलावट करने का कथित समाचार	(i) Reported mixing of rapeseed oil in mustard oil and selling it at much higher price and adulteration of Vanaspati with injurious oils and fats	157
(दो) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि को वापस लौटाये जाने की मांग	(ii) Demand for withdrawal of restrictions on refund of deposits under compulsory Deposit Scheme	157
(तीन) चम्बल घाटी में डाकुओं का आतंक	(iii) Dacoit menace in the Chambal Valley	158
(चार) अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड के बंद किये जाने के परिणामस्वरूप 1700 से अधिक श्रमिकों का बेरोजगार होना	(iv) Closure of Ahmedabad Laxmi Cotton Mills Ltd. Resulting in unemployment to over 1,700 workers	158

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबधी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	158
आठवां प्रतिवेदन	Eighth Report	
पुरःस्थापित किये गये विधेयक—	Bills introduced—	159—163
(एक) श्री के० लक्कप्पा का मुनाफाखोरी निवारण व कीमत नियंत्रण विधेयक	(i) Profiteering Prevention and Price Control Bill by Shri K. Lakkappa	159
(दो) श्री हुकम चन्द कछवाय का व्यवसाय संघ (मान्यता) विधयक	(ii) Trade Unions (Recognition) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	159
(तीन) श्री हुकम चन्द कछवाय का घरेलू कर्मकार (सेवा की दशा) विधेयक	(iii) Domestic workers (Conditions of Service) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	159
(चार) संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 74 तथा 163 का संशोधन)	(iv) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 74 and 163) by Shri Hukam Chand Kachwai	160
(पांच) श्री हुकम चन्द कछवाय का भूख से मृत्यु (पूर्वाधानी उपाय और उत्तरदायित्व) विधेयक	(v) Starvation Deaths (Precautionary Measures and Responsibilities) Bill by Shri Hukam Chand Kachwai	160
(छः) चौधरी राम गोपाल सिंह का शराब (उत्पादन), (प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक	(vi) Liquor (Regulation of Production supply and Distribution) Bill by Chaudhary Ram Gopal Singh	160
(सात) डा० लक्ष्मीनारायण पांण्डेय का भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 17 आदि का संशोधन)	(vii) Indian Medicine Central Council (Amendment) Bill (Amendment of sections 2, 17, etc.) by Dr. Laxminarayan Pandeya	161
(आठ) श्री डी० डी० देसाई का जात-पात के उपदर्शन का प्रतिषेध विधेयक	(viii) Prohibition on Indication of Caste Bill by Shri D. D. Desai	161
(नौ) श्री यमुना प्रसाद शास्त्री का संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 23क 23ख तथा 23ग का अन्तः स्थापन)	(ix) Constitution (Amednment) Bill (Insertion of new articles 23A, 23B, and 23C) by Shri Y. P. Shastri	162
(दस) श्री रूप नाथ सिंह यादव का भारतीय सामाजिक विषमता उन्मूलन विधेयक	(x) Indian Social Disparities Abolition Bill by Shri Roop Nath Singh Yadav	162

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
(ग्यारह) श्री ओम प्रकाश त्यागी का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 80 का संशोधन)	(xi) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 80) by Shri Om Prakash Tyagi	162–163
(बारह) श्री निर्मल चंद जैन का सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (आदेश 17 का संशोधन)	(xii) Code of Civil Procedure (Amendment) Bill (Amendment of Order XVII) by Shri Nirmal Chandra Jain	163
(तेरह) श्री चित्त बसु का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)	(xiii) Constitution (Amendment) Bill (Amendment of article 352) by Shri Chitta Basu	163
श्री पी० के० देव का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन)—वापस लिया गया—	Constitution (Amendment) Bill (Amendment) of Article 124) by Shri P. K. Deo—Withdrawn—	164–173
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	164-172–173
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	164–165
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	165–166
श्री सोम नाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	166
श्री जी० एम० बनात वाला	Shri G. M. Banatwalla	166–167
चौधरी बलबीर सिंह	Chowdhry Balbir Singh	167–168
श्री निर्मल चंद जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	168
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	168–172
जी० टी० एक्सप्रैस रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य—	Statement *re.* Reported Accident to G. T. Express—	171
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma	171
श्री समर गुह का नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक —	National Holiday on Netaji Subhash Bose's Birthday Bill by Shri Samar Guha—	173–174
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	173–174
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	174
नौवां प्रतिवेदन	Ninth Report	
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion—	174–176
वनों का विकास	Development of Forests	
श्री युवराज	Shri Yuvraj	174–175
प्रो० पी० जी० मावलंकर	Prof. P. G. Mavalankar	175
श्री गिरधर गोमंगो	Shri Giridhar Gomango	176
श्री० आर० एल० पी० वर्मा	Shri R. L. P. Verma	176
श्री सुरजीत सिंह बरनाला	Shri Surjit Singh Barnala	176

लोक सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 2 दिसम्बर, 1977/11 अग्रहायण, 1899 (शक)

Friday, December, 2 1977/Agrahayana 11, 1899 (Saka)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

ईरान के संसदीय प्रतिनिधी मंडल का स्वागत
WELCOME TO IRANIAN PARLIAMENTARY DELEGATION

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी ओर से और इस सभा के सम्मानित सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हुए अपने माननीय अतिथियों, ईरानी सीनेट के अध्यक्ष श्री जफ़र शरीफ इमामी, श्रीमती शरीफ इमामी और ईरानी संसदीय प्रतिनिधि मंडल के माननीय सदस्यों, का स्वागत करने में बहुत प्रसन्नता हो रही है। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों के नाम हैं :—

1. श्री मोहम्मद रजा जलीली नैनी
2. डा० नसरुल्लाह मोज़देही
3. श्री ईसा तदीयोन
4. नूर अलि शबाबी
5. श्रीमती मोतालेह नैनी ताब्बा
6. श्री मुस्तफा जाफ़ेरी
7. श्री अली रजा शफी
8. श्री नसर खुदा बंदेह

प्रतिनिधिमंडल आज प्रातः भारत आया है और 9 दिसम्बर तक भारत में रहेगा और इस समय विशेष कक्ष में बैठा है। हमारी कामना है कि हमारे देश में उनकी यात्रा सुखद और फलदायक हो। हम उनके माध्यमसे ईरान के महामहिम शहंशाह आर्य मिहिर, संसद् और जनता के प्रति अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Excise Duty on Agricultural Implements, Fertilisers and Insecticides

*245. **Shri Laxmi Narain Nayak:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether agricultural implements, fertilisers and insecticides have become costly because of hike in excise duty as a result of which farmers find it difficult to purchase latest agricultural implements and inputs which in turn affect production and if so, whether Government purpose to withdraw excise duty from these items so as to increase agricultural production; and

(b) if so, whether an announcement to this effect will be made by the end of December, 1977 ?

Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) and (b) : There has been no increase in the excise duty on fertilisers since 17-3-72. There is no excise duty on agricultural implements except those which are power-operated or are designed for use with tractors or power tillers. In respect of dutiable agricultural implements and insecticides, there was only a marginal increase of 1% in the rate of duty with effect from 18-6-77. The presumption that these goods have become costly due to a hike in excise duty is, therefore, not correct. Government are not considering at present the withdrawal of excise duty on these goods.

Government are fully aware of the need to show due consideration to the problems and requirements of the agricultural sector. To this end, exemptions from duty have been given wherever such exemptions were called for. For example, in the recent past Government have on 3-9-1977 exempted chaff-cutter knives from the duty of 10% leviable thereon. The duty on triple superphosphate fertiliser has been reduced from 15% to 7½% with effect from the 1st December, 1977. It has also been decided to exempt mini-tractors upto 12 HP from the entire duty of 15%.

Shri Laxmi Narain Yadav: Janta Party has announced that it will be their endeavour to uplift the villages. May I know the reasons for increase of 1 per cent. in excise duty on agricultural implements and insecticides w.e.f. 18th June, 1977 and whether it would be withdrawn in accordance of their declared policy ? Will he also withdraw the duty on irrigation from wells and drains ?

Shri Satish Agarwal: The Hon. Minister had answered all the points raised about the duty levied in June, 1977 at that time but the concession given on triple super phosphate thereafter is going to result in a revenue loss of Rs. 1.30 crores. I think that exemptions given are sufficient. The ex-factory price of urea fertiliser has been reduced from Rs. 1245 to Rs. 1158 by the concerned Ministry. We had already reduced on power-driven pumps from 10 per cent. to 5 per cent. in the budget. Small manufacturers having a manufacture less than Rs. 30 lakhs have also been granted exemption. The persons manufacturing implements in villages without the help of power have been totally exempted. In other cases 1 per cent. increase is not going to make a difference and we do not have a proposal to reduce it.

श्री के० लकप्पा : दक्षिण के राज्यों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इतना अधिक है कि किसान खेती का आधुनिकीकरण नहीं कर सकता है। इसके कारण लोग खेती छोड़कर अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं। गत दस महीनों में किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया गया है। जब तक आप उत्पादन शुल्क और अन्य कर नहीं हटाते हैं, तब तक किसान उत्पादन बढ़ाने के लिये खेती में प्रयोग आने वाली चीजों पर कैसे अधिक खर्च कर सकता है। गत दस महीनों में कृषि उत्पादन काफी कम हो गया है। क्या मंत्रालय कृषि उपयोगी वस्तुओं कीटनाशक दवाइयों, उर्वरकों पर से उत्पादन शुल्क पूर्ण रूप से समाप्त करने पर विचार करेगी ? चूंकि खेती में बहुत अधिक लोग लगे हुए हैं क्या सरकार एक नई नीति बनायेगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : उर्वरकों पर शुल्क इस सरकार ने नहीं लगाया है; यह 1969-70 में कांग्रेस सरकार ने लगाया था। 1972-73 में इसे 10 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत कर दिया गया था। सरकार किसानों के हित में जो भी ठीक समझेगी वह उचित समय पर उस पर विचार करेगी।

Dr. Bapu Kaldate : It has been stated in the economic policy statement of the Janta Party that the excise duty would be abolished in three years. May I know the steps being taken by Government in this direction?

Shri Satish Agarwal : Government are yet to take a decision on the resolution of the Janta Party and as soon as a decision is taken by Government it will be announced in the House.

वित्त मंत्री (श्री एम० एम० पटेल) : सरकार जनता पार्टी के आर्थिक नीति वक्तव्य में किये गये विभिन्न प्रस्तावों पर, जिनमें उर्वरकों पर शुल्क में कटौती सम्बन्धी यह बात भी है, पूर्ण रूप से विचार करेगी। मेरे विचार में वक्तव्य में कहा गया है कि यदि इसे समाप्त किया जाना है, तो धीरे-धीरे कुछ समय में ऐसा किया जायेगा। हमारा जो भी निर्णय होगा, वह समय पर सभा में घोषित किया जायेगा।

श्री वी० अरूणाचलम (तमिलनाडु) : सरकार ने तूफानग्रस्त क्षेत्रो के किसानो को उर्वरकों और कीट नाशक दवाइयों के मूल्यों में कुछ रियायत दी है। क्या यह सरकार भी कम से कम इस वर्ष के लिये तूफानग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के लिये उर्वरकों और कीटनाशक दवाइयों के मूल्यों में लगभग 25 प्रतिशत की छूट देगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : मूल्य वित्त मंत्रालय द्वारा नियत नहीं किये जा रहे हैं। दैवी प्रकोप से पीड़ित लोगों को क्या सहायता दी जाये, इस पर विचार किया जायेगा।

Dr. Ranjit Singh : The Hon. Finance Minister said that the economic policy statement of the Janta Party would be considered in due course of time. May I know when a decision is likely to be taken?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खेद है कि मैं इस समय ठीक तिथि नहीं दे सकता। लेकिन मैं उन्हे आश्वास्त कर सकता हूं कि हम यथाशीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

बंगला देश को नमक सप्लाई न किये जाने के कारण राज्य व्यापार निगम की हुई हानि

*246. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने बंगलादेश को नमक सप्लाई करने के लिए बंगलादेश के साथ समझौता किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य व्यापार निगम ने नमक सप्लाई नहीं किया और प्राइवेट फर्मों को नमक सप्लाई करने के लिये कह दिया ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और स्वयं नमक सप्लाई न करने के कारण राज्य व्यापार निगम को कितनी हानि हुई है, और

(घ) सही सही कितनी मात्रा में नमक सप्लाई किया जाना था और अब तक कितना सप्लाई किया जा चुका है और शेष नमक न सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : राज्य व्यापार निगम ने बंगलादेश की सरकार के साथ, उप देश को 1977-78 के दौरान 50,000 मे० टन नमक सप्लाई करने के लिये 25-7-1977 को एक संविदा की थी । चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में गिरावट की वजह से निर्यात के लिये देशी माल की अप्राप्यता और बाद में सरकार द्वारा नमक के निर्यात पर रोक लगाने के कारण राज्य व्यापार निगम कोई सप्लाई न कर सका और उसने संविदा में अनिवार्य बाध्यता खण्ड की दुहाई दी । अतः किसी प्राइवेट पार्टी में उसकी ओर से नमक सप्लाई करने के लिये कहने का अथवा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का नुकसान उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

Shri M. A. Hannan Alhaj : May I know why S.T.C. entered into a contract for 7 to 12 dollers and not for 13 dollers ? Does S.T.C. earn a commission of 1 per cent. on exports by ISMA through it and 5 per cent on exports by parties which are not members of ISMA? Is it a fact that there is a restriction of one thousand tons on non-members where there is no restriction on ISMA?

Shri Arif Beg : Normally S.T.C. exports goods itself and where exports are made by other parties through S.T.C., it receives a five per cent. as commission.

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Minister stated that the supplies could not made due to fall in production. Is it a fact that salt producers are facing serious difficulties due to heavy duty. Have Government considered the memoranda received in this behalf? How is it that private exporters are able to earn profit on their exports whereas Government suffer losses on exports by S.T.C.?

Shri Arif Beg : I may inform the Hon. member that there is no excise duty on salt.

Shri Hukam Chand Kachwai : Can you deny that you have taxed salt in other forms ?

Minister of Commerce and Civil Supplies (Shri Mohan Dharia) : Government has levied no excise duty on salt although there is a nominal development cess. The production of salt depends on rains. In the event of abnormal rains, the production of salt declines and it goes up if the rain is not much. Salt is washed away with the rain. It is not correct to say that S.T.C. suffers a loss on exports. It also earn profit. But it is the policy of S.T.C. to make essential commodities available easily in the country at fair prices. However, S.T.C. has to bear some loss in the process.

श्री सी० एन० विश्वनाथन : क्या सरकार ने नमक की उपलब्धता में सुधार करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये ह ? हम तमिलनाड में तूतिकोरिन, कोवालम तथा अन्य क्षेत्रों में काफी नमक तैयार कर रहे है परन्तु राज्य व्यापार निगम उसे खरिदने का इच्छुक नहीं हैं नमक उत्पादन के लिये बड़े-बड़े कारखानों की जरूरत नहीं होती है—छोटे व्यक्ति तटवर्ती क्षेत्र में नमक बना सकते हैं जैसाकि तमिलनाडु में किया जा रहा है । श्रीलंका, मलयेशिया और सिगांपुर की सरकारे भारत से नमक खरीदना चाहती हैं लेकिन तमिलनाडु में राज्य व्यापार निगम ठीक तरह काम नहीं कर रहा है और निर्यात के लिये तमिलनाडु में नमक खरीदने के लिये कोई कदम नहीं उठा रहा है । सरकार ने नमक का उत्पादन बढाने की बजाय अनावश्यक रूप से नमक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । इस बारे में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मोहन धारिया : पिछले वर्ष नमक का उत्पादन लगभग 60 लाख टन होने की आशा की परन्तु दुर्भाग्य से उत्पादन 45 लाख टन ही हुआ। यही कठिनाई थी। पश्चिमबंगाल के मुख्य मंत्रीने शिकायत की थी कि नमक की कीमतें बढ़ रही हैं और इस प्रभा में हम इस सभा में धोषणा कर चुके हैं कि हम निर्यात तो करना चाहते हैं परन्तु देश में उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाकर नही जो हमें इस बात को ध्यान में रखकर निर्णय करना होता है यदि हमारे पास फालतू नमक होगा, तो मुझे उसे निर्यात करने में प्रसन्नता ही होगी ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : मंत्री महोदय ने पश्चिम बंगाल में नमक की कीमतें बढने की बात कहीं लेकिन तामिलनाडु के बारे में क्या स्थिति है ? हम टनों नमक पैदा कर रहे हे ?

श्री मोहन धारिया : मेरे प्रिय मित्र स्वीकार करेंगे कि तमिलनाडु भारत का अंग है । जब मैंने 45 लाख मोट्रिक टन कहा था, यह सारे देश के उत्पादन के आंकड़े के और इसी तरह मेरा अभिप्राय सारे देश के उपभोक्ताओं से था । इसलिये कुछ भागों में उत्पादन ज्यादा हो सकता है और कुछ भागों में कम लेकिन हमें तो समूचे देश को देखना है । लेकिन अपने मित्र को मैं आश्वासन दे सकता हूं कि यदि वहां नमक इतना अधिक इकट्ठा हो गया हो कि उत्पादन किसी भी कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं, तो वे मुझे बतायें मैं तुरन्त प्रबंध करूंगा ।

श्री वयालार रवि : हमारा नमक का व्यापार केवल बंगला देश से ही है । क्या मंत्री महोदय इस नीति का पुनर्विलोकन करेंगे क्योकि बंगला देश में गैर-सरकारी व्यापार बढ़ोतरी कर रहा है और वहां आयात-निर्यात गैरसरकारी व्यापारियों के माध्यम से ही होता है । क्या आप समस्त व्यापार गैर-सरकारी व्यापारियों के माध्यम से करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहन धारिया : जहां तक नमक का सम्बन्ध है कि यह राज्य व्यापार निगम और गैर-सरकारी व्यापारियों दोनों के जरिये है । 2-9-1977 तक 2.36 लाख टन का निर्यात पूर्णत: गैर-सरकारी व्यापारियो के माध्यम से हुआ था और शेष ठेके 3.73 लाख टन के लिये थे । हमें देश के हित को ध्यान में रखकर निर्णय करना होता है, यदि हम महसूस करते हैं कि किसी वस्तु का निर्यात गैर-सरकारी माध्यम से करने में देश का हित है, तो हम ऐसा करने में बिल्कुल नहीं हिचकेंगे ।

Shri Ram Kanwar Berwa : Mr. Speaker, Sir, Government could to fulfill their commitment of supplies of salt to Bangladesh due to non-availability caused by low production. The Sambhar Lake lies in my constituency and

3-4 thousand workers there have been rendered jobless. May I know from the hon. minister whether he has any consultations with the ministry of Industry in this regard and if so, the results thereof?

Shri Mohan Dharia : We are in constant touch with the ministry of Industry and we consult them about export and import. The ministry of Industry is also trying to increase the production of salt.

होटलों को 'स्टार' श्रेणी में रखने का आधार

*247. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटलों को 'स्टार' श्रेणी में रखने का इस समय क्या आधार है ;

(ख) देश में विभिन्न 'स्टार' श्रेणियों के कितने और कौन-कौन से होटल हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार होटलों को विभिन्न 'स्टार' श्रेणियो में रखने के वर्तमान मानदंड को बदलने का है और यदि हां, तो तत्सम्बंधी पूरा ब्यौरा क्या है और अब तक क्या कार्य वाही की गई है ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) As the criteria followed for classification of hotels till four years ago, has by now become out dated, it is presently under review.

(b) There are at present 280 hotels on the approved list of the Department of Tourism out of which 152 hotels have been classified in different categories. A statement giving the category and names of the classified hotels (152) is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT/1243/77.]**

(c) It is proposed to continue the classification of hotels on the existing system of star categories. However, modifications are contemplated in the criteria for different star categories. The review of standards is being done in consultation with the industry.

श्री मनोरंजन भक्त : निम्न आय वाले वर्गों के लोगों के लिए देश भर में होटलों में आवास की बहुत ही कम व्यवस्था है। हम सदा 5 स्टार, 3 स्टार और स्टार प्रणाली पर आधारित अन्य होटल ही स्थापित करते हैं। सरकार का भिन्न भिन्न स्थानों पर निम्म आयवाले वर्गों के लोगों के लिए आवास की क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

Shri Purushottam Kaushik : This is under active consideration of the Government. We propose to set up Janata hotels in big cities like Delhi, Bombay, Madras and Calcutta to achieve this end. It will, however, depend on the funds to be made available by the Planning Commission for this purpose. A proposal is, however, under active consideration of Government to set up a Janata hotel comprising of 1250 rooms in Delhi as a pilot project. It is hoped that the construction work will be started soon.

श्री मनोरंजन भक्त : अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में, जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, तथा अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां मुख्य भूमि से और कुछ मामलों में विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, निम्न आय वाले वर्ग के लोगों के लिए आवास की क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

Shri Purushottam Kaushik: So far as central sector is concerned, I have already referred to the efforts being made by us. As regards the question of setting up of cheap hotels in States is concerned, we have written to the State Governments to take necessary steps in this regard. A proposal to give assistance to the States for this purpose is also under our consideration. Efforts will also be made to get loans made available to them through financial institutions. Even if the private sector comes forward to set up cheap hotels, the question of giving necessary assistance and extending facilities to them on priority basis will also be considered.

श्री मनोरंजन भक्त : संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है ?

Shri Purushottam Kaushik : This work has been taken up by this Government. (*interruptions*) The hon. Members, perhaps, want to interrupt me. But I want to state that this work was not taken up on a large scale before. Some tourist lodges and youth hostels were, however, set up and also efforts were made to make cheap accommodation available to the young tourists and common people in dormitories. But it was not adequate. We are now trying to make arrangements for cheap accommodation at a very large scale.

So far as Union Territories are concerned, it depends on the financial position as to how far we will be able to make cheap accommodation available there. But our effort is to see that cheap accommodation is made available to less affluent class on a scale larger than that of which is available for affluent class as the number of the former class is more than that of the latter one.

Shri Ramji Lal Suman : Whether Government propose to set up cheap hotels at Agra (which is not only an inland but an international tourist centre), Fatehpur Sikari and such other historical places where there is shortage of accommodation; and if it is not possible for Government to do so for want of funds, whether Government propose to make cheap land available to private people who are ready to come forward to set up cheap hotels there and whether Government also propose to get them loan from financial institutions at a lower rate of interest for his purpose?

Shri Purushottam Kaushik: We will extend every possible help to those people of private industry, who come forward to set up cheap hotels, in the matter of getting loans from Government institutions. No definite assurance, however, can be given about setting up of a hotel at a particular place. Depending on the funds made available, we will definitely make efforts to make cheap accommodation available on a priority basis.

Shri Ram Dhari Shastri: Are Government aware that Rs. 35 are charged per day as rent by the only hotel there at Kushinagar in the district of Deoria, the salvation place of Lord Buddha and where buddhists from all over the world come and if so, whether Government will make cheap accommodation available there keeping in view the exhorbitant rates charged by the existing hotel there?

Shri Purushottam Kaushik: So far as tourist centres are concerned the Government will definitely pay special attention towards them. A Master Plan is being prepared. Efforts will be made to make cheap accommodation available as soon as possible.

श्री के० राममूर्ति : यह प्रश्न स्टार होटलों के बारे में है। जनता सरकार ने घोषणा की है कि वह अगले चार पांच वर्षों में देशमे नशा बन्दी लागू करना चाहती है। इस के साथ साथ किसी होटल को स्टार देते समय मधुशाला की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त अंक दिये जाते हैं। क्या सरकार उन होटलों को, जहां मधुशाला की व्यवस्था होती है, अतिरिक्त अंक देने की इस शर्त को समाप्त करेगी ?

Shri Purushottam Kaushik : It depends on the prohibition policy of the Government which is being formulated. We will have to act in accordance with that policy.

श्री के० राममूर्ति : एक और तो सरकार मद्य निषेध नीति को लागू करना चाहती है और दूसरी ओर उसने होटलों में मधुशाला की व्यवस्था होने के आधार पर उन्हें स्टार देने की शर्त लगा रखी है। इस की क्या तुक है ?

Shri Purushottam Kaushik : No special classification is made on the basis of a bar attached to a hotel.

श्री यशवंतराव चव्हाण : यह प्रश्न वास्तव में होटलों के बारे में नहीं है। मैंने देखा है कि स्कूलों और कालेजों के बड़ी संख्या में विद्यार्थी विशेष कर सत्रावधि के दौरान या अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भारत की राजधानी को देखने आते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं कि उन्हें रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही ठहरना पड़ता है क्योंकि उन के लिए कोई और स्थान नहीं होता है। क्या मंत्रीजी दिल्ली की राजधानी नगर में एक स्टार या दो स्टार होटलों या धर्मशालाओं की नहीं परन्तु ऐसी शयनशालाओं की व्यवस्था करेंगे जहां विद्यार्थी दो, तीन दिन तक रह सकें।

Shri Purushottam Kaushik : I am glad that the Hon. Member has given this suggestion in this regard. It is definitely under our consideration. There are youth hostels where arrangements are made for the stay of youth tourists. There will be a tariff of Rs. 15/- for those youth who come in groups. Besides, there are camping cites which can be used for tourists. But as I have already stated, the Government have already realised the importance of making arrangements for cheap accommodation to further the cause of youth movement and I assure the hon. Member that it will be done as soon as possible.

अखिल भारतीय डाक तार एवं केन्द्रीय सरकारी पेंशनर संघ का ज्ञापन

*248. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय डाक तथा तार एवं अन्य केन्द्रीय सरकारी पेंशनर संघों से 1/8 कटौती के बजाय अदा की जाने वाली मृत्यू-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की राशि की पूरी वसूली के बाद पेंशन को पुनः 3/8 के स्थान पर 4/8 स्तर तक करने के बारे में कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल): (क) जी, हां।

(ख) 1950 में, पहले वेतन आयोग की सिफारिश पर पेंशन की परिलब्धियों के 4/8 भाग से घटाकर 3/8 करके मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्त उपदान की व्यवस्था की गई इस प्रकार घटाई गई राशि उसके जीवनांकिक समतुल्य के आधार पर सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को एक मुश्त

में अदा की गई। किन्तु, उस समय वेतन आयोग ने इस जीवनांकिक समतुल्य का सुझाव केवल मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की मात्रा की गणना करने के लिए किया था। उस समय से, मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान की मात्रा को पेंशन की राशि में कोई कमी किए बिना ही कई अवसरों पर बढ़ाया गया है। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिश पर, पशन की मान में और आगे घटौती किए बिना ही, मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति की गणना की दर को एक महीने की परिलब्धियोंके 9/20 भाग से बढ़ा कर 10/20 कर दिया गया था। उपदान की अधिकतम राशि को, 15 महीने के वेतन की सीमा के अधीन रहते हुए, 22,500/- रुपए से बढ़ाकर 24,000/- रुपए कर दिया गया था। पुनः तीसरे वेतन आयोग ने अधिकतम उपदान को 15 महीने के वेतन से बढ़ाकर $16\frac{1}{2}$ महीने का वेतन कर दिया और 24,000/- रुपए की समग्र सीमा को बढ़ाकर 30,000/- रुपए कर दिया। इस संबंध में नवीनतम स्थिति इस प्रकार है कि सेवानिवृत्ति पर सरकारी कर्मचारी को देय अधिकतम पेंशन 10 महीने की परिलब्धियों के औसत का $\frac{33}{80}$ भाग है और अधिकतम मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान 16 $\frac{1}{2}$ महीनोंकी परिलब्धियां हैं किन्तु यह अधिक से अधिक 30,000/- रुपए है। यह भी निर्णय किया गया है कि मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान में से 2 महीने के वेतन को घटौती को समाप्त कर दिया जाए जोकि अब तक कर्मचारी की परिवार पेंशन के प्रति अंशदान के रूप में की जाती थी।

अतः इससे स्पष्ट है कि मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान पेंशन के किसी भाग का संराशिकृत मूल्य नहीं है और यह केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पर दिए जाने वाले लाभों की योजना का एक भाग है। इस लिए पशन के 1/8 भाग को फिर से देने संबंधी सुझाव पर सहमत होना सम्भव नहीं है। संघ को भी तद्नुसार सूचित कर दिया गया है।

श्री पार्वती कृष्णन् : क्या यह सच नहीं है कि मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान योजना के अधीन पेंशन में अनिवार्य रूप से कमी कर दी जाती है और इस के आधार पर मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति उपदान को पूरी वसूली हो जाने के पश्चात् पेंशन 40/80 की मल दर पर ही मिलनी चाहिये ! अतः सरकार उन पशन पाने वालों की, जो अपने बुढ़ापे के समय कतिपय आयु के पश्चात जीवित रहते है, पेशन 30/80 की बजाये 40/80 की दर से दे कर उनकी सहायता क्यों नहीं करना चाहती है ? वास्तव में सरकार उनसे रकम वसूल कर रही है।

श्री एच० एम० पटेल : इन मामलों पर तीन वेतन आयोग विचार कर चुके हैं। हर बार उन्होंने उपदान में वृद्धि की है। सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में यदि यह सुझाव दिया जाता है कि यह पेंशन के एक भाग के संराशिकरण के रूप में है...

श्री पार्वती कृष्णन् : यह अनिवार्य है।

श्री एच० एम० पटेल : इस में कोई अनिवार्यता नहीं है। जब लोग अपनी पेंशन का संराशिकर कर लेते हैं, और बाद में यदि वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तो वे यह नहीं कह सकते कि उस संराशिकरण को अब रद्द कर दिया जाये और उन्हें पूरी पेंशन मिलने लगे। यह ठीक नहीं है और इसी-लिये हमने इस विशेष प्रकार की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया है। समूची योजना संराशिकरण के प्रश्न के बारे में ही नहीं है। इस प्रश्न पर, कि उपदान की कितनी राशि होनी चाहिये, वेतन आयोगों ने एक मीमांसात्मक आधार पर विचार किया था और उनकी सिफारिश पर जहां उपदान की राशि बढ़ाई जाती रही है वहां पेंशन में कोई कमी नहीं की जाती रही है। सरकार इस प्रश्न पर विचार करती रही है कि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर क्या क्या लाभ पहुंचाया जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : वह सुविदित ही है कि उपदान का अर्थ पेंशन नहीं है। उपदान अधिनियम के अनुसार उपदान सेवा के लिये एक मुफ्त इनाम है। ऐसी स्थिति में मंत्री यह कैसे कहते हैं कि आप उपदान तो लीजिये परन्तु कतिपय वर्षों के पश्चात् जीवित मत रहिये और भूखों मरिये ? केवल कुछ ही पेंशनभोगियों की बात है। उन की ओर पूरा ध्यान दिया जानी चाहिये और उन्हे पर्याप्त प्रतिकर और पेंशन दी जानी चाहिये। सरकार के लिये यह एक अनुचित और अनैतिक बात है कि वह उन लोगों से, जो अधिक समय जीवित रहते हैं, धन वसूल करे।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने इन मामलों के बारे में यह कह कर अपना सामान्य रवैया ही अपनाया है कि यह एक अनैतिक बात है और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पेंशनभोगी भूखों मर रहे हैं। इस प्रकार की अतिशयोक्ति का कोई तर्क नहीं है। जैसाकि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, सरकार इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से विचार करती है कि सेवानिवृत्ति लाभ क्या होना चाहिये और इस मामले में इस में इस प्रकार परिवर्तन किया गया है।

श्री आर० मोहनरंगम : क्या यह सही है कि डाक एवं तार विभाग के हजारों कर्मचारी अपने अपने वेतनमानों में अधिकतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें वेतन वृध्दि से वंचित रखा जा रहा है। 25 वर्ष की सेवा करने के पश्चात् भी उनको तरक्की नहीं मिली है। इस के अतिरिक्त उन्हें कोई और भुगतान भी नहीं किया जाता है। इस के क्या कारण हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : ऐसा लगता है कि वे पेंशन योजना में संशोधन करना चाहते हैं और यदि ऐसा है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु मैं इतना कह दूं कि वर्तमान रूप में पेंशन योजना ठीक ही है और इसे वेतन आयोग ने भी स्वीकार किया है।

श्री आर० मोहनरंगम : मैं पेंशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। मैं वेतन मानों के बारे में पूछ रहा हूं...

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० पी० जो० मावलंकर : वित्त मंत्री जी इस से सहमत होंगे कि हम एक कल्याण राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि होने के कारण लोगों की सामान्य आयु बढ़ती जा रही है। इसलिये क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं हो जाता कि वह पेंशन और उपदान के बारे में पुराने और कड़े नियमों और शर्तों में कुछ ढील दे जिससे ये इस देश में जीवन की नई उमंगों के अनुरूप बन जाये ? दूसरे, क्या वे इससे भी सहमत हैं कि एक ओर तो सरकार नियमित सरकारी कर्मचारियों का वेतन और महंगाई भत्ता बढाती जा रही है और दूसरी ओर पेंशन-भोगियों की पेंशन में कोई वृद्धि नहीं कर रही है ? इस सम्बन्ध में तीसरा आयोग भी कोई सिफारिश नहीं करते हैं।

बंगलौर, पूना, अहमदाबाद और बम्बई में बड़ी संख्या में पेंशन भोगी हैं और उनमें से कुछ तो 80 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं। वे समाचारपत्रों के लिये लेख और सम्पादकों के नाम पत्र आदि लिख कर एक उपयोगी सेवा कर रहे हैं। वे एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। अतः लोक तंत्र के हित में भी यह है कि सरकार इन अनुभवी व्यक्तियों की इस सेवा को ध्यान में रखते हुए उन्हे पर्याप्त पेंशन दे जिससे वे सम्मानपूर्वक जीवन बिता सकें। सरकार का इस सम्बन्ध में क्या रवैया है ?

श्री एच० एम पटेल : माननीय सदस्य ने पेंशनभोगियों के समर्थन में एक छोटा सा भाषण ही दे डाला है। एक पेंशन भोगी होने के नाते, मुझे खुशी है कि उन्होंने पेंशन भोगियों के कल्याण में रुची ली है। परंतु मैं उन को यह बता दूं कि हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं और संराशिकरण सारणी में निरंतर पुनरीक्षण होता रहता है। जहां तक महंगाई भत्ते का सम्बन्ध है, कुछ पेंशन भोगियों को जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। यह तो ठीक है कि हमारा उद्देश्य एक कल्याण राज्य की स्थापना करना है परन्तु हमें यह भी तो देखना है कि ऐसा करने के लिये हमारे पास साधन भी हैं या नहीं। हमें तो उतने ही पांव पसारने पड़ेंगे जितनी हमारी सौड़ है। कल्याण संबंधी कोई कार्य करने से पूर्व हमें अपने देश के साधनों का भी ध्यान रखना होगा। मेरे विचार में इसे नहीं भुलाया जा सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय साधनों की बात कर रहे हैं। इस समय कर की बकाया रकम कितनी है जिसे अभी वसूल नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर नहीं दिया जाता है

श्री एच० एम० पटेल : मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा।

इंजीनियरी के सामान के लिये निर्यात लक्ष्य

*249. **श्री चित्त बसु :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद ने पूर्वी क्षेत्र के लिये इंजीनियरी के सामाप्त के निर्यात लक्ष्य वर्ष 1977-78 के लिये 120 करोड़ रुपए के तथा 1978-79 के लिये 140 करोड़ रुपए के निश्चित किये हैं;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये क्षमता उपयोग की दर में वृद्धि करना आवश्यक समझती है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में तीव्र वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद की पूर्व क्षेत्रीय समिति ने 1977-78 के लिए 150 करोड़ रु० तथा 1978-79 के लिए 175 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) क्षमता की प्राप्तता की समस्या लक्ष्यों की पूर्ति के मार्ग में बाधक नहीं है। परन्तु क्षमता के बेहतर उपयोग से फर्मों की अर्थ-क्षमता सुधरेगी और इस तरह वे अधिक निर्यात प्रयत्न कर सकेंगी।

(ग) क्षमता का बेहतर उपयोग बिजली की प्राप्यता, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की प्राप्यता, अच्छे श्रम-सम्बन्ध, कारगर प्रबन्धकीय कार्य आदि जैसी बातों पर निर्भर है। इन मामलों से सम्बन्धित सरकारी मंत्रालय सुधार लाने के लिए निरन्तर उपाय कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मेरे विचार में माननीय मंत्री को इस बारे में काफी ज्ञान है। क्या उन्हें इस बात का पता है कि 10 वर्ष पूर्व इंजीनियरी के सामान का जितना निर्याति होता था उसका 66 प्रतिशत निर्यात देश के समूचे पूर्वी प्रदेश से होता था परन्तु यह कम हो कर 1975-76 में केवल 15 प्रतिशत रह गया है ?

क्या उन्हें यह भी पता है कि देश में पिछले 10 वर्षों में इंजीनियरी के सामान के निर्यात में 14 गुणावृद्धि हुई है जबकि पूर्वी प्रदेशों से निर्यात में केवल 3 गुणा वृद्धि हुई है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में सभी कारखानों के बारे में अन्य बातें भी बताना चाहता हूं। इन कारखानों द्वारा निर्यात 23.5 प्रतिशत से कम हो कर 18.9 प्रतिशत रह गया है। इनकी उत्पादन पूंजी 10 वर्ष पूर्व 30 प्रतिशत थी। अब यह कम हो कर 22.2 प्रतिशत रह गई है। जहां तक रोजगार संभावना का सम्बन्ध है, यह 10 वर्ष पूर्व 33.2 प्रतिशत थी और अब कम हो कर 19.6 प्रतिशत रह गई है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समूचे देश के हित में क्या ठोस और विशिष्ट कार्यवाही की है या करने का विचार है ? म यह भी जानना चाहूंगा कि इंजीनियरी उद्योग को पूर्णरूपेण सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

श्री आरिफ बेग : यह सही है कि उस क्षेत्र में कई समस्याओं के कारण उत्पादन में कमी हुई है। इन दशाओं को सुधारने के लिये सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पिछले दो वर्ष से इंजीनियरी उद्योग तथा अन्य उद्योगों को मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। उदाहणार्थ, कपडा उद्योग की यही स्थिति है। लोगों की क्रय शक्ति में कमी और पांच वर्षीय योजना में सापेक्षतया कम उत्पादन इसके लिय जिम्मेदार है...

सभापति महोदय : यह प्रश्न का उत्तर नहीं है।

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : यह प्रशंसनीय है कि माननीय सदस्य ने इस बारे में चिंता व्यक्त की है और मैं दस वर्षों के राजनीतिक इतिहास का वर्णन नहीं करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल तथा पूर्वी प्रदेश में उत्पादन में कमी क्यों हो गई हैं क्योंकि श्री चित्त बसु मेरे से अधिक अच्छी तरह इसके कारणों से बिदित हैं। (व्यवधान) कई समस्याएं हैं। औद्योगिक विकास के लिय अपेक्षित बिजली, संचार साधनों तथा अन्य चीजों की समस्या है। दूसरे श्रमिक संबंधों की समस्या है। तीसरे सभी क्षेत्रों में उचित प्रबन्ध की समस्या है। इस मामले में हम अचानक पिछड़ गए। परन्तु पिछले दो वर्षों में निर्यात में वृद्धि हुई है इससे स्पष्ट है कि इस दिशा में अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इसी लिये मूल उत्तर में बताया गया है कि पिछले वर्ष 66 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में इस वर्ष 150 करोड़ रुपए का निर्यात करने की योजना है। अगले वर्ष के लिये यह 175 करोड़ रुपए है। इसी बात से कि अतिरिक्त निर्यात की योजना है, स्पष्ट है कि सरकार ने कुछ कार्यवाही की है जिससे उत्पादन बढने लगा है। सरकार अब सुनिश्चित करेगी कि पूर्वी प्रदेश को कोई हानि न उठानी पड़े।

श्री चित्त बसु : यहां पर विशेषकर हावड़ा और अन्य स्थानों पर छोटे छोटे इंजीनियरी उद्योग हैं। इनकी दशा को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री मोहन धारिया : नई सरकार की यह नीति है कि छोटे छोटे कारखानों की हर सम्भव प्रकार से रक्षा की जाये। मेरे साथी, श्री जार्ज फर्नांडीज इस सभा में यह बता चुके हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है। निर्यातकर्ताओं की संख्या जो पहले 177 थी अब बढकर 290 हो गई है और इन में से अधिकांश छोटे पैमाने के उद्योगों से संबंधित हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यों को विशेष वित्तीय अनुदान

*244. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से विशेष वित्तीय अनदान के लिए अनुरोध कियां है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा उन्होने कितनी धनराशि की मांग की है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भी अपनी कुछ शेष समस्याएं हल करने के लिए एसे अनुदान का अनुरोध किया है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने वार्षिक आयोजना 1977-78 के लिए संसाधनों में अन्तराल के एक अंश को पूरा करने के लिए 49 करोड़ रुपये क लिए अनुरोध किया था।

(घ) अधिकांश मामलों में, राज्य सरकारो ने संसाधनों में अन्तरालों को पूरा करने अथवा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण आवश्यक हुए व्यय को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है। संसाधनों में ये अन्तराल, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में कमी हो जाने और करों में रियायत, कर्मचारियों को राहत और वार्षिक आयोजनाओं को अंतिम रुप दिए जाने के पश्चात् राज्यों द्वारा अतिरिक्त आयोजना भिन्न वित्तीय देनदारियों का भार उठाने के कारण संसाधनों का क्षय हो जानेके परिणाम स्वरूप हुए है। राज्यों द्वारा अपने अनुमोदित आयोजनागत परिव्ययों को बनाये रखने और विकास की गति को बनाये रखने के लिए यह निर्णय किया गया है कि संसाधनों में अवशेष अन्तराल के आधे भाग को अतिरिक्त आयोजनागत सहायता द्वारा पूरा किया जाय। ऐसी आशा की जाती है कि राज्य बाकि बचे आधे अन्तराल को अपने स्वयं के प्रयत्नों से, जैसे कि आयोजना भिन्न व्यय में किफायत, प्राप्तियों में सुधार, देय राशियों का संग्रह आदि कर के पूरा कर लेंग। इस स्थिति को समीक्षा करते रहने का विचार है ।

प्राकृतिक प्रकोपों के कारण आवश्यक हुए व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम आयोजनागत सहायता केन्द्रीय दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर निश्चित की जाती है जो प्रभावित राज्यों का दौरा करते है। चालू वर्ष में केन्द्रीय दलों ने असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का दौरा किया है और उनके द्वारा सुझाई गई अग्रिम आयोजनागत सहायता की राशियां राज्यो को आबंटित की गई है। एक केन्द्रीय दल ने हाल ही में आंध्र प्रदेश का अपना दौरा समाप्त किया है और वर्तमान में एक अन्य केन्द्रीय दल तमिलनाडू में स्थिति का अध्ययन कर रहा है। एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही केरल भेजा जायेगा ।

विवरण

राज्य सरकारों की तरफ से विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध

राज्य	राशि (रुपये करोड़ों में)	
1. आंध्र प्रदेश . .	30.00	तूफान संबंधी राहत के लिए राशि को छोड़कर ।
2. असम . . .	74.37	
3. बिहार . .	135.00	
4. गुजरात . .	116.39	
5. हरियाणा . .	109.03	
6. हिमाचल प्रदेश . .	8.89	
7. कर्नाटक . .	..	संसाधनों में अन्तराल को पूरा करने के लिए अनिश्चित धनराशि ।
8. केरल . . .	21.00	तूफानी संबंधी राहत की राशि को छोड़कर ।
9. मध्य प्रदेश . .	79.00	पिछले वर्ष सूखा राहत के संबंध में किए गए व्यय की अनिश्चित राशि ।
10. महाराष्ट्र . .	36.00	
11. मणिपुर . . .	10.00	
12. उड़ीसा . .	76.59	
13. पंजाब . . .	2.00	
14. राजस्थान . .	80.03	
15. तमिल नाडू . .	41.15	तूफान संबंधी राहत की राशि को छोड़कर ।
16. त्रिपुरा . . .	19.25	
17. उत्तर प्रदेश . .	75.00	
18. पश्चिम बंगाल . .	49.00	

इलाहाबाद बैंक द्वारा अनियमित रुप से दिया गया अग्रिम धन

*250. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलाहाबाद बैंक द्वारा अनियमित ढ़ंग से दी गयी अग्रिम राशि के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस-किस कम्पनी को कितना कितना अग्रिम धन ऋण के रुप में दिया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ ऋण [illegible] को [illegible] दरों पर और उर्वरकों के ऐसे स्टाक पर दिये गये थे जिनमें बाद में रेत और नमक पाया गया ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी हां ।

(ख) मांगी गई सूचना का सम्बन्ध बैंक के ग्राहकों के मामलों से है, जिसे बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और व्यवहार के अनुसार तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर लागू होने वाली विधियों के उपबन्धों के अनुसार भी प्रकट नहीं किया जा सकता ।

(ग) और (घ) : इलाहाबाद बैंक ने अपने पास एक ऋण खाता होने की सूचना दी है जिसमें जो स्टाक बन्धक रखकर नकद ऋण सीमा मंजूर की गई थी, बाद में पता चला कि उसमें रेत और नमक था । इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि अनियमितता उसके ध्यान में आते ही उसने तत्काल ऋण लेने वाली फर्म के मालिक के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी थी । बैंक के मुख्य कार्यालय के एक अधिकारी द्वारा भी सारे मामले की जांच विस्तार से की गई है और उसके निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न स्तर के सम्बन्धित कर्मचारीयों के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की जा चुकी है । अपनी रकम वसूल करने के लिए ऋण लेने वाली फर्म के मालिक के विरुद्ध बैंक द्वारा दीवानी मुकदमा भी दायर कर दिया गया है । बैंक ने अपने हितों की रक्षा के लिए ऋणकर्ता की न्याय संगत अचल सम्पत्ति को गिरवी रखने जैसे उपाय भी किये हैं ।

विश्व बैंक के माध्यम से विदेशी सहायता

*251. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विश्व बैंक के साथ कुल कितनी विदेशी सहायता के लिए बातचीत की है अथवा कर रही है ;

(ख) उन विभिन्न ऋणों और अनुदानों का उपयोग किस प्रकार से और किन प्रयोजनों के लिए किया जायेगा; और

(ग) विदेशी ऋणदाताओं को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए संसाधनों के नियतनों का निर्धारण करने और विदेशी गैर-सरकारी पूंजी को निर्यातोन्मुख औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए शर्तों का निर्धारण करने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख): जुलाई, 1977 में हुई भारत सहायता संघ की बैठक में विश्व बैंक अन्तराष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 1 जुलाई 1977 से 30 जून 1978 के वित्त वर्ष के लिए कुल 110 करोड़ अमरिकी डालर की सहायता देने का संकेत दिया गया था ।

बैंक ग्रुप से प्राप्त होने वाली यह सहायता सिंचाई, बिजली, कृषि, रेलवे, और अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को विशिष्ट परियोजनाओं के रूप में विकास के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल की जाएगी ।

(ग) सहायता देने वाले देशों क सामने रखी जाने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों का चुनाव तथा उनके लिए साधनों का निर्धारण सरकार द्वारा हमारी अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उद्देश्यों को ध्यान मे रख कर किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए मिलने वाली विदेशी सहायता की शर्तें बातचीत क दौरान पारस्परिक सहमति से तय की जाती है। गैर-सरकारी विदेशी पूंजी-निवेश की शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है न की बिदेशी निवेशकर्ताओ द्वारा।

इंडियन एयर लाइन्स के लिए अधिक 'एयरबस'

*252. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्स ने और अधिक 'एयर बस' लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो पहले से ली हुई एयर बस का कार्य कैसा रहा और अब तक अर्जित की गयी राशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एयर बस ए 300 बी 2 विमान को, इसके परिचालन के दौरान, परिचालन की दृष्टि से किफायती तथा तकनीकी दृष्टि से विश्वसनीय पाया गया है। अप्रैल, 1977 से सितम्बर, 1977 तक अर्जित किया गया कुल राजस्व 21.12 करोड़ रुपए बनाता है, जबकि परिचालन की कुल लागत 18.78 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार अनुमानतः 2.34 करोड़ रुपए का लाभ हुआ ।

सामान्य बीमा कर्मचारियों की मांगें

*253. **श्री के० ए० राजन :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में सामान्य बीमा के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में 14 अक्तुबर को दो घण्टे की हड़ताल की थी ;

(ख) क्या प्रबन्धकों द्वारा यूनियनों के प्रतिनिधियो के साथ शुरू की गई बातचीत से कर्मचारियों को कोई सन्तोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा शीघ्र ही समाधान के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : जी, हां। 14-10-1977 को साधारण बीमा कर्मचारियों के सभी वर्गों ने जिनमें अधिकारी भी शामिल थे, अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करवाने के लिए 2 घण्टे की हड़ताल की थी। उनकी मांगों में अन्य बातों के साथ साथ 1974 और 1975 के लिए 15 प्रतिशत की दर से तथा 1976 के वर्ष के लिए 20 प्रतिशत की दर से बोनस

अदायगी, भविष्य निधि की कटौती की बहाली, नौकरी की सुरक्षा और बीमारी की छुट्टी के नियमों की बहाली और विकास कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन स्तर को सुनिश्चित करने की मांगें शामिल थीं। उनकी विभिन्न मांगों पर 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर 1977 तक साधारण बीमा निगमके प्रबन्धकों और कर्मचारियों की यूनियनों/संघों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकला। फिर भी, इस बातचीत के आधार पर, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे ही कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे और सेवा की अन्य शर्तों को ध्यान में रखते हुए साधारण बीमा निगम सरकार के परामर्श से कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रहा है।

धर्मशालाओं का पर्यटक आवास के रूप में प्रयोग

*254. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली में हुए राज्य पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में धर्मशालाओं का पर्यटक आवास के रूप में प्रयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और धर्मशालाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) और (ख) : जी, हां। अगस्त 1977 में दिल्ली में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसमें विभिन्न एजेंसियोंद्वारा देश में बनायी गयी धर्मशालाओं तथा सरायों में उपलब्ध आवास स्थान के पर्यटकों द्वारा उपयोग के बारे में बातचीत हुई थी। क्योंकि इस विषय पर अधिक विस्तार पूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी, इसलिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने राज्यों में धर्मशालाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण करें तथा उस सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, इन में सुधार करने के लिए सुनियोजित प्रयत्न करें। यह भी सुझाव दिया गया है कि संबंधित धार्मिक ट्रस्टों/संस्थाओं से अनुरोध किया जाए कि वे, जहां आवश्यक हो, नयी धर्मशालाओं का भी निर्माण करने में अपनी निधियों का उपयोग करें इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे (क) यथोचित कानून बनाने अथवा उनमें संशोधन करने ; (ख) वित्तीय सहायता देने ; तथा (ग) नई धर्मशालाओं का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम बनाने व वर्तमान धर्मशालाओं में सुधार करने के लिए क्षेत्रवार समितियों का गठन करने पर विचार करें।

तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में पकड़ी गई मछली

*255. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और केरल के तटवर्ती क्षेत्रों से गत तीन कार्यक्रमों के दौरान कितनी झींगा मछली पकड़ी गई तथा उनसे पृथक पृथक कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि तमिलनाडु की अधिकांश झींगा मछली का निर्यात कोचीन से किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार तूतीकोरिन अथवा नागापटनम से झींगा मछली का निर्यात करने के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

(ख) इस समय तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्रों से प्राप्त अधिकांश झींगा मछली तमिलनाडु स्थित पत्तनों से ही निर्यात की जा रही है। तथापि, तमिलनाडु में साधिक की हुई झींगा मछली आदि कभी कभी कोचीन से निर्यात की जाती है जो जहाजों का खानागियों और रीफर स्पेस की उपलब्धता पर निर्भर रहता है ।

(ग) इस समय मद्रास, तमिलनाडु से जमी हुई झींगा मछली के निर्यात के लिये प्रमुख स्थान है। झींगा मछली के निर्यात के लिए तूतीकोरिन और नागपटनम के पत्तनों का विकास करने की बहुत कम गुंजाईश है क्योंकि इन स्थानों पर निर्यात के लिए आने वाली मात्रा इतनी काफी नहीं है कि वहां रिफर जलयान जायें। मछली पकड़ने का एक स्वतःपूर्ण बन्दरगाह तूतिकोरिन में 210 लाख रु० की लागत से पहले ही निर्मिति की जा चुकी है।

विवरण

वर्ष	पकड़ी गई झींगा मछली		पत्तनों से/झींगा मछली के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा	
	तमिल नाडु में	केरल में	तमिल नाडु में	केरल में
	(मे० टन में)		(करोड़ रुपये में)	
1974	8106	60829	7.62	40.96
1975	12033	77962	11.49	55.96
1976 (अनन्तिम)	10350	34533	21.76	81.44

दिल्ली में अमरीकी बैंक का प्रतिनिधि कार्यालय

*256. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में स्थित एक अमरिकी बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय को बैंक की पूर्ण शाखा में पूर्ण बदले जाने की अनुमति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैंक का क्या नाम है और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : मूल रूप से भारतीय रिजर्व बैंकने बैंक आफ अमरिका की दिल्ली में शाखा खोलने के लिए जून, 1969 में अनुमति दी थी। शाखा के स्थान पर उसने फरवरी, 1970 में एक प्रतिनिधि कार्यालय नई दिल्ली में खोला था। जून, 1977 में, बैंक आफ अमेरिका की अपने नई दिल्ली के प्रतिनिधि कार्यालय की शाखा में बदलने की अनुमति दे दी गई थी।

काफी पाउडर के मूल्य में कमी

†257 श्री एस० एम० सोमानी :
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी पाउडर के मूल्य में कुछ कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस काफी का मूल्य कम करने, विशेषकर आम जनता को काफी सरलता से उपलब्ध कराने के लिये काफी का प्रति-कप मूल्य घटाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जनता को उचित कीमतों पर काफी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए काफी बोर्ड द्वारा निम्न लिखित उपाय किए गए है :—

(1) 1976 में 38000 मे० टन काफी आन्तरिक खपत के लिए रिलीज की गई थी जब कि 51538 मे० टन का निर्यात किया था। वर्ष 1977 में उत्पादन में 100,000 मे० टन से अधिक होगा और अनुमान है कि आन्तरिक खपत के लिए 45000 मे० टन काफी उपलब्ध कराई जा सकेगी और 58000 से 60000 मे० टन निर्यात की जाएगी। इससे आन्तरिक बाजार में पर्याप्त पूर्ति सुनिश्चित हो जायेगी ।

(2) काफी बोर्ड द्वारा अपनाई गई आन्तरिक वितरण प्रणाली से खुदरा व्यापारियों, सहकारी समितियों तथा स्थानीय बिक्री डिपो आदि को मुख्यत: पूल नीलामियों तथा सीधे वितरण के जरिए काफी की पर्याप्त मात्रा मिलना सुनिश्चित होता है ।

(3) काफी बोर्ड के प्रचार एककों के माध्यम से रु० 11.60 प्रति किलो (बिक्री कर तथा पैकिंग प्रभार सहित) की दर से सम्मिश्रित काफी पाउडर बेचा जा रहा है। काफी बोर्ड ने काफी बोर्ड से काफी के आबंटन पाने वाली सहकारी समितियों, प्राधिकृत बिक्रेताओं के माध्यम से बेची जाने वाली काफी के लिए प्रति किलों अधिकतम खुदरा कीमतें नियत की है ।

(4) सहकारी समितियों तथा स्थानीय बिक्री डिपुओं आदि के निरीक्षण किए जाते है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काफी को बिक्री बोर्ड द्वारा नियत की गई खुदरा कीमतों पर की जाती है ।

इन उपायों के फलस्वरुप काफी पाउडर की बिक्री की कीमतें स्थिर रहीं है और हाल ही में मामूली दिखाई पड़ी है ।

Devaluation of Indian Rupee

*258. **Shri R. L. P. Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) how many times, by what rate and under whose leadership the Indian rupee was devalued during the period of 1947 to 1976.

(b) the extent by which India's foreign indebtedness increased as a result thereof country-wise; and

(c) the extent by which the value of Indian rupee increased in relation to the American dollar, British Pound and Russian rouble?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) The Indian rupee was devalued twice between 1947 to 1976. The first devaluation, took place, when late Shri Jawahar Lal Nehru was the Prime Minister, in September 1949, to the extent of 30.52%. The second devaluation took place on the 6th June, 1966 to the extent of 36.5%; Smt. Indira Gandhi was the Prime Minister then.

(b) In 1949, India did not owe any foreign debt; the question of the extent by which India's foreign indebtedness increased due to devaluation in 1949 does not, therefore, arise. In terms of foreign exchange there was no change in the foreign loans owed by India. However, as a result of the devaluation in 1966, in terms of rupee our foreign indebtedness increased by 57.5%.

(c) Since devaluation implies a reduction in value, the question of increase in the value of rupee in terms of foreign currencies as a result of devaluation of the rupee does not arise.

सोवियत संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार

*259. **श्री रेंगुपद दास :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 से सोवियत संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा में तीव्र वृद्धि होने से भारत को अमरीका तथा ब्रिटेन की तुलना में वाणिज्यिक व्यापार में बहुत हानि हो रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो सोवियत संघ के साथ उक्त द्विपक्षीय व्यापार से भारत को किस प्रकार लाभ हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : सोवियत संघ के साथ भारत के व्यापार के आंकड़े कैलेंडर वर्ष 1975 तथा 1976 के लिये उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार व्यापार 1975 में 755 करोड़ रु० के स्तर से घटकर 1976 में 685 करोड़ रु० हो गया है। सं० रा० अमरीका तथा ब्रिटेन सहित शेष विश्व के साथ जो व्यापार शर्तें हैं, सोवियत संघ के साथ व्यापार शर्त उनसे खास भिन्न नहीं है। सोवियत संघ के साथ व्यापार से चाय, तम्बाकू, कॉफी जैसी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिये हमें एक निश्चित महत्वपूर्ण बाजार मिला, कीमतों को स्थिर करने में तथा इकाई मूल्य की प्राप्ति में सहायता मिली तथा विश्व बाजार में हमारे विनिर्मित माल के प्रचलन का यह साधन बना। आयात पक्ष में इसने हमें महत्वपूर्ण पूंजीगत माल तथा आवश्यक कच्चा माल एवं वस्तुएं प्रदान की है जैसे ऐस्बेस्टास, उर्वरक, मिट्टी का तेल तथा डीजल तेल, अखबारी कागज, अलौह धातु आदि और विदेशी मुद्रा दिये बिना कच्चा पैट्रोल मिला है।

Proposal to set up Dry Ports in States

*260. **Shri Mani Ram Bagri:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up some dry ports in some States in the near future .

(b) if so, the names of those States; and

(c) the action being taken by Government in this regard and when a decision is likely to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Beg): (a) to (c): The question of establishing a dry port in the Northern Region has been receiving the attention of the Government for sometime. After careful consideration the Government have come to the conclusion that the project is not of immediate priority in the present stage of the country's economy. The Government has, therefore, decided to defer the decision on this issue.

औषधियों की तस्करी करने वाला अंतर्राष्ट्रीय गिरोह

*261. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों की तस्करी करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ा गया है ;

(ख) उनसे कितनी मात्रा में हशीश और हशीश का तेल बरामद किया गया है ; और

(ग) तस्करी से लाई गई औषधियों के अन्य स्टाक को, जो भारत में विद्यमान होना बताया जाता है, जब्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : जी, हां । हाल ही में, अमेरिका की ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से राजस्व आसूचना निदेशालय, हशीश और हाशीश तेल के तस्करों के एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह को कुचलने में सफल रहे है, जो भारत के रास्ते नेपाल और अमेरिका के बीच कार्यशील था । इन कार्यवाहियों में, 14 अक्तुबर, 1977 को 41.1 कि० ग्रा० हशीश, 36.05 कि० ग्रा० हशीश तेल और 0.25 कि० ग्रा० गांजा, जिनका कुल मूल्य लाभ लगभग 45.00 लाख रुपए है, पकड़े गये थे ।

(ग) जांच करने पर, यह जानकारी मिली थी कि चोरी-छिपे लायी गयी हशीश का कोई अतिरिक्त स्टाक नहीं है जिसे पकड़ा जा सकता हो । फिर भी प्रवर्तन एजेंसियां देश में, इन वस्तुओं को चोरी-छिपे लाने के किसी भी प्रयास को रोकने के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक निगरानी रखे हुए हैं ।

पांचवे तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारत द्वारा भाग लेना

*262. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1977 में भारतने पांचवे तेहरान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लिया था ;

(ख) इस मेले में कितने भारतीय व्यापार और औद्योगिक एककों ने भाग लिया था और इस मेले में भारतीय वस्तुओं का प्रदर्शन करने में सरकार ने क्या भूमिका निभाई;

(ग) इस मेले में भाग लेने पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और भारत से कितने वास्तविक क्रयादेशों की बुकिंग की गई और उनका मूल्य कितना है ;

(घ) जो बातचीत चल रही है उसके परिणामस्वरूप कितने क्रयादेशों के प्राप्त होने की सम्भावना है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि अधिकांश क्रयादेश पिछले व्यापारिक सम्पर्क के आधार पर प्रायः दुहराये गये क्रयादेश हैं ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा मशहूर निजी औद्योगिक एककों सहित सत्तर भारतीय फर्मों ने भाग लिया । सरकार की ओर से भारतीय व्यापार मेला प्रधिकरण ने भाग लेने के लिए विस्तृत इंतजाम किये जैसे कि प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री का चयन, संग्रह तथा परिवहन और साथ ही तेहरान में भारतीय मंडप का निर्माण तथा उसकी स्थापना और व्यापार वार्ताओं के लिए सुविधाएं देना ।

(ग) इस मेले में भाग लेने पर किया गया कुल अनुमानित व्यय 23.75 लाख रुपए है, जिसमें 16.25 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा शामिल है । भाग लेने वालों ने 2.84 करोड़ रुपये के साख पत्रों द्वारा समर्थित निर्यात आदेश बुक किये ।

(घ) विदेशी व्यापारियों की संख्या पचास थी तथा उनके साथ जो वार्ताएं चल रही हैं उनसे 7.4 करोड़ रुपये से अधिक के आदेश मिलने की संभावना है ।

(ङ) जी नहीं ।

तस्करी रोकने के लिए स्वर्ण का आयात

*263. **श्री जी० एम० बनतवाला :**

श्री उग्रसेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण का आयात करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे इस कीमती धातु की तस्करी रोकी जा सके तथा जनता में उसकी बढ़ती हुई मांग को पूरा किया सके;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इसका देश की विदेशी मुद्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतोश अग्रवाल) : (क), (ख) और (ग) : वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में ये सुझाव दिये गये थे कि सरकार को तस्करी की रोक थाम करने के तरीकों में से एक तरीके के रूप में सोने के आयात के औचित्य पर विचार करना चाहिए । वे सुझाव नोट कर लिये गये थे । सरकार ने इस विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ।

तस्करी विरोधी संगठन के उच्च अधिकारियों को दी गई गंभीर परिणामों की धमकी

*264. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व विभाग के तस्करी विरोधी संगठन के कुछ उच्च अधिकारियों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गंभीर परिणामों की धमकी दी जा रही है ;

(ख) क्या इन धमकियों से देश में तस्करी विरोधी व्यवस्था निष्क्रीय हो गई है तथा जितने मूल्य की तस्करी की वस्तुएं पकड़ी गई है उससे ज्ञात होता है कि पिछले कुछ महीनों से तस्करी विरोधी कार्य में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता है कि राजस्व विभाग के तस्करी विरोधी संगठन के किसी भी उच्च अधिकारी को "गंभीर परिणामों" की धमकियां दी जाती रही हैं। लेकिन हाल ही में कुछ अधिकारियों को धमकी भरे अज्ञात टेलिफोन कालें मिलने की कुछ घटनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। परन्तु तस्करी विरोधी ढांचे को उपयुक्त रूप से मजबूत और सुदृढ़ बना दिया गया है तथा तस्करी के खतरे की प्रभावी रूप से रोकथाम कर ली गयी है। परिणामतः, निवारक एजेंन्सियों द्वारा पकड़े गये माल के मूल्य में ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति पाई गयी है। 1976 में पकड़े गये 36.00 करोड़ रुपये मूल्य के माल के मुकाबले, 1977 (सितम्बर, तक) में पकड़े गये माल का मूल्य केवल 20.00 करोड़ रुपये है। दूसरी ओर, चालू वर्ष के दौरान, विदेशों से देश को भेजी गयी (गैर व्यापारिक) रकमों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

Abolition of Speculation

2303. **Dr. Ramji Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether speculation is against the Gandhian principles of economy to which Janata Government is committed; and

(b) if so, whether Government propose to take strict action to totally abolish speculation?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) and (b) : Certain types of business activities, such as forward trading in commodities, which are apparently speculative in nature, may have a stabilising effect in as much as they tend to even out inter-seasonal fluctuations in prices. Nevertheless, under certain conditions, even forward trading can have undesirable consequences. Government keeps a constant watch on such activities and bans or otherwise regulates them as the situation requires.

Loss suffered by Public Undertakings

2304. **Shri Raghavji :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of public undertakings run by the Central Government at present;

(b) the total loss suffered in each of the undertakings in 1975-76 and 1976-77 and the net loss suffered by each of them during the same period; and

(c) the total capital invested in the undertakings which suffered loss and the number of employees working therein?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) As on 31-3-1977 there were 135 running Central Government enterprises.

(b) and (c) : The information is given in the annex. **[Placed in Library. See No. L.T. 1944/77.]**

Firms and Factories Insured by the Advance Insurance Company, Bombay

2305. **Shri Dayaram Shakya :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of firms and factories insured by the Advance Insurance Company, Bombay;

(b) the names of firms and companies to which the company had to pay compensation along with the amount paid to each of them during the last two years; and

(c) the number of branches thereof and the number of employees working therein?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a), (b) & (c) : The information is not available. The registration of Advance Insurance Co. Ltd. under the Insurance Act, 1938 was cancelled (for non-renewal) with effect from 20-3-1970, precluding it from transacting fresh business. The Company's statutory deposit was refunded on 28-10-1970, in pursuance of an order of Court and from that date the Company ceased to be an insurer subject to the provisions of the Insurance Act, 1938.

भारतीय मौसम विज्ञान वर्कशाप यूनियन की पूना शाखा द्वारा पारित संकल्प की सिफारिशों का विरोध करने के लिये रामन्ना समिति

2306. **श्री आर० के० महालगी :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय मौसम विज्ञान वर्कशाप यूनियन की पूना शाखा द्वारा 12 सितम्बर, 1977 को पारित किए गए संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है जिसमें रामन्ना समिति की सिफारिशों का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संकल्प के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) रामन्ना समिति की सिफारिशों पर सरकारी निर्णय लेने से पहले यूनियन के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा ।

मिजोरम में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2307. **डा० आर० रोथुअम :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम सरकार में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता कभी अदा नहीं किया गया जबकि यह भत्ता अन्य राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को अदा किया गया है और किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मिजोरम सरकार के कर्मचारियों के मामले में इस भेदभाव के क्या कारण है ; और

(ग) उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से मकान किराया भत्ता देने के लिए क्या तत्काल कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराए भत्ते की अदायगी के लिए नगरों का वर्गीकरण उनकी जनसंख्या के अनुसार किया जाता है । केवल वे ही नगर जिनकी पिछली दशवर्षीय जन-गणना के अनुसार जन-संख्या कम से कम 50,000 और इससे अधिक है कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी के लिए वर्गीकृत किए जाने योग्य है । मिजोरम में काम कर रहे हैं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को कोई मकान किराया भत्ता अदा नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस आधार पर मिजोरम का कोई भी नगर वर्गीकृत किए जाने योग्य नहीं है ।

रत्नागिरी शहर, महाराष्ट्र में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

2308. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग ने यह सिफारिश की है कि महंगे शहरों और कस्बों में, भले ही वहां की जन संख्या 50,000 से कम हो काम कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता मंजूर किया जाना चाहिए ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि महाराष्ट्र मे रत्नागिरी शहर में आवास-समस्या बहुत गंभीर है और जीवनयापन बहुत महंगा है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र के रत्नागिरि शहर में काम कर रहे डाक-तार कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की अदायगी के संबंध में तीसरे वेतन आयोग ने निम्न प्रकार से सिफारिश की थी :—

(i) सरकार को लम्बी अवधि के पट्टे पर मकान लेने चाहिए और अपने कर्मचारियों को उनके वेतन के 10% की अदायगी पर रिहायशी आवास उपलब्ध करने चाहिएं ।

(ii) सरकार को विभिन्न शहरों और कस्बों के लिए मकान किराया भत्ते की उपयुक्त दरों का निर्धारण जनसंख्या की कसौटी के आधार पर नहीं बल्कि प्रवर्त्तमान किराया स्तरों के आधार पर करना चाहिए । विकल्प के रूपमें विशिष्ट वेतन समूहों के कर्मचारियों के लिएं अपेक्षित विभिन्न प्रकार के आवास के लिए सैद्धान्तिक किराए का निर्धारण विभिन्न शहरों व नगरों के लिए किया जाना चाहिए। वास्तविक रूप से अदा किए गए किराए तथा वेतन के 10% के अन्तर की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए, बशर्ते कि वास्तविक किराया सैद्धान्तिक किराए से अधिक नहीं हो, जहां यह अधिक हो, वहां प्रतिपूर्ति सैद्धान्तिक किराए और वेतन के 10% के अन्तर तक ही सीमित रहेगी ।

(iii) जब तक सरकार उपर्युक्त व्यवस्था करे तब तक मकान किराया भत्ते की दरें इस प्रकार होनी चाहिए :—

शहर/कस्बे की श्रेणी	मकान किराए भत्ते की दर (म०कि०भ०)
ए, बी-1 और बी-2	मकान किराए भत्ते के रूप में वेतन का 15%, किन्तु अधिक से अधिक 400/-रुपये ।
सी श्रेणी . . .	मकान किराया भत्ते के रूप में वेतन का 7 ½%, किन्तु अधिक से अधिक 200/-रुपए ।

सरकार ने उपर (iii) पर दी गई सिफारिश को स्वीकार करने का निर्णय किया है ।

(ख), (ग) और (घ) : केवल वे ही शहर, जिनकी जन संख्या पिछली दस वर्षीय जनगणना के आधार पर कम से कम 50,000 है, कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के लिए वर्गीकरण किए जाने योग्य है । 1971 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरि की जनसंख्या 37,551 थी अतः इस प्रकार वहां काम करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों जिनमें डाक व तार कर्मचारी भी शामिल है, को मकान किराया भत्ते की अदायगी के लिए यह नगर वर्गीकरण किए जाने योग्य नहीं है ।

शेफेयर तथा होटल उद्योग/एयर इंडिया के कर्मचारियों के बीच वेतनमानों में समानता

2309. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या शेफेयर स्वतंत्र संगठन है अथवा होटल उद्योग के अधीन है अथवा एयर इंडिया की आंशिक/सम्बध कम्पनी है ;

(ख) क्या यह सच है की शेफेयर के कर्मचारियों की सेवा शर्तों वेतनमान तथा अन्य लाभ होटल उद्योग अथवा एअर इंडिया के कर्मचारियों की तुलना में कम है ;

(ग) क्या शेफेयर को भविष्य में होटल उद्योग/एयर इंडिया के समान बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) शेफेयर का स्वामित्व तथा प्रबंध होटल कारपोरेशन आफ इंडिया के पास है जोकि पूर्णरूप से एयर इंडिया के स्वामित्व के अन्तर्गत एक सहायक कम्पनी है ।

(ख) शेफेयर के कर्मचारियों के वेतनमान/कुल वेतन तथा अन्य लाभ अधिकांश और होटलों के ही समतुल्य है, जिनमें भारत पर्यटन विकास निगम के होटल तथा होटल उद्योग के होटल भी सम्मिलित है ।

(ग) और (घ) शेफेयर को एयर इंडिया के समान स्तर का बनाने का कोई प्रस्ताव नही है । शेफेयर को होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया की एक यूनिट होने के कारण, जहां तक वतनमानों तथा अन्य कार्यचालन संबंधी परिस्थितियों एवं लाभों का संबंध है, खान-पान उद्योग के ही अंतर्गत समझा जाएगा ।

वर्ष 1977-78 के दौरान जनता होटलों का खोला जाना

2310. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान किस प्रकार के तथा कितने जनता होटल खोले जायेंगे; और

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक): (क) परियोजना को अंतिम रूप दिए जाने के बाद एक होटल के निर्माण को पूरा करने में सामान्यतया दो वर्ष लगते हैं। अतः 1977-78 के दौरान देश में कोई जनता होटल नहीं खोला जाएगा।

(ख) (i) मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार कर लिये गये हैं तथा इच्छुक पार्टियों के पास भेजे जा रहे हैं।

(ii) विभिन्न आकार के होटलों के बहुत से मॉडल होटल निर्माताओं के मार्गदर्शन के लिये तैयार किये जाएंगे तथा इच्छुक पार्टियों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(iii) निधियां उपलब्ध होने की अवस्था में, केन्द्रीय सरकार द्वारा कई जनता होटल बनाए जाएंगे।

(iv) होटलों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों का पुनरीक्षण किया जा रहा है जिससे कि जनता होटल भी उनकी परिधि में आ जाएं।

(v) वित्तीय संस्थाओं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त किए गए ऋणों के लिए होटलों को "इंटरेस्ट-डिफरेंशियल-सबसिडी" प्रदान करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

Disparity in Pay Scales of Employees of Central Government

2311. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is a great disparity in the pay scales of the employees working on the same posts in various offices of the Central Government and undertakings; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to bring about uniformity in the pay scales in future ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) (a) & (b): In this connection, attention is invited to the reply given to a similar Unstarred Question No. 830 in the Lok Sabha on 17-6-77 (copy enclosed). It may also be added that by a Resolution dated 13-10-77, Government has set up a Study Group under the Chairmanship of Shri S. Bhoothalingam on Wages, Incomes and Prices. The Study Group will prepare a draft policy on Wages, Incomes and Prices and in framing this draft policy, the Study Group will consider the following issues :—

(i) What should be the minimum wage and what should be the norms with reference to which the minimum wage should be determined.

(ii) Whether the minimum wage should be uniform or could be different as between—

(a) Agriculture, Industry and Services,

(b) Organised and Unorganised Sectors.

(c) Urban and Rural Sectors,

(d) Between different States/Regions.

(e) Between different employers in the Organised Sector.

(iii) What should be the relevant criteria for determining the differentials between minimum wage and maximum wage and whether the ratio between minimum-maximum wages should be uniform, or could be different in the sectors referred to in (ii) above.

(iv) What should be the criteria for determining maximum income and what relationship should exist between maximum income and maximum wages.

(v) What should be the linkage between wages, and incomes and prices, and to review in this connection the existing arrangements for regulation of dearness allowance in private and public sectors.

(vi) What fiscal, economic and other policies should be adopted for achieving objectives of the proposed policy on wages, incomes and prices.

(vii) Whether any legislative changes would be required for implementing the proposed policy on wages incomes and prices.

Disparity in Pay and Allowances in Government Service and Government Undertakings

830. **Shri S. D. Samasundaram :** Will the Minister of **Finance and Revenue and Banking** be pleased to state whether any action is taken/proposed to eliminate the disparity in pay and allowances for the similar jobs in Government Service and Government Undertakings ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : The present wage structure of Central Government employees is based on the recommendations of the Third Central Pay Commission. The Commission was also of the view that there should be a mechanism to ensure that pay scales of public sector undertakings should be fixed with due regard to possible repercussions on other public sector undertakings and on the Government's own scales of pay. The public sector enterprises are required to obtain the prior concurrence of Government to any general revision of pay and allowances of their employees. In examining such proposals, Government take care to see that unreasonable disparities are avoided in the wage structure as between different enterprises in the same industry or region and as between public enterprises on the one hand and Government Departments on the other.

प्राकृतिक रबड़ का निर्यात

2312. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1977-78 में प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और इस वर्ष कुल कितनी मात्रा का निर्यात किये जाने का विचार है ; और

(ग) प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने के बारे में निर्णय किये जाने के बाद से कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां । सरकार ने पहले ही देशी प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करने का निर्णय ले लिया है ।

(ख) तथा (ग) : 1977-78 के दौरान पहली बार 5000 मे० टन के निर्यात की अनुमति दी गई है । इस कोटे में से तथा पहले के कोटों में से अप्रैल-अक्तूबर, 1977 के दौरान 4,345 मे० टन माल पहले ही निर्यात कर दिया गया है ।

जनता होटल निर्माण कार्यक्रम में उटी को शामिल करना

2313. **श्री वी० एस० रामलिंगम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पहाड़ी स्थानों (हिल स्टेशन) की रानी ऊटी को जनता होटल निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : जी, नहीं । केन्द्रीय सरकार की उटी में जनता होटल बनाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

वस्तुओं का निर्यात

2314. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77 तथा 1977-1978 के पहले 6 महीनों में (1) इस्पात (2) जहाजों (3) टायरों (4) मिल्क (5) ऊनी वस्त्र (6) बांस की वस्तुएं (7) नारियल जटा (8) परियोजना उपकरण (9) मृत्तिका उत्पादों (10) चमड़ा , रेयन तथा मशीनी औजारों का कुल कितना निर्यात किया गया तथा विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के लिये यदि कोई नये ठेके प्राप्त किये गये हों तो कितने ; और

(ख) पांचवी योजना अवधि में निर्यात की ओर अधिक बढ़ाने के लिये क्या कायवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है ।

(ख) निर्यातों को बढ़ाने के लिये पहले ही अनेक कदम उठाए गये है जिनमें विदेशियों में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, निर्यात क्षमता वाले क्षेत्रों तथा निर्यात मदों को अभिज्ञात करना, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के दौरे, नकद मुआवजा सहायता देना, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क को वापसी, निर्यात बिक्री की व्यवस्था, क्वालिटी नियंत्रण तथा आयातित और घरेलु निविष्ठों की सप्लाई आदि शामिल है ।

विवरण

(मूल्य करोड़ रु० में)

मदें	भारत से विशिष्ठ मदों के निर्यात			
	1975–76	1976–77	अप्रैल-जून 1977–78	
1	2	3	4	
ऊनी वस्त्र . .	1.47	1.67	0.21	
रबड़ के टायर तथा ट्यूबें .	8.69	19.90	3.69 (अप्रैल-मई)	
कायर तथा उससे निर्मित माल .	19.02	24.03	4.56	
चमड़ा तथा जुतों सहित चमड़े से निर्मित माल . .	222.79	292.31	70.99	
नकली रेशम के वस्त्र, संश्लिष्ट रेशे तथा स्पन ग्लास .	15.22	28.78	6.44	
रेशमी वस्त्र . .	6.96	8.14	9.80 (अप्रैल-मई)	
तिली का काम, बांस आदि की वस्तुएं . .	0.22	0.40	उपलब्ध नहीं	
मृत्तिका उत्पाद .	1.05	4.06	0.80 (अप्रल-मई)	
(क) गैर लाभ सह मृत्तिका ईटें, टाइलें, पाइप तथा उसी प्रकार के उत्पाद .	0.25	2.52	0.50	
लौह तथा इस्पात तथा लौह मिश्रित वस्तुएं . .	113.44	348.88	127.20 (अप्रैल-सितम्बर)	संविदाएं 30 सितम्बर, 1977 तक कुल बुकिंग (1-4-77 को पिछले बचे हुए को मिलाकर) 2056.4 हजार मे० टन थी जिसका मूल्य करीब 283.19 करोड़ रु० था ।

विवरण—समाप्त

1	2	3	4	
औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी (परियोजना उपस्कर) .	45.53	42.20	8.01	30 सितम्बर, 1977 को संविदाओं का मूल्य अन्तिम रूप से 151.43 करोड़ रु० था जब कि मशीनी औजारों के विषय में 11.80 करोड़ रु० था।
मशीनी औजार . .	8.39	18.10	4.08	
तटीय जलयान तथा जहाज .	4.46	6.95	2.18	

Visits of Official Delegations Abroad

2315. **Shri N. K. Shejwalkar :**
Shri Yagya Datt Sharma :
Shri Phool Chand Verma :
Shri Subhash Ahuja :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of official delegations which visited foreign countries during the last two years; month-wise;

(b) names of persons included therein and the names of leaders of delegations;

(c) the countries these delegations visited;

(d) the number of economic, political and cultural delegations separately among them; and

(e) the total expenditure incurred on these delegations?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) to (e) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन

2316. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कांगड़ा घाटी में वर्षवार चाय का उत्पादन कितना हुआ;

(ख) उक्त अवधि में घाटी से वर्षवार कितना चाय का निर्यात किया गया; और

(ग) निर्यातोन्मुख चाय उत्पादन करने वाले चाय उत्पादकों को क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं अथवा दिये जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1974, 1975 तथा 1976 के दौरान हिमाचल प्रदेश (कांगड़ा तथा मनाली) में चाय का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 1388, 1391 तथा 1433 हजार कि ग्रा० रहा।

(ख) कांगड़ा घाटी से चाय के निर्यात के आंकड़े अलग से प्राप्य नहीं हैं।

(ग) कांगड़ा घाटी में चाय के विकास के लिये चाय बोर्ड द्वारा निम्नोक्त उपाय किये गये है;

(1) पालमपुर में चाय बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलना।

(2) चाय बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिमाचल प्रदेश में चाय क्षेत्रों का समय समय पर दौरा करना।

(3) 1964 में चाय बोर्ड का वित्तीय सहायता से बीर में एक सहकारी चाय फैक्टरी स्थापित की गई। इसके विस्तार की प्रस्थापनाएं विचाराधीन हैं।

(4) सरकार ने पालमपुर में एक और सहकारी चाय फैक्टरी की स्थापना का भी अनुमोदन कर दिया है जिसके लिये 5 लाख रु० का ऋण पहले ही दिया जा चुका है।

(5) सिद्धवाड़ी और बैजनाथ में दो और सहकारी चाय फैक्टरियां स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है।

(6) बोर्ड ने कांगड़ा टी प्लान्टर्न सप्लाई एण्ड इंडस्ट्रीयल मार्केटिंग सोसाइटी लि० को 3 लाख रु० ऋण के रूप म दिये हैं, जो की अमृतसर में चाय की नीलामियों की व्यवस्था करता है।

(7) बोर्ड पालमपुर में एक प्रायोगिक केन्द्र की 50:50 के आधार पर सहायता करता रहा है, जो कि इस राज्य में उपकर्ताओं के लाभ के लिये गवेषणा कर रहा है। बोर्ड ने इस प्रायोगिक केन्द्र में उगाने के लिये बढ़िया पौध सामग्री सप्लाई की है।

शेफेयर में नियुक्ति के लिये अधिकारियों का चयन

2317. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आवश्यक है कि शेफेयर के निदेशकों, जनरल मैनेजर और मैनेजर का चयन होटल व्यवसाय में डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों में से किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या शेफेयर के वर्तमान निदेशकों और जनरल मैनेजर को नियुक्ति के समय उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति की गई जिन्हें होटल व्यवसाय में डिप्लोमा प्राप्त नहीं था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम को हुई हानि

2318. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम अपने निर्यात व्यापार से लगातार घाटा उठा रहा है और वह इस घाटे को आयातित वस्तुओं को स्थानीय बाजार में बेच कर पूरा करता है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उसको कितना घाटा हुआ ; और

(ग) इस निगम की प्रबन्ध कुशलता तथा व्यापारिक गतिशीलता में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। राज्य व्यापार निगम ने 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान अपने निर्यातों पर कुल मिलाकर व्यापारिक लाभ कमाया।

(ग) (1) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद से कहा गया है कि वह राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम व उनके अनुषंगी निगमों की कार्यक्षमता तथा उनके ग्राहकों को मिलने वाली सेवा के स्तर को सरल बनाने तथा उसमें सुधार लाने के बारे में उपयुक्त सुझाव देने के लिये अध्ययन करे। संस्थान से यह अपेक्षा भी की गई थी इन संगठनों द्वारा जिन समग्र राष्ट्रीय हितों को देखा जाना है, उनके सन्दर्भ में उनकी भूमिका के बारे में भी सिफारिशें करे। संस्थान ने इस बीच अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

(2) राज्य व्यापार निगम खनिज तथा धातु व्यापार निगम और इनके अनुषंगी निगमों की संरचना तथा कार्यकरण की समीक्षा करने के लिये वाणिज्य, उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्रियों की एक मंत्रिमंडल समिति भी स्थापित की गई है।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के कार्यालयों का स्थानान्तरण

2319. **श्री हरीलाल प्रसाद सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मई 1977 में अपने कार्यालयों को नये भवन में स्थानान्तरित कर दिया था;

(ख) यह नया भवन किस तिथि को किराए पर लिया गया था और कार्यालयों को नये भवन में स्थानान्तरित करने में अत्यधिक विलम्ब करने के क्या कारण है तथा नये भवन को इतने लम्बे समय तक खाली रखने में कितनी हानि हुई है;

(ग) इस भवन की विशेष साज-सज्जा और उसे विभक्त करने में कुल कितना व्यय हुआ; और

(घ) क्या भवन के मालिक द्वारा कुछ कमरों को ईंटों द्वारा निःशुल्क विभक्त करने की पेशकश करने के बावजूद एक ही टेंडर के आधार पर बहुत ही ऊंची लागत पर उनको अलंकरण मुख्य विभक्त किया गया तथा उसमें पेनल लगाया गया ?

4—367 LSS (ND)/77

वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना कार्यालय अप्रैल, 1977 में नये भवन में स्थानान्तरित किया था।

(ख) से (घ) : प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार, नये भवन को 15-2-1977 से किराये पर लिया गया था। स्थानान्तरण का कार्य कम से कम समय में किया गया जो कि पार्टीशन लगाने के कार्य, डाक तथा तार विभाग द्वारा पी० ए० बी० एक्स का स्थानान्तरण, बिजली व्यवस्था तथा डाटा प्रोसेसिंग उपकरण की स्थापना आदि के लिये आवश्यक था। ये कार्य भवन को किराये पर लेने के बाद ही आरम्भ किये जा सकते थे। इस प्रकार इस कारण से कोई हानि नहीं हुई ।

कोई भी विशेष साज-सज्जा नहीं की गई थी। साज-सज्जा तथा पार्टीशन के कार्य पर, जिनमें प्रदर्शनी तथा शो-केस सुविधाएं और निर्यातकों तथा आयातकों के लिये सूचना केन्द्र शामिल है, कुल मिलाकर 93,419 रु० खर्च हुए ।

भवन का मालिक कुछ कमरों में बिना लागत ईंटों वाले पार्टीशन के लिये सहमत नहीं था। प्राधिकरण के अनुरोध पर भवन के मालिक ने मात्र एक कमरे में बिना लागत ईंटों वाले पार्टीशन की पेशकश की थी। चूंकि यह व्यवस्था साथ लगे सम्मेलन कक्ष व सूचना केन्द्र के अनुरूप नहीं थी, अतः यह विचार छोड़ दिया गया । कोई भी सजावटी पार्टीशन नहीं किया गया। चार पार्टियों से प्राप्त टेंडरों के आधार पर पांच अधिकारियों की एक समिति को मैनेजिंग कार्य का आबंटन दिया गया था।

जम्बो जैट सेवा का बढ़ाना

2320. **श्री डो० अमात** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्बो जैट सेवा को बढ़ाने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और प्रस्ताव की क्रियान्विति कब तक की जायेगी और उक्त प्रयोजन के लिये कितने जम्बो जैट खरीदे जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : एअर इंडिया ने बो-747 जम्बो जेट विमानों के अपने वर्तमान बेड़े में वृद्धि करने की कोई तत्काल योजनाएं नहीं हैं। यह अभी अपनी दीर्घावधि योजना को अंतिम रूप देने में लगी हुई है जिसमें 6ठी तथा 7वीं पंचवर्षीय योजनावधियां सम्मिलित होंगी। तथापि, एयर इंडिया ने दो जम्बो विमानों के लिए आदेश पहले ही दे दिए है। दो में से पहले विमान की डिलीवरी एयर इंडिया को दिसम्बर, 1977 में होनी है तथा दूसरे की डिलीवरी मई 1978 में होने की आशा है।

Tax outstanding against Industrial Houses

2321. **Shri Chhabiram Argal:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 493 on 15th June, 1977 and state the amount of tax outstanding against each of the 16 industrial houses having assets worth more than 100 croes?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Zulfiqarulla) : The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

'गारोहिल्स' की कपास का जापान को निर्यात

2322. **श्री पो० ए० संगमा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय के गारोहिल्स जिले में उत्पादित कपास विश्व में सबसे अच्छी किस्म की होती है;

(ख) क्या गारोहिल्स की कपास का जापान एकमात्र आयातकर्ता है;

(ग) गारोहिल्स की कपास के निर्यात के आधार पर आयात के लिये किन किन फर्मों को आयात लाइसेंस दिये गये हैं; और

(घ) जापान को किस दर से उक्त कपास बेची जा रही है, उत्पादकों ने किस दर पर खरीदी जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) मेघालय के गारो हिल्स जिले में उगाई जाने वाली कपास का नाम असम कोमिल्ला है। यह मोटी किस्म की कपास होती है और कताई के प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल नहीं की जाती। अत: जहां तक कताई योग्य कपास का सम्बन्ध है इसे विश्व की कपास की सबसे अच्छी किस्मों में से नहीं माना जा सकता। इस कपास का इस्तेमाल गद्दे आदि भरने के लिये किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) चूंकि असम कोमिल्ला (मेघालय के गारो हिल्स जिले में उगाई जाने वाली कपास) का निर्यात खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत है अत: इस कपास के निर्यात के लिये निर्यात लाइसेंस दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 1976-77 कपास मौसम में जापान को उक्त कपास 15 रु० प्रति कि० ग्रा० की औसत कीमत पर बेची गई। चूंकि निजी व्यापारीयों द्वारा किसानों से सीधे खरीदारी की जाती है अत: यह जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Use of Hindi in the Ministry of Finance

2323. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :—

(a) whether most of official work in his Ministry and its subordinate offices is still being done in English;

(b) the steps taken by the Ministry to encourage the use of Hindi in official work ;

(c) the progress made in this regard after the formation of Janata Government; and

(d) the prospective plans in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Yes, Sir.

(b) the following steps are being taken to encourage the use of Hindi:—

(i) Employees are being trained in the use of Hindi by organising workshops;

(ii) Some of the employees are being sponsored for intensive training courses;

(iii) Wide publicity has been given to different incentive schemes like lumpsum awards for passing examinations in Hindi, Hindi Stenography and Hindi Typewriting;

(iv) Official Language Implementation Committees have been formed and meetings are being held regularly to stress the need for use of Hindi in office work;

(v) Standard drafts and notes are translated in Hindi and are used by employees in their day to day work;

(vi) Procedural literature like Manuals, Codes, Rules, etc. is being translated into Hindi and printed in diglot form.

(c) Implementation of the Official Language policy of the Government of India is a continuing process.

(d) There are no separate plans for the Ministry of Finance. Instructions received from the Department of Official Language in this regard are being followed.

Talks between India and European Common Market in Brussels

2324. **Shri Natwarlal B. Parmar:**
Shri C. K. Chandrappan:
Shri S. G. Murugaiyan:
Shri M. Kalyanasundaram:

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether talks were held between India and European Common market in Brussels in the third week of November this year in regard to the limit of export of Indian cotton clothes; and

(b) if so, the conclusions arrived at therein?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig): (a) & (b): Talks between India and the European Economic Community are still in progress in Brussels and no final agreement has been reached so far.

Inclusion of Birla Group of Industries in Black List

2325. **Shri Hukmdeo Narain Yadav:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state:

(a) the reasons why Government are delaying the question of inclusion of Birla Group of Industries in the Black List when this Group is under prosecution for evading taxes; and

(b) whether Government propose to include these industries in the Black List?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Beg): (a) Presumably the Honourable Member has in mind the possibility of "blacklisting" persons and firms (from dealings with Government) with reference to the import/export law and procedures. However, the Imports and Exports (Control) Act and Control Orders thereunder do not provide for such "blacklisting". Even penal and other like action provided in or under this statute cannot be taken on account of evasion of tax as such.

(b) Does not arise.

श्रीमती गांधी की सरकार में मंत्रियों के निजी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

2326. **श्री लखनलाल कपूर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीमती गांधी की सरकार में प्रधान मंत्री सहित मंत्रियों के उन निजी कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्होंने और उनके परिवारों ने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक धन एकत्र कर लिया था;

(ख) क्या ऐसी शिकायतों के अनुसरण में आयकर विभाग ने कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) तथा (ग) : कथित कर-अपवंचन के बारे में आय-कर विभाग द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल की जा रही है: —

श्री यशपाल कपूर, निजी सचिव, भूतपूर्व प्रधान मंत्री;
श्री आर० के० धवन, अपर निजी सचिव, भूतपूर्व प्रधान मंत्री;
श्री के० एल० धवन, विभिन्न मंत्रालयों में मंत्रियों के भूतपूर्व निजी सचिव;
श्री एन० के० सिंह, विशेष सहायक, भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री;
श्री आर० सी० मेहताना, विशेष सहायक, भूतपूर्व रक्षा मंत्री ।

मैसर्स इलाइट टूरिस्ट सर्विस, दिल्ली के मामले में भी पूछताछ की जा रही है, जिसके बारे में आरोप लगाया गया है कि उसमें भूतपूर्व सरकार के मंत्रियों की वैयक्तिक कर्मचारियों में से कुछ कर्मचारियों का हित निहित था।

2. पूछताछ पूरी होने के पश्चात् कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जायगी।

मूंगफली का समर्थन मूल्य

2327. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू मौसम के दौरान मूंगफली का समर्थन मूल्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मुनासिब किस्म की छिलके वाली मूंगफली का समर्थन मूल्य 1976-77 के फसल मौसम में 140 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले 1977-78 के फसल मौसम के लिए 160 रुपये प्रति क्विंटल नियत किया है।

वर्ष 1976-77 तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यात की गई चीनी की मात्रा

2328. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1976-77 के दौरान तथा इस वर्ष अब तक चीनी का कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : वित्तीय वर्ष 1976-77 के दौरान 151.68 करोड़ रुपये मूल्य की 5.80 लाख मे० टन चीनी निर्यात की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम ने अब तक 10.43 करोड़ रुपये मूल्य की 0.45 लाख मे० टन चीनी निर्यात की है।

चाय बागान

2329. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में चाय बागान लगाने को प्रोत्साहन दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने बागान लगाने के लिये कितनी सहायता दी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार चाय बोर्ड की मार्फत चाय उपजकर्त्ताओं को ऋण और इमदाद के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। चाय विकास योजनाओं में ये शामिल हैं : (1) पुनर्रोपण इमदाद योजना और (2) चाय बागान वित्त योजना जिसके अन्तर्गत चाय क्षेत्रों को रोपण और पुनर्रोपण के लिये इमदाद और ऋण दिये जाते हैं तथा (3) चाय मशीनरी तथा सिंचाई उपस्कर किराया खरीद योजना जिसके अन्तर्गत किराये पर खरीद के आधार पर मशीनरी दी जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत वितरित कुल राशि निम्नोक्त प्रकार है : (लाख रु० में)

वर्ष	चाय बागान वित्त योजना	पुनर्रोपण, बदल, जीर्णोद्धार योजना	किराये पर खरीद योजनाएं
1974-75 . . .	10.23	25.26	85.19
1975-76	14.52	28.90	99.77
1976-77	30.18	34.29	119.80

आर्थिक अपराधों की रोकथाम के उपाय

2330. **श्री उग्रसेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार क्या अत्यावश्यक उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : सरकार ने तस्करी और विदेशी मुद्रा की जालसाजी को रोकने के लिये, निवारक तथा प्रवर्त्तन तन्त्र को सुदृढ़ करके विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के उपबंधों का चयनात्मक उपयोग करके और उपयुक्त आर्थिक उपाय करके तीन-तरफा हमला शुरू किया है। तस्करों और विदेशी मुद्रा छल-साधकों तथा उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा गैर-कानूनी तौर से अर्जित की गई सम्पत्तियों के समपहरण के लिये भी तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का प्रयोग किया जाता है ताकि उन्हें गैर-कानूनी तरीकों से प्राप्त किये गये लाभों से वंचित किया जा सके।

कुछ विनिर्दिष्ट व्यवसायों के संबंध में और कुछ अन्य कारोबार तथा व्यवसायों के बारे में आय/कुल बिक्री की कुछ निर्धारित सीमाओं से ऊपर, लेखा रखने की अनिवार्य व्यवस्था करके, काला धन बाहर निकालने और उसके प्रसार को रोकने के लिये, प्रत्यक्ष कराधान संबंधी कानून में पहले ही किये जा चुके संशोधनों के अतिरिक्त अब कर अपवंचन को रोकने के लिये, गुप्त सूचना एकत्र करके, जांच करके लेखा-बहियों की जांच पड़ताल करके तथा तलाशियां लेकर एक समन्वित प्रयास किया जा रहा है।

Trade Centre Scheme in States

2331. **Shri Phool Chand Verma :**
Shri N. K. Shejwalkar :

Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether Government had introduced a Trade Centre Scheme in some States;

(b) if so, the names of the States in which this scheme was introduced; and

(c) the progress made in the implementation of this scheme in those States?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस

2332. **श्री वीरेन्द्र प्रसाद :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस मिलता था किंतु आपात स्थिति के दौरान बंद कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें बोनस देने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : 1974 के समझौते के अनुसार (1-4-1973 से 31-3-1977 तक) जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों को बिना किसी अधिकतम सीमा के वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत की दर से बोनस दिया जाना था। उन्हें दो वर्षों अर्थात् 1973-74 और 1974-75 का बोनस दिया जा चुका है।

2. सितम्बर, 1975 में एक अध्यादेश जारी करके बोनस की अदायगी अधिनियम, 1965 में जो संशोधन किए गए थे उनके अनुसार सरकार ने यह फैसला किया कि लेखा वर्ष 1974/1974-75 से बैंकों, जीवन बीमा निगम साधारण बीमा सहित गैर-प्रतियोगी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को अनुग्रही अदायगी कर दी जाए। अनुग्रही अदायगी की रकम शून्य से दस प्रतिशत तक थी जो संबद्ध उद्योग के मजदूरी स्तर, वित्तीय परिस्थितियों और अन्य तत्संबंधी तथ्यों पर निर्भर थी।

3. परन्तु जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के संबंध में इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करना संभव नहीं है क्योंकि निगम और उसके कर्मचारियों के बीच बिना किसी अधिकतम सीमा के वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत की दर से बोनस की अदायगी का एक स्थायी समझौता था। इन कर्मचारियों को साधारण बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए 1974 के समझौते के उपबन्धों को, जहांतक उनका सम्बन्ध बोनस की अदायगी से था, जीवन बीमा निगम (समझौते में संशोधन) अधिनियम, 1976 जो 1-4-1976 से लागू हुआ था, के द्वारा रद्द कर दिया गया।

4. यद्यपि यह फैसला किया गया था कि 1975-76 के वर्ष के लिए पात्र कर्मचारियों को वार्षिक वेतन के 4 प्रतिशत की दर से अनुग्रही अदायगी कर दी जाए, किन्तु कर्मचारियों द्वारा रकम लेने से इंकार कर दिए जाने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

5. जीवन बीमा निगम के तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों की दो यूनियनों ने उच्चतम न्यायालय में जीवन बीमा निगम (समझौते में संशोधन) अधिनियम, 1976 की वैधता को चनौती दी है। चूंकि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चल रही है, अतः इस हालात में सरकार को फैसले का इन्तजार है।

Export of Potatoes

2333. **Shri Ram Lal Rahi:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state:

(a) whether Government banned the export of potatoes during February, 1977 as a result of which frustration is prevailing among the potato-growers and the prices of the potatoes are showing downward trend;

(b) if so, when Government propose to lift the ban on potato exports; and

(c) foreign exchange earned as the result of export of potato in 1974-75, 1975-76 and 1976-77?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Beg): (a) Exports of potatoes were banned in February 1977 in view of the fact that the domestic prices of potatoes were moving up and the expectation of the crop was not good. Even after the ban

on exports the prices continued to show an upward trend and the monthly index of wholesale prices have generally been in the post-ban period higher than the prices prevalent at the time of imposition of ban. In view of these facts it would not be correct to say that the imposition of ban on export of potatoes in February 1977 has resulted in a downward trend of prices and caused frustration among the potato growers.

(b) The question of lifting the ban on potato exports will be considered at appropriate time keeping in view the crop prospects availability and prices as under :—

(c) Exports of potatoes in terms of value in the relevant period have been as usder :—

Year	(Value (in Rs.lakhs)
1974-75	68.66
1975-76	348.17
1976-77	585.15

चीनी का कम मात्रा में निर्यात करने का निर्णय

2334. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अपेक्षाकृत कम मात्रा में चीनी का निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : जुलाई, 1977 में सरकार ने यह निर्णय लिया था कि वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान, चीनी वर्ष 1976-77 में हुए उत्पादन में से विद्यमान पक्की वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की अनुमति इस तरह से दी जाये ताकि हानि कम से कम हो। इस प्रकार पूरी की जाने वाली कुल वचनबद्धताएं 1,45,000 मे० टन की थी जिनमें से 1,20,000 मे० टन ईरान के लिए और 25,000 मे० टन यूरोपीय आर्थिक समुदाय के लिए थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम ने 1976-77 के दौरान निर्यात के लिए संविदा की गई चीनी की मात्रा में से 10.43 करोड़ रु० मूल्य की 0.45 लाख मे० टन चीनी निर्यात की है।

Smuggling of valuable life saving medicines

2336. **Shri Brij Bhushan Tiwari :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the 'Economic Times' dated 29th October, 1977 that there is large scale smuggling of valuable life saving medicines such as Prednosolon, Tetracycline and Analgin; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) Yes Sir. There was a press report to this effect. However, the report received by the Government do not indicate large scale smuggling of any of these drugs in the country recently.

(b) Does not arise. However, the position is being kept under careful watch.

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन

2337. **श्री पी० के० कोडियान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या सरकार विदेशी मुद्रा-नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है और उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जब कभी किसी विदेशी कम्पनी की किसी शाखा अथवा उसकी भारतीय सहायक कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन किये जाने का मामला प्रवर्तन निदेशालय की जानकारी में आता है तो उस मामले में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(ख) 1-11-1974 से 31-10-1977 तक के पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों की 12 शाखाओं तथा विदेशी कम्पनियों की 6 भारतीय सहायक कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के विभिन्न मामलों में दोषी पाया गया है और उन पर अर्थदण्ड लगाये गये हैं।

टिप्पणी : उक्त सूचना, 31 मार्च 1977 की स्थिति के अनुसार, विदेशी कम्पनियों की शाखाओं के रूप में भारत में कार्य कर रही 482 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की तथा 31 मार्च 1976 की स्थिति के अनुसार, भारतीय सहायक कम्पनियों के जरिए भारत में कार्य कर रही 171 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सूची तक सीमित है। यह सूची कम्पनी कार्य विभाग द्वारा रखी गई है।

Central Co-operative College at Kota

2338. **Shri Chaturbhuj :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether a Central Co-operative College is being opened in Kota, Rajasthan to prepare trained officers for running co-operative societies in the country;

(b) the method of teaching and main characteristics of the said college; and

(c) the amount of Central assistance to be provided therefor and when this college is likely to start functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri K. K. Goyal): (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

पाकिस्तान से कोका कोला की तस्करी

2339. **श्री शंकरसिंहजी बाघेला :**
श्री अनन्त दवे :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 18 सितम्बर, 1977 के 'इकनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि भारत में कोका कोला के बनाये जाने पर लगाये गये पूर्ण प्रतिबंध के बाद प्रत्येक रात को पाकिस्तान से ट्रकों द्वारा कोका कोला की तस्करी की जा रही है; और

(ख) इस बारे में तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां। इस आशय की एक खबर थी। लेकिन, सरकार को मिली रिपोर्ट से, पाकिस्तान से भारत में कोका-कोला को ऐसी किसी तस्करी का पता नहीं चलता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि पाकिस्तान से देश में कोका-कोला की तस्करी का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए पदों का आरक्षण

2340. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए पदों के आरक्षण के बारे में विद्यमान प्रक्रिया क्या है;

(ख) सरकार के विभागों में प्रचलित प्रक्रिया से इन उपक्रमों में विद्यमान प्रक्रिया कितनी भिन्न है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी उपक्रमों में वैसी ही प्रक्रिया अनिवार्य बनाने का विचार है जैसी सरकारी विभागों में विद्यमान है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मोटे तौर पर सरकारी उद्योगों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए रिक्त पदों के आरक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार है : —

क.

सीधी भर्ती	अनुसूचित जाति	अनुसूचित आदिम जाति
(i) अखिल भारतीय स्तर पर खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती	15%	7½%
(ii) उपयुक्त (i) के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर सीधी भर्ती	16⅔%	7½%
(iii) श्रेणी III और IV के पदों के लिए सीधी भर्ती जिसमें सामान्यतः स्थानीय या क्षेत्रीय उम्मीदवारों को बुलाया जाना है	अलग-अलग राज्यों में स्थिति भिन्न-भिन्न है ।	

ख. पदोन्नति के मामले में ऐसे पद जिनके लिए सीधी भर्ती का अंश $66\frac{2}{3}\%$ से अधिक न हो—

(i) श्रेणी II, III और IV में वे पद जिन पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा पदोन्नति की जाती है।

(ii) श्रेणी II से श्रेणी I के निम्नतम सोपान या वर्ग में तथा श्रेणी II, III और IV के पदों पर चयन द्वारा।

(iii) श्रेणी I, II, III और IV के ऐसे पद जिन पर वरीयता के साथ-साथ सुयोग्यता के आधार पर पदोन्नति की जाती है।

सरकार या सरकारी उद्यमों की सेवाओं में पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पदों का कोई आरक्षण नहीं है।

(ख) और (ग) : अभी भी आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के मूल सिद्धान्तों अर्थात् आरक्षित पदों के प्रतिशत आदि के बारे में जो व्यवस्था सरकारी विभागों में है, उसमें सरकारी उद्यमों द्वारा कोई फर्क नहीं किया गया है।

विदेशी बैंकों को भारत में सरकारी उपक्रमों में पूंजी-निवेश के लिये तैयार करना

2341. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने देश में सरकारी उपक्रमों में विदेशी बैंकों को पूंजी निवेश करने के लिए तैयार करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : 1967 में आरम्भ किये गये सामाजिक नियंत्रण के उपायों के अंग के रूप में, विदेशी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत में अपनी कुल जमाओं के 3.5 प्रतिशत तक विदेशी निधियां भारतीय व्यवसाय में लगायें। इस अपेक्षा के कार्यान्वयन में विदेशी बैंकों ने सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठानों को 13.57 करोड़ रुपये की राशि के ऋण विदेशी मुद्रा में दिये हैं। भारत में अपने सामान्य परिचालन के अंग के रूप में, विदेशी बैंकों ने इस देश के सरकारी क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठानों को ऋण सुविधाएं भी मंजूर की। 7 विदेशी बैंकों द्वारा सरकारी क्षेत्र के 20 प्रतिष्ठानों को मंजूर की गई इस प्रकार की ऋण-सीमाओं की राशि कुल मिलाकर 42.96 करोड़ रुपये है।

Government Representatives Visited Abroad

2342. **Shri Rameshwar Patidar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of the persons who went to various countries abroad as representatives of Government during the past six months; and

(b) the amount of expenditure incurred on them in Indian rupee and in foreign exchange, separately?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) & (b): The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Setting up of factories in Afghanistan

2343. Shri Govind Verma: Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up new industries in Afghanistan; and

(b) if so, the number and the terms and conditions thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

प्रधानमंत्री द्वारा यात्रा कर रहे विमान का अपहरण रोकने के लिये सुरक्षा उपाय

2344. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपहरण को अचानक बढ़ती हुई घटनाओं और देश तथा प्रधान मंत्री के हित को ध्यान मे रखते हुए प्रधानमंत्री द्वारा अपनी यात्रा के लिए वाणिज्यिक उड़ानों का प्रयोग करने के बारे में पुनः विचार किया जाएगा ;

(ख) क्या इस बात का आश्वासन दिया जाएगा कि उन विमानों का अपहरण रोकने के लिए विशेष सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं जिनमें प्रधान मंत्री यात्रा करना चाहते हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : प्रधान मंत्री जी को वणिज्यिक उड़ानों द्वारा उनकी यात्रा से संबद्ध सुरक्षा पहलुओं की पूरी जानकारी है, तथा यथा-चित पूरे सुरक्षा उपाय हमेशा ही किये जाते हैं जिनमें अपहरण और तोड़ फोड़ को रोकने के लिए एहतियातें भी शामिल हैं।

(ग) इस संबंध में किए जाने वाले उपायों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

'पी' फार्म का जारी करना

2345. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विदेश यात्रा के लिए "पी" फार्म देने के बारे में दी गई ढील को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार "पी" फार्म देने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों को प्राधिकृत करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नही है।

इंडियन ओवरसीज बैंक बम्बई द्वारा शोभना टैक्सटाइल को दिया गया ऋण

2347. **डा० बलदेव प्रकाश** :क्या **वित्त**मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में माटुंगा स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की तिलंग रोड़ स्थित शाखा ने वर्ष 1973 में शोभना टेक्सटाइल्स को ऋण दिया था और यदि हां, तो वह कितना था;

(ख) इस फर्म ने बैंक को कितना ब्याज अदा किया; और

(ग) यदि बैंक को कोई ब्याज नहीं दिया गया हो, तो उसको बकाया राशि कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) इण्डियन ओवरसोज बैंक, तिलंग रोड़, माटुंगा, बम्बई द्वारा वर्ष 1973 में शोभना टेक्सटाइल्स को निम्नलिखित ऋण सुविधायें उपलब्ध करायी गयी थी :

1. इनलैंड लिखित मांग बिल खरीद . . .	11.50	लाख रुपये
2. इनलैंड लिखित मोयादी बिल खरीद . . .	2.50	लाख रुपये
3. महत्वपूर्ण (की) नकद ऋण	2.00	लाख रुपये
4. अस्थायी ओवरड्राफ्ट	0.50	लाख रुपये
5. महत्वपूर्ण (की) ऋण	0.75	लाख रुपये

बैंक ने सूचित किया है कि देय ब्याज को छोड़कर इस समय का बकाया 3.32 लाख रुपये है ।

(ख) फर्म द्वारा बैंक को 30-6-1974 तक दिया गया ब्याज 2.55 लाख रुपये है।

(ग) फर्म ने बैंक को 31-10-1977 तक ब्याज के बकाया के 2.36 लाख रुपये की अदायगी नहीं की है। यह पता चला है कि फर्म का कारोबार कुप्रबन्ध से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों के कारण स्थगित रहा है । बैंक ने सूचित किया है कि वह अपनी राशियों की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की कार्रवाई कर रहा है ।

कोहनूर मिल्स को दिये गये सेन्ट्रल बैंक ऋण की जांच करने के लिये समिति का गठन

2348. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेन्ट्रल बैंक द्वारा कोहनूर मिल्स को आपात स्थिति के दौरान दिए गए ऋण की जांच करने के लिए कोई समिति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के कौन-कौन सदस्य हैं और उसके निदेश पद क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : सरकार ने सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कोहिनूर मिल्स कम्पनी लिमिटेड को दी गई ऋण सुविधाओं की जांच करने के लिये नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय के निदेशक श्री डो० एन० घोष के अधीन एक-सदस्यीय समिति नियुक्त की है। भारत के असाधारण राजपत्र में 30 अगस्त,

1977 को प्रकाशित संकल्प की प्रति संलग्न है जिसमें नियुक्ति की घोषणा की गई है और उसके विचारनिय विषय दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1245/77]

भारतीय राजस्व-सेवा के अधिकारी

2349. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राजस्व सेवा के जो अधिकारी इस समय भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों सरकारी उपक्रमों स्थानीय निकायों दिल्ली नगर निगम में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके नाम और पदनाम क्या हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि क्या है;

(ख) इन अधिकारियों में से किन-किन को प्रतिनियुक्ति देने वाले कार्यालयों में पदोन्नतियां मिल गई है; उन्हें किस-किस पद पर पदोन्नति मिली हैं उन पदों के वेतन क्या है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों की पदोन्नतियों और अवधि-विस्तार पर अपनी सहमति देते समय उनका मंत्रालय इस बात का ध्यान रखता है कि विभिन्न सेवाओं में ऐसे अधिकारियों से जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उन्हें पदोन्नति के मामले में केवल इसलिए हानि न उठानी पड़े कि वे प्रति नियुक्ति पर नहीं है; और

(घ) उनमें से किन-किन अधिकारियों को अवधि प्रतिनियुक्ती वाले विभागों में उनकी उच्च पदों पर पदोन्नति के बाद बढ़ाई गई है और किसनी-कितनी अवधि के लिए?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : भारतीय राजस्व सेवा (आयकर) के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना नीचे प्रस्तुत है।

(क) भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा के उन अधिकारियों की एक सूची संलग्न है जो राजस्व विभाग से बाहर संवर्गबाह्य पदों पर कार्य कर रहे हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1246/77]

(ख) सलग्न सूची में शामिल किये गये केवल दो अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति देने वाले विभागों में पदोन्नतियां मिली है। उन के बारे में विवरण नीचे दिया गया है :—

(i) श्री आर० सी० मिश्र को 14-10-1973 को कार्मिक विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था और उन्हें सितम्बर, 1976 से उसी विभाग में अपर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अपर सचिव के पद से सम्बद्ध वेतन 3000.00 रु; प्रति मास है।

(ii) श्री एम० जो० माथुर टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार सचिवलाय, जेनेवा में अगस्त 1964 में प्रतिनियुक्ति पर गये थे। टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार के उप महानिदेशक के जिस पद पर श्री माथूर आजकल कार्य कर रहे हैं उस पद से सम्बद्ध-वेतन के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रतिनियुक्ति से संबंधित पदो के लिए अधिकारियों का चयन, संवर्ग प्राधिकारी द्वारा भेजे गये योग्य तथा इच्छुक अधिकारियों के पेनल में से प्रतिनियुक्ति देने वाले कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है । प्रतिनियुक्ति देने वाले कार्यालय में प्रति नियुक्ति पर गये अधिकारी के किसी उच्च पद पर पदोन्नत किये जाने के कारण मूल संवर्ग के अन्य अधिकारियों की पदोन्नति के सम्भाव्य अवसरों पर कोई असर नहीं पड़ता । जब प्रतिनियुक्ति पर गया अधिकारी मूल संवर्ग में वापस आता है तो उसे संवर्ग में अपनी वरिष्ठता की स्थिति के अनुसार अपना स्थान लेना होता है और ऐसा करते समय उन पदोन्नतियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता जो उसे प्रतिनियुक्ति देने वाले विभाग में दी गई हो ।

(घ) टैरिफ और व्यापार के सामान्य करार में श्री एम० जी० माथुर के कार्याकाल की अवधि को 31-12-1980 तक बढ़ा दिया गया है ।

हैदराबाद हवाई अड्डे की सीमा शुल्क हवाई अड्डे के रूप में मान्यता

2350. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं के निर्यात के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे की सीमा शुल्क हवाई अड्डे के रुप में मान्यता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) : नीचे निर्दिष्ट निर्यात माल के लदान के प्रयोजन के लिए, हैदराबाद स्थित विमान-पत्तन को, दिनांक 26 अक्तुबर, 1977 की अधिसूचना सं० 228/77-सी० शु० द्वारा सीमा-शुल्क विमान-पत्तन के रुप में नियत किया गया है :—

(i) ताजी सब्जियां

(ii) ताजे फल

(iii) प्रसंस्कृत खाद्य

(iv) कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद

(v) मांस एवं मांस उत्पाद, जिसमें जीवित पशु भी शामिल हैं

(vi) चर्म एवं चर्म उत्पाद

(vii) हैडलूम

(viii) तैयार वस्त्र

(ix) हस्तकला वस्तुएं

(x) रसायन

(xi) इंजीनियरी उत्पाद

(xii) काच और कांच का सामान ।

भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3 उपभाग (ii) में 26 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अक्तूबर, 1977

अधिसूचना

सीमा शुल्क

का० आ० 737 (अ०)—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधीनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे विनिर्दिष्ट निर्यात माल के लदान के प्रयोजन के लिए, हैदराबाद स्थित विमानपत्तन को, जब ऐसे माल को उक्त सीमा-शुल्क विमान पतन से बाहर भेजा जाए, सीमा शुल्क विमान-पत्तन के रूप में नियत करती है, अर्थात् :—

(i) ताजी सब्जियां
(ii) ताजे फल
(iii) प्रसंकृत खाद्य
(iv) कुक्कुट एवं कुक्कुट उत्पाद
(v) मांस एवं मांस उत्पाद जिसके अंतर्गत जीवीत पशु भी है
(vi) चर्म एवं चर्म उत्पाद
(vii) हैण्डलूम
(viii) तैयार वस्त्र
(ix) हस्ताकला वस्तुएं
(x) रसायन
(xi) इंजीनियरी उत्पाद
(xii) कांच और कांच का सामान

ह० एन० कृष्णमुर्ति
अवर सचिव, भारत सरकार

अधि० सं० 228/77-सी० श० फा० सं० 481/49/77 सी० शु०-7

सिंडिकेट बैंक का राष्ट्रीयकरण

2351. **श्री एस० ननजेश गौडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंडिकेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था; मुआवजे की जितनी राशि का भुगतान किया गया और किसे भुगतान किया गया था;

(ख) राष्ट्रीयकरण के बाद सिंडिकेट बैंक के कौन-कौन चेयरमैन रहे; और

(ग) क्या बैंक के वर्तमान चेयरमैन श्री के० के० पाई का भूतपूर्व केन्द्रीय उद्योग मंत्री से सम्बन्ध है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 19 जुलाई, 1969 को सिंडीकेट बैंक लिमिटेड को प्रतिष्ठान को "तदनुरूप नये बैंक अर्थात् सिंडीकेट बैंक को बैंकिंग कम्पनी (प्रतिष्ठनों का अधिग्रहण ओर अंतरण) अधिनियम, 1970 की धाराओं 3 और 4 के अधीन अंतरित और विहित कर दिया गाय था । अधिनियम का धारा 6 के अनुसार क्षतिपूर्ति के रुप में 360 लाख रुपये "सिंडीकेट बैंक लिमिटेड को दिये गये थे;

(ख) (1) श्री टी० ए० पै० भूतपूर्व बैंक के अभिरक्षक (स्टेडियन)

(2) श्री के० के० पै० वर्तमान अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक

(ग) जी, हां ।

दिल्ली से भुवनेश्वर के लिये सीधी बोइंग सेवा

2352. **श्री सरत कार :**

श्री गणनाथ प्रधान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए सीधी बोइंग सेवा की आवश्यकता के होते हुए भी यह सेवा किस कारण से प्रारम्भ नहीं को जा रही है ; और

(ख) इसे कब तक लागू किया जायेगा ;

(ग) इस समय चल रही दूसरी उड़ान रद्द करने के क्या कारण हैं जिससे विशिष्ट व्यक्तियों और पर्यटकों को बहुत दिक्कतें हो रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : संभावित यातायात के बहुत कम होने के कारण दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच सीधी बोइंग सेवा आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है । इंडियन एयरलाइन्स की निकट भविष्य में इस प्रकार की सेवा परिचालित करने की कोई योजना नहीं है ।

(ग) विमान सेवा आइसी 271/272 (कलकत्ता-भूवनेश्वर-कलकत्ता) जो सप्ताह में चार बार परिचालन कर रही थी रोक देनी पडी; क्योकि एक और एफ–27 विमान एक महत्वपूर्ण निरीक्षण के लिये सेवा से हटा लेना पड़ा था ।

उड़ीसा में पर्यटक लॉज और होटल

2353. **श्री जेना बैरागी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा राज्य की विशाल पर्यटन सम्भाव्यता का उपयोग करने के लिए अधिक संख्या में पर्यटक लाजों और होटलों का निर्माण करने में क्यों गम्भीर रूप से रूचि नहीं ले रहा है?

पयटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : उड़ीसा राज्य की पर्यटन सम्भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए भारत पर्यटन विकास निगम पहले ही 40 लाख रूपये की अनुमानित लागत से भुवनेश्वर के यात्री-लाज का 24 कमरों वाला एक और ब्लाक बना कर विस्तार कर रहा है । निधियों की उपलब्धता तथा व्यवहार्यता अध्ययन के संतोषप्रद होने की स्थिति में निगम की पुरी में एक होटल बनाने की भी योजना है ।

भारतीय विमान परिचारिकाओं की सेवा निवृत्ति

2354. **श्री यादवेन्द्र दत्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया में काम करने वाली भारतीय विमान परिचारिकाओं और योरूपीय विमान परिचारिकाओं के विवाह के मामले में एयर इण्डिया भेदभाव करता है ;

(ख) क्या भारतीय विमान परिचारिकाएं यदि वे विवाह कर ले, तो वे तुरन्त सेवा-निवृत्त कर दी जाती हैं जबकी यूरोपीय विमान परिचारिकाओं को सेवानिवृत्त नहीं किया जाता और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विमान परिचारिकाओं को 30 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त कर दिया जाता है जबकी उसका फ्लाइट पर्सर, पुरूष साथी 58 वर्ष की आयु पर सेसानिवृत्त होता है और यदि हां, तो क्यों ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : एयर इण्डिया कर्मचारी सेवा विनियमों के अनुसार विमान परिचारिकाएं शादी हो जाने अथवा 35 साल की आयु हो जाने पर सेवानिवृत्त हो जाती हैं, परन्तु यदि वे मेडीकल आधार पर स्वस्थ होती हैं तो उन्हे चालीस साल की आयु तक एक एक साल करके सेवाकाल की वृद्धि प्रदान की जा सकती है । परन्तु 1975 में पारित किये गये स्थानीय सरकारी कानूनों के कारण एयर इण्डिया को अब यूरूपीय विमान परिचारिकाओं को शादी हो जाने के बाद भी सेवा में बने रहने की अनुमति देनी पड़ती है। ये कानुन कारपोरेशन को इन विमान परिचारिकाओं को सेवा से निवृत्त होने के लिए मजबूर करने अथवा उनकी सेवाओं को समाप्त करने की अनुमति नहीं देते ।

(ग) जी, हां । विमान परिचारिका का कार्य एक बड़ा श्रम साध्य कार्य है क्योंकि वह केबिन में यात्रियों की सेवा का मुख्य भार वहन करती है और उस की तुलना किसी भी अन्य उद्योग में किसी भी अन्य व्यवसाय से नहीं की जा सकती । इसके अलावा, विमान परिचारिकाएं सामान्यता 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही शादी कर लेती हैं। उनकी सेवा-निवृत्ति की आयु निर्धारित करते समय इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है ।

खाद्य तेलों और दालों के लिये भी दोहरी मूल्य नीति लागू करने का प्रस्ताव

2355. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों और दालों के संबंध में भी दोहरी मूल्य नीती लागू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) जी नहीं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन में वृद्धि के लिये प्रयास

2356. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में जितने पर्यटक आने चाहिएं, उससे कम आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारत में अन्तर ष्ट्रीय प र्टन को बढावा देने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं अथवा करना चाहती है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, अपने पर्यटक आकर्षणों को विविधता प्रदान करने तथा जहां तक संभव हो सके, अंतरराष्ट्रीय पर्यटक यातायात को पूरे देश में समान रूप से फैला देने के उद्देश्य से, पर्यटन विभाग ने एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइन्स, ट्रैवल एजेंसियों तथा होटलियरों के साथ समन्वय करके, "कार्तिकेय टूर" के नाम से एक सात दिन का दक्षिण भारत पेकेज टूर आयोजित किया था । हाल ही में पर्यटन विभाग ने इस क्षेत्र के आकर्षणों का प्रचार करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों के समन्वय से एक "डेस्टीनेशन साउथ इंडिया" कार्यक्रम भी परिचालित किया था । इन दोनों कार्यक्रमों से दक्षिण भारत के लिये पर्यटक यातायात को बढावा देने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

Representation of Adivasis in the Tea Management

2357. **Shri Pius Tirkey :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether in accordance with the Notification (Tea Control) dated 21st September, 1977, issued under the Tea Act, Government are ensuring for the adivasi workers of the tea gardens who constitute 99 per cent of the working force, due representation and proper operational training and whether the adivasis, besides working as labourers, can also hope to get representation in the Tea Control Board and all its branches and be entitled to participate in the management;

(b) the number of tribals appointed to the managerial or other equivalent posts;

(c) the number of tribals and non-tribals among the grocers in the tea gardens; and

(d) whether the Central Government will take over the responsibility of providing education and training to the workers in the tea gardens, all of whom are Hindi speaking, instead of leaving the matter to the State Government?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Co-operation (Shri Arif Baig) : (a) The Notification (Tea Control) dated 21st September, 1977 relate to revision of rules regarding recruitment and conditions of service of officers of the Tea Board appointed by Government. Operational training and promotion of adivasi workers to management cadres in the tea industry is a responsibility of the industry. So far as representation on the Tea Board is concerned, the Board consists of thirty members other than Chairman representing different interests. Members representing different

interests are appointed by Government to the Tea Board. Though there is no separate representation for adivasis as such, due representation for adivasis can be given as and when considered necessary. As for employment under the Tea Board, the Board is following Government instructions in the matter of recruitment, promotion of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(b) & (c) : Information is not available with the Tea Board.

(d) Education and training of workers is mainly the responsibility of the State Governments and the employers concerned. Nevertheless Tea Board provides supplemental assistance for education of wards of tea garden workers by granting stipends and financial grants to educational institutions for construction of hostels and school/college buildings, provision of specialised medical treatment facilities. Total expenditure on this account by Tea Board is about Rs. 6 lakhs per annum.

बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही

*2358. **श्री के० लक्कप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बहुराष्ट्रीय कंम्पनियों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभी हाल के महीनों में क्या निश्चित उपाय किये गये हैं; और

(ख) जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, वे किन किन विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन या व्यापार करती है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : विदेशी कम्पनियों द्वारा नए निदेशों के संबंध में सरकार की नीती चयनात्मक है। इसके लिए उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रोया निर्यात-प्रधान उद्योमों में अनुमति दी जाती है। पहले से कारबार कर रहे कंपनियों के मामलों में, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबंध कड़ाई से लागू किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत, प्राथमिकता-भिन्न क्षेत्रों में कारबार करने वाली कपनियों से यह अपेक्षा की गई है वे अनिवासी शेयरधारिता को घटा कर 40 प्रतिशत तक ले आएं और जब तक कि वे ऐसा नहीं कर देते, उन्हें अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती ।

Amount Deposited in Nationalised Banks by Foreign Citizens of Indian Origin

2359. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange sent by Indians residing abroad or foreign citizens of Indian origin to their relatives during last year; and

(b) the amount deposited in Nationalised Banks of India so far by foreign citizens of Indian origin in pursuance of the new policy of the Indian banks?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) According to the records of the Reserve Bank, the total amount of non-export inward remittances during the calender year 1976 comes to Rs. 1514.86 crores. This amount represents gross non-export receipts which include all kinds of receipts such as airlines receipts, shipping receipts, insurance receipts, dividend receipts, tourism

receipts etc., besides the four heads of receipts relevant to the term "inward remittances" namely,

(i) family maintenance;
(ii) savings of non-residents;
(iii) migrants' transfers; and
(iv) money-order receipts.

Since the Indian banks are not required to furnish details to RBI of inward remittances where individual remittance is less than Rs. 1,00,00 in value, it is not feasible to give the break-up of figures of inward remittances made to relatives or for other purposes.

(b) Presumably the hon'ble Member is referring to the scheme "Foreign Currency Non-Resident Accounts", which was introduced with effect from the 1st November, 1975. If so, the amounts deposited under these accounts are £ 5,196,500 and $ 111,448,000 for the period from 1st November, 1975 to 31st October, 1977. These figures relate to deposits made in all banks and not only nationalised banks, both by Indian residents abroad and foreign citizens of Indian origin.

एक यूनिट से दूसरी यूनिट में पूंजी लगाना

*2360. **श्रीमती अहिल्या पी० रांगनेकर :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिक लाभ कमाने के लिए कुछ यूनिटों से अन्य युनिटों में विशेषकर एक राज्य से दुसरे राज्य में पूंजी लगाई जाती है जिससे बड़े औद्योगिक गृहों और उद्योगपतियों द्वारा जानबूझकर एक उद्योग को संकटग्रस्त बनाया जाता है ;

(ख) सरकार संकटग्रस्त यूनिटों के विलय के प्रश्न पर अध्ययन कब करना चाहती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय करेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) तथा (ग) : सरकार को किसी भी ऐसे मामले का पता नहीं है जिसमें किसी औद्योगिक एक से इस प्रकार पूंजी निकाली गई हो और जिसके कारण वह एक संकटग्रस्त हो गया हो। जहां तक उद्योग धन्धों को संकटग्रस्तता का सम्बन्ध है सरकार, इस समस्या पर कुछ समय से विचार कर रही है। संकटग्रस्त किन्तु संभावित जीवन क्षमता रखने वाले एककों को फिर से जीवित करने के लिए विचाराधीन रखे गए उपायों में से एक उपाय यह भी था कि ऐसे एककों का प्रबंध स्वस्थ एककों के द्वारा संभाल लिया जाना चाहिए। इसी के अनुसार पिछले बजट में कुछ रियायतें दी गई हैं जितसे संकटग्रस्त एककों का स्वस्थ एककों के साथ विलय आसान हो जाएगा ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समन्वित ग्राम विकास योजना के लिए दिया गया सुझाव

*2361. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कृषक और गैर-कृषक क्षत्रों के बीच आस्तियों के वितरण में असमानताओं को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र द्वारा समन्वित ग्राम विकास योजना बनाये जाने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की इस सिफारिश पर विचार किया है; और

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने असमानताओं को दूर करने के उद्देश्य से, ग्राम विकास के लिए एक समन्वित आयोजना तैयार करने के संबंध में भारत सरकार को कोई विशेष सुझाव नहीं दिए हैं। किन्तु, रिजर्व बैंक स्टाफ के सामायिक पत्र जून, 1977 (खंड 2 संख्या 1) में "ग्रामीण घरानों की आस्तियों का स्वरूप, 1961-71" (पैटर्न आफ एसेट्स आफ रूरल हाउसहोल्डस, 1961-71) शीर्षक से प्रकाशित हस्ताक्षरित लेख में इस पहलु के संबंध में उल्लेख किया गया था।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न पैदा नहीं होते।

कोका-कोला निर्यात निगम द्वारा निर्यात सेवा शुल्क लिया जाना

2362. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम ने वर्ष, 1972 में डेनमार्क को निर्यात के लिए 10 लाख रुपए के निर्यात के बदले लगभग 15 लाख 60 हजार का निर्यात सेवा शुल्क वसूल किया था;

(ख) आय कर विभाग ने किस आधार पर ऐसे व्यय को कर के लिए छूटप्राप्त माना था ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) कोका कोला निर्यात निगम द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1972-73 से सम्बद्ध लेखा वर्ष 1971 में डेनमार्क को कुल 32.48 लाख रुपए का निर्यात किया गया जबकि उस वर्ष डेनमार्क से केवल 10.01 लाख रुपए की वसुली हुई, शेष राशि की वसूली 1972 में की गई। लेखा वर्ष 1971 में मांगे गये निर्यात सेवा प्रभार की राशि 15.32 लाख रुपए थी। इनमें लेखा वर्ष 1970 के निर्यात सेवा प्रभार भी शामिल थे जब डेनमार्क को 10.67 लाख रुपए के मूल्य का निर्यात हुआ था। चूंकि उक्त निर्यात वर्ष 1970 के अंत में हुआ था इसलिए उस वर्ष किसी निर्यात सेवा प्रभार की मांग नहीं की गई। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि लेखा वर्ष 1971 में मांगे गये 15.32 लाख रुपए के सेवा प्रभारों का संबंध केवल 10.01 लाख रुपए के निर्यात से है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 37 (1) के अंतर्गत, किसी विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा के निर्यात कार्यों के संबंध मे खर्च किए गये "सेवा प्रभारो" कर योग्य आय का हिसाब लगाने के प्रयोजनार्थ छूट प्राप्त करने योग्य होते हैं।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

पर्यटकों को सुविधाएं और जनता होटलों का खोला जाना

2363. **श्री के० प्रधानी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में पर्यटकों को सुविधाएं देने और जनता होटल खोलने के बारे में हाल ही में राज्यों के मंत्रीयों का सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो जिन बातों पर चर्चा हुई थी उनका ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय लिये गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : 31 अगस्त, 1977 को नई दिल्ली में राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। इससे पहले मंत्री स्तर की बैठक के लिए भूमिका तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के पर्यटन विभागों के सचिवों/निदेशकों का एक एक-दिवसीय सम्मेलन भी हुआ था। सब की सहमति से कोई ऐसे निर्णय लिए गए, जो पर्यटन संबंधी राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं।

पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की महत्वपूर्ण सिफारिशें सभा-पटल पर रखी हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1247/77.**]

त्रिवेन्द्रम में होटल का खोला जाना

2364. **श्री बी० के० नायर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के विस्तार की योजना तथा खाड़ी के देशों से त्रिवेन्द्रम को सीधी उड़ान आरम्भ करने की योजना को ध्यान में रखते हुये उनके मंत्रालय के अधीन त्रिवेन्द्रम में उत्तम श्रेणी का एक होटल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : भारत पर्यटन विकास निगम का त्रिवेन्द्रम के निकट कोवलम में एक प्रथम श्रेणी का 88 कमरों वाली बीच होटल और 40 कुटीरें पहले ही हैं। इस होटल और कुटीरों की लाग की स्थिति (Occupancy position) को दृष्टि में रखते हुए भारत पर्यटन विकास निगम का त्रिवेन्द्रम मे प्रथम श्रेणी का कोई और होटल बनाने की कोई योजना नहीं है।

शत्रु-सम्पत्तियों हेतु मुआवजे का भुगतान

2365. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री भूतपूर्व पूर्वी-पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में छूट गई सम्पत्ति के लिये मुआवजे के बारे में 17 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 788 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) शत्रु-सम्पत्तियों हेतु मुआवजे के लिये शीघ्रता से अदायगी करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या वृद्ध, अशक्त तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े शरणार्थियों के आवेदनों पर विचार करने में प्राथमिकता दी जायेगी ; और

(ग) सरकार के अधिकार में (एक) नकद रुप में, तथा (दो) सम्पत्ति के रुप में कुल कितनी राशि की शत्रु-सम्पत्ति है ?

वाणिज्य राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) अनुग्रही उपदान की अदायगी के दावों के सत्यापन का काम पेचीदा है तथा उस पर काफी समय लगता है। अत: दावों के जल्दी तथा उचित निपटारे के लिए अप्रैल, 1974 में एक विशेष पेनल स्थापित किया गया था, जिसके अध्यक्ष शत्रु सम्पति के अभिरक्षक हैं, तथा पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा के एक वरिष्ठ न्यायाधीश और पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि रिकार्ड विभाग के एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी सदस्य हैं। वैयक्तिक सुनवाई, संबंधित रिकार्ड तथा गवाहों आदि की जाँच के लिए पेनल कलकत्ता में बैठता हैं।

परन्तु, अब बड़ी संख्या में प्राप्त नये दावों को देखते हुए दावों के सत्यापन के तरीके को और अधिक सरल बनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

(ग) (1) भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक के वैयक्तिक खाते में 12.79 करोड़ रुपये की नकद राशि रखी हुई ह। (2) भारत के शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित नकदी से इतर शत्रु सम्पत्ति का अधिकतम मूल्य 16.61 करोड़ रुपये हैं।

रुग्ण एककों को हुई हानि का अध्ययन करने के लिये पैनल का गठन

2366. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रुग्ण एककों को हुई हानि की पूर्ति के लिये उपायों का अध्ययन करने के लिये कोई पैनल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनकी रुग्णता के कारणों का पता लगाने के क्या तरीके हैं अथवा इस मामले में जांच करने सम्बन्धी निदेश-पद क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) जी, नहीं। सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

सिल्क एण्ड रैयन टैक्सटाइल एक्सपोर्टस एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन

2367. **श्री वसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिल्क एण्ड रैयन टैक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने उनके मन्त्रालय को एक ज्ञापन दिया है जिसमें पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के आयात में उदारता पर विरोध प्रकट किया गया है जिससे निर्यात गृहों और मिलों को भारी मुनाफा कमाने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुद्दे उठाये गये हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यातक एसोसियेशन ने अभ्यावेदन किया है कि पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात निम्नलिखित तरीके से विनियमित किये जाने चाहिए :—

(1) निर्यात सदनों को असम्बद्ध उत्पादों के निर्यात के आधार पर पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के आयात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । यदि यह व्यवहार्य न हो तो केवल संश्लिष्ट फिलामट यार्न वस्त्रों के निर्माता-सह-निर्यातकों को उसकी खपत की शर्त पर तथा संश्लिष्ट फिलामेंट यार्न के माल की निर्यात वचनबद्धता के आधारपर यह सुविधा दी जाये ।

(2) वास्तविक प्रयक्ता आंबंटन केवल नकली रेशम उद्योग तक ही सीमित होना चाहिए ।

(3) किसी प्रकार का प्रमुख नीति निर्णय निर्यात संवर्धन परिषद के साथ परामर्श करके लिया जाना चाहिए ।

(ग) एसोसियेशन द्वारा उ ाये गये मुद्दों पर सरकार ने विचार किया है और यह निर्णय लिया गया है कि निर्धारित नीति चलती रहनी चाहिए तथा दिसम्बर, 1977 म इसकी समीक्षा की जानी चाहिए ।

एयर इंडिया के कर्मी दल द्वारा अचानक हड़ताल किया जाना

2369. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 अक्तूबर, 1977 के "इंण्डियन-एक्सप्रेस" में 'लाइटनिग स्ट्राइक बाट एयर इंडिया क्रयु' (एयर इंडिया के कर्शी दल द्वारा अचानक हड़ताल) शीर्षक से प्रकाशित समाचार का ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और स सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे भविष्य में ऐसी हड़ताल न हो ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) एयर इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन (ए० आई० सी० ए०) ने इस तथा कथित कारण से कि एयर इंडिया के प्रबंधकवर्ग ने ए० आई० सी० सी० ए० की इस अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया कि विमान पर हथियारों, गोला बारुद तथा घातक हथियारों को ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, 26–10–1977 को एक दिन का भी नोटिस दिए विना एकदम अचानक हड़ताल कर दी । एयर इंडिया के प्रबंधक वर्ग ने सामान्य स्थिति पैदा करने के लिए एसोसियेशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, परंतु एसोसियेशन ने उचित रुख नहीं अपनाया और क़ानून संगत आदेशों का उल्लंघन करना जारी रखा । प्रबंधकवर्ग ने मजदूर हो कर औद्योगिक, विवाद अधिनियम 1947 के उपबंधों के अनुसार एयर इंडिया के "इनफ्लाइट सेवा विभाग" में तालाबंदी का नोटिस जारी कर दिया जोकि 2–12–1977 से या उसके बाद किसी भी दिन लागू हो जाएगा । फिर भी, एयर इंडिया के प्रबंधकव ने कोई सौहार्दपूर्ण समझौता करने के प्रयत्न जारी रखे । क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) ने इस समस्या पर समझौता कार्यवाही करने की तारीख 21 नवम्बर, 1977 निर्धारित की । परन्तु, कोई समझौता नहीं हो सका । एयर इंडिया के प्रबंधकवर्ग ने 24 नवम्बर, 1977 को

केबिन क्रू एसोसिएशन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की तथा समझौता हो गया। केबिन क्रू एसोसियेशन ने अपना निवेश वापस ले लिया तथा सामान्य स्थिति पैदा करने पर सहमत हो गया। एसोसिएशन ने 26 अक्तूबर, 1977 को हड़ताल में भाग लेने के लिए केबिन कार्मिकों की ओर से माफी भी मांगी। अत: एयर इंडिया के प्रबंधकवर्ग ताला बंदी का नोटिस तथा केबिन कार्मिकों को जारी किए गए निलम्बन आदेश तथा चार्ज-शीटें वापस ले ली हैं।

एयर इंडिया के प्रबंधकवर्ग का हमेशा यह प्रयत्न रहा है कि ऐसे विवादों को आपसी बातचीत से ही निपटा लिया जाए।

Appointment of persons belonging to SC/ST in Bank of Rajasthan

2370. **Shri Jagdish Prasad Mathur:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state the reasons for not appointing any person belonging to scheduled castes and scheduled tribes in the Bank of Rajasthan Ltd., so far in violation of the policy of Central Government?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): The instructions issued by the Department of Economic Affairs (Banking Division) for reservation of posts to Scheduled Castes and Scheduled Tribes are applicable only to public sector banks. They have not been applicable to banks in the private sector. The latter are, however, free to follow the general policy approach adopted by Government with respect to public sector banks.

Steps taken to arrest the decline of export of Indian goods

2372. **Shri Sushil Kumar Dhara:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the steps taken by the present Government to arrest the decline in the export of Indian goods being exported under the facilities given by E.E.C. and to booster our export trade;

(b) the prospect for increasing our exports to European countries; and

(c) the efforts being made to bridge the trade gap between India and Great Britain as a result of Britain's entry into E.E.C. and certain other causes?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Indian exports to the European Economic Community have been increasing in the last few years. A number of steps have been taken not only to arrest any decline but also to boost our export trade with the E.E.C. including creation of awareness and generation of interests among the trade and industry to promote exports to these markets utilising the tariff advantages available under the Generalised System of Preferences of the Community. Various other initiatives are also pursued in this context such as participations in specialised fairs and exhibitions, visits of product teams, printing and distribution of broachures on certain products in different languages, adaptation and modification of Indian products to suit these markets.

(b) The prospects for increasing exports to these markets will depend upon a number of factors such as free market access to products of our interest, prevailing economic conditions in these countries, competitiveness of our products, quality, conformity to standards, adherence to delivery schedule etc. It is our constant endeavour to take all possible initiatives to promote exports to this region.

(c) Indian exports to the UK have been increasing in the last few years. Apart from securing possible protection of our interests concerning certain commodities in relation to the UK market through appropriate provisions in the relevant agreements, initiatives have been taken to utilise the tariff advantages available under the Generalised System of Preferences to promote exports to the UK. Further, a number of promotional steps such as the holding of a seminar, participation in fairs and exhibitions, sponsoring the visits of delegations etc. have also been taken to increase our exports to the UK.

Loan advanced by Nationalised Banks to Industrialists and Farmers

2373. **Shri Y. P. Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of loans in crores of rupees, advanced by all the nationalised banks of the country to industrialists and farmers respectively from April, 1977 to 30th September, 1977; and

(b) the percentage of loans out of the total amount of loans advanced to farmers, owning less than five acres of land?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) Firm bank groupwise data on the sectoral distribution of bank credit for the six months ended September 1977 have not yet become available. Quick estimates on the sectoral distribution of the outstanding advances of public sector banks as on the last Friday of March 1977 are as follows :—

(Rs. crores)

Gross outstanding credit of public sector banks	11766
(1) Public Food Procurement	2045
(2) Agriculture	1275
(3) Small Industry	1216
(4) Other neglected sectors	675
(5) Other sectors (including major and medium industry and wholesale trade) (other than Food Procurement) and export credit granted to them.)	6555

(b) Reserve Bank of India have reported that the latest available holding-wise data relate to the end of September 1976. These are set out below :—

Direct finance to farmers by Public Sector Banks as at the end of September, 1976.

(Rs. crores)

Holding Group	Accounts	Amount
Farmer wilh holding upto		
(i) 5 acres	18,37,658 (67.2)	248.98 (35.8)
(ii) Total Direct Finance	27,34,794	695.53

(Figures in bracket represent percentage to total direct Finance).

भूतपूर्व समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिये स्वीकृत स्टाफ

2374. **श्री बालकराम :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए स्वीकृत स्टाफ की कुल संख्या तथा उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए सरकार ने आज तक कुल कितने स्टाफ की स्वीकृति की तथा कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार के परामर्श के बिना प्राधिकरण/कार्यकारी समिति अथवा चेयरमैन द्वारा कुल कितना स्टाफ मंजूर किया गया तथा इसमें कर्मचारियो का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ; और

(घ) 1 जनवरी, 1975 से 31 अगस्त, 1977 तक विद्यमान प्रतिबन्ध के बावजूद भी प्राधिकरण अथवा चेयरमन ने चतुर्थ श्रेणी के कितने पदों का सृजन किया ?

वाणिज्य राज्य मन्त्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है । भाग (क) के सम्बन्ध में जानकारी इस धारणा पर आधारित है उसका संदर्भ भूतपूर्व समुद्री उत्पाद नि ति संवर्धन परिषद के बारें में है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1245/77]**

(घ) प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता के लिए 1-4-1977 से मैसेंजर के एक पद की मंजूरी दी गई है ।

पिल्ले समिति की सिफारिशें

2375. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों के लिए वेतन-मानों के मानकीकरण सेवा शर्तों, सेवा आचरण नियम और अनुशासनात्मक विनियमों सम्बन्धी पिल्ले समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और उन्हें कहां तक रद्द किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : पिल्ले समिति की सिफारिशों का सम्बन्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के वेतनमानों, भत्तों और अनुलाभों से है न कि सेवा आचरण-नियमों और अनुशासन-विनियमों से । बैंकरों के दल द्वारा यथा संशोधित पिल्ले समिति की सिफारिशों को सरकार स्वीकार कर चुकी है और उन्हें अपनाने के लिए सम्बन्धित बैंकों को भेज दिया गया है । राष्ट्रीयकृत बैंक इन शि ारिशों को कार्यान्वित करने की कार्रवाई कर रहे है ।

Opening of branches of Nationalised Banks in blocks of Bihar State

2376. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of blocks in Bihar State where no branch of nationalised banks has been opened;

(b) whether there is no branch of any nationalised bank in Gopalpur Block of Bhagalpur district; and

(c) if so, the reasons therefor and the time by which branches of banks will be opened in all the blocks?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) As at the end of December 1977, there were 94 community development blocks in Bihar which did not have bank offices of public sector banks, including Regional Rural Banks.

(b) & (c): Currently the Gopalpur block in Bhagalpur District is not served by any bank office. But the United Commercial Bank, which has been issued a licence in July 1977 by the Reserve Bank of India, is expected to open its office at Gopalpur shortly. The remaining unbanked blocks in Bihar have been allotted by the State Level Bankers' Committee among various banks and the concerned allottee banks are expected to open their offices in these blocks by June 1978.

इण्डियन एयरलाइन्स में पायलट की नौकरी के लिये आवेदन करन वाले हरिजनों तथा आदिवासियों के साथ भेदभाव

2377. **श्री शिवाजी पटनायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आरोप की जानकारी है कि इण्डियन एयरलाइन्स में पायलट की नौकरी के लिए आवेदन करने वाले हरिजनों तथा आदिवासियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : विमानचालक के पद के लिए आवेदनकर्ता हरिजन और आदिवासी उम्मीदवारों के साथ भेद-भाव के बरताव के बारे में आरोप इंण्डियन एयरलाइन्स के ध्यान में लाया गया था । कारपोरेशन ने इसकी जांच की थी परन्तु आरोप निराधार पाया गया ।

नैशनल फैडरेशन आफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स द्वारा दिया गया ज्ञापन

*2378. **डा० बापू कालदाते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फैडरेशन आफ इंश्योरेन्स फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया, ग्वालियर ने कोई ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो फैडरेशन की मुख्य मांगें क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) नेशनल फैडरेशन आफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया और जीवन बीमा निगम के प्रबन्धकों के बीच फील्ड कर्मचारियों को अपने आप वेतन वृद्धि दिए जाने के सम्बन्ध में 1965 के समझौते को बहाल किया जाए ।

(2) नौकरी की सुरक्षा और काम के मानकों के सम्बन्ध में 1971 के समझौते को बहाल किया जाए ।

(3) वित्त मंत्रालय की 8 अप्रैल 1976 की अधिसूचनाएं और जीवन बीमा निगम की 21 अप्रैल 1976 की अधिसूचनाएं रद्द की जाएं ।

(4) सेवा की नई शर्तों के अधीन जीवन बीमा निगम द्वारा कर्मचारियों को वेतन भत्तों में कटौती करने और नौकरी से निकालने के लिए जारी किए गए नोटिस रद्द किए जाएं ।

(5) विवादग्रस्त मामलों को निपटाने के लिए त्रिपक्षीय (भारत सरकार, जीवन बीमा निगम के प्रबन्धक और फैडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स) से बातचीत होनी चाहिए ।

(ग) नई सेवा की कई नई शर्तों के अन्तर्गत लागत मानकों के क्रियान्वयन में कड़ाई को कम करने के लिए जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने फैडरेशन आफ फील्ड वर्कर्स के साथ हुई बातचीत के दौरान लागत मानकों को 1–11–77 के बजाए 1–1–78 से लागू किए जाने लम्बी बीमारी और गम्भीर दुर्घटना, नौकरी से हटा दिए जाने की हालत मे प्रबन्धकों की इच्छा से विकास कर्मचारियों का प्रशासनिक विभाग में तबादला कर दिए जाने की सूरत में लागत-मानकों को लागू करने में ढील देने की पेशकश की । फैडरेशन को यह पेशकश स्वीकार्य नहीं थी । जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष ने फैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कुछ और सुझाव भी दिए गए हैं और सरकार इन पर विचार कर रही हैं ।

मजूरी आय तथा मूल्य नीती के बारे में अध्ययन दल गठित करने के बारे में मजदूर संघों द्वारा की गई आलोचना

2379. **श्री के० मालन्ना :**

श्री उग्रसेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ः

(क) क्या मजूरी, आय तथा मूल्यनीति के बारे में सिफारिश देने के लिए सरकार द्वारा गठित किये गये अध्ययन दल को प्रमुख मजदुर संघों ने आलोचना की है और श्रीमक वर्ग में देशव्यापी असन्तोष है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार की जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि आय वेतन और मूल्यों विषयक अध्ययन दल की स्थापना के बारे में ट्रेड यूनियनों ने कोई आलोचना की है या देश भर के मजदूर वर्ग में इस बारे में कोई असंतोष है ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

वित्त मंत्रालय में हिन्दी कार्य के लिए बनाये गय पद

2380. **श्री मोहन लाल पिपिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में हिन्दी के कार्य के लिए बनाये गये पदों के मामले में नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि को विनियमित करने के लिए गृह मंत्रालय से कोई अनुदेश प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) क्या भविष्य में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदोंपर नियुक्तियां करने के मामले में भी इन अनुदेशों का पालन करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) अनुदेशों का पुर्णत: अनुपालन किया गया है ।

(ग) जी, हां ।

Branches of Nationalised and Non-nationalised Banks

2381. **Shri Arjun Singh Bhadoria**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of branches of nationalised and non-nationalised banks, separately ;

(b) the numbers of branches opened during the last three years, bank-wise and year-wise;

(c) the number of branches of each bank proposed to be opened during the next year; and

(d) total deposits in each of the banks?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a), (b), (c) & (d): Information relating to the number of branches of nationalised and non-nationalised banks/bank groups, number of branches opened by them during 1974, 1975 and 1976 and 6 months ended June 1977 and their deposits as on the last Friday of June 1977 is set out in the *Annexure.*

Branch expansion plans of the banks for the year 1978 have not yet been finalised.

STATEMENT

Bank/Bank-group	No. of Offices as on 30-6-77	Number of offices opened during the year				Total Deposits as on Last Friday of June 1977*
		1974	1975	1976	1977 (Upto end June)	(Rs. Crores)
1 2	3	4	5	6	7	8
A. *State Bank of India Group*						
1. State Bank of India	4359	384	419	444	116	4496
2. Associates of SBI	2000	83	93	135	63	1019

STATEMENT—*Contd.*

Bank/Bank-group	No. of Offices as on 30-6-77	Number of offices opened during the year				Total Doposits as on Last Friday of June 1977*
		1974	1975	1976	1977 (Upto end June)	(Rs. Crores)
1 2	3	4	5	6	7	8
B. *Nationalised Banks*						
1. Allahabad Bank .	652	58	108	111	44	363
2. Bank of Baroda .	1074	38	58	186	41	1043
3. Bank of India .	1072	81	99	101	25	1184
4. Bank of Maharashtra .	511	46	57	32	26	370
5. Canara Bank .	1043	74	93	109	25	876
6. Central Bank of India	1434	53	85	119	26	1373
7. Dena Bank . .	642	21	18	29	10	434
8. Indian Bank . .	684	71	80	82	24	529
9. Indian Overeas Bank .	596	47	65	75	25	444
10 Punjab National Bank	1351	85	103	102	40	1144
11. Syndicate Bank .	881	73	67	72	31	666
12. Union Bank of India .	936	65	129	131	32	676
13. United Bank of India .	719	45	48	179	37	631
14. United Commercial Bank	948	62	93	88	35	663
C. *Regional Rural Banks* .	780	—	17	486	277	16
D. 1. *Other Indian Scheduled Commercial Banks* .	4858	392	684	718	257	1908
2. *Foreign Banks* .	130	1	—	—	—	977
E. *Non-Scheduled Banks* .	132	14	21	18	16	N.A.
Grand Total .	24802	1693	2337	3217	1150	18812

*Provisional exclude inter bank deposits.

खाद्य तेल मिलों के अधिग्रहण का प्रस्ताव

2382. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की खाद्य तेल मिलों के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तेल मिलों का अधिग्रहण करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

6—367— L S.S. ND/77

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी चाय कम्पनियों के आयकर के पुनःनिर्धारण के आदेश

2383. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी चाय कम्पनियों के आयकर के पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए गए है और यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या है ;

(ख) कर की राशि कितनी है और कर राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(ग) क्या आयकर पुनर्मूल्यांकन से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कम्पनियों के रुपयों में व्यापार करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) तथा (ख): सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायगी।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी कम्पनीयों को रूपयों में व्यापार करने की सुविधा प्रदान करने में कोई विलम्ब नहीं होता है।

सीमाशुल्क निकासी और भण्डागार सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कर्नाटक सरकार की ओर से अभ्यावेदन

2384. **श्री बी० राचैया** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि बंगलोर हवाई आड्डे के समीप सीमाशुल्क निकासी और भण्डागार सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा बंगलौर में निर्यात प्रधान सक्रियात्मक औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के बारे में कर्नाटक सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : ऐसी प्रस्थापना, जो मुक्त व्यापार जोन सुविधाओं के सदृश्य थी, राज्य सरकार द्वारा अगस्त, 1976 में आंरभ की गई थी। तथापि, यह आगे नहीं बढ़ी क्यौ कि यह सामान्य निर्णय के लिया गया कि देश में और अधिक मुक्त व्यापार जोन स्थापित नहीं किये जायेंगे।

Treasure recovered in excavations at Jaigarh in Jaipur and Moti Doongari

Shri Ram Naresh Kushwah: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) at what places in the Government Treasury the treasure recovered in the excavations in Jaipur at Jaigarh and Moti Doongari etc. was deposited, the value thereof and the dates when these deposits were made; and

(b) who were the people that brought this treasure and those who accompanied that team?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel: (a) (b): Excavations for locating 'hidden treasure' were undertaken only at Jaigarh Fort. This was done during the period June-November, 1976. No treasure was found.

देश में आन्तरिक विमान यातायात सुविधाएं बढ़ाने के लिये विमानों की खरीद

2386. **श्री पी० जी० मावलंकर :**
श्री डी० अमात :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में आन्तरिक विमान यातायात सुविधायें बढ़ाने के लिए एक अथवा एक से अधिक विमान खरीदने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : जी, नहीं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अंतर्देशीय विमान सेवाओं के लिए कोई और विमान ख़रीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, इंडियन एयरलाइन्स ने फरवरी, 1977 में समस्त योजना के लिए लगभग 30.55 करोड़ रुपये की कुल लागत से जे टी 8 डी इंजनों और लो प्रेशर टायरों वाले तथा फालतु पुर्जों से युक्त 3 बोइंग 737 विमानों की ख़रीद के लिए एक आर्डर दिया था, इन में से पहला विमान इंडियन एयरलाइंस को मिल चुका है और बाकी दो भी 1977 के अंत से पहले मिल जाने की आशा है।

संकटग्रस्त उद्योगों का स्वस्थ उद्योगों के साथ विलय करने पर कर सम्बन्धी रियायत

2387. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकटग्रस्त उद्योगों को स्वस्थ उद्योगों के साथ विलय करने के मामले में कर में रियायत देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख) : जी, हां। वित्त (सं० 2) अधिनियम, 1977 ने आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा 72-क अन्त: स्थापित की है ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि जहां कोई कम्पनी, जो किसी औद्योगिक उपक्रम अथवा जहाज की मालिक हो, किसी अन्य कम्पनी के साथ मिल जाती है, तो मिलने वाली कम्पनी की संचित हानि तथा असमायोजित मूल्य ह्रास की रकम उस स्थिति में आगे ले जायी जायेगी और विलय के बाद बनी कम्पनी के हाथों में समायोजित की जायेगी, यदि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सीफारिश पर केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि उक्त कम्पनी कि विलय सार्वजनिक हित में हुआ है तथा उक्त उपबन्ध में यथाविनिर्दिष्ट कतिपय अन्य शर्तें पूरी कर ली गई है। नई धारा 72-क के उपबन्ध स्वत: स्पष्ट है।

Export of H.P.S.

2388. **Shri Dharamsinhbhai Patel:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) the quantity of H. P. S. exported during the last three years;

(b) whether its export has been banned; if so, from which date and the reasons for this ban;

(c) whether Government propose to permit its export if the production of groundnut during 1977-78 is good; if so, from which date and in what manner;

(d) the number of individuals and companies who were permitted to export H. P. S. during the last three years and the quantum of H. P. S. exported by them; and

(e) the maximum quantity which an individual or a company was permitted to export and whether Government propose to permit the manufacturers to export H. P. S. during this year on a restricted basis?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Quantity of H.P.S. groundnuts exported in the last three years was as follows:—

('000 tonnes)

		HPS groundnut kernel	HPS groundnuts in shell
April—March . . .	1974—75	47.29	8.43
	1975—76	107.09	5.71
	1976—77	122.81	13.73

(b) Export of H.P.S. groundnut was banned on 14th July, 1976 to check the rising trend in the edible oil prices in the domestic market. Thereafter, a limited quota of 50,000 tonnes was released for export in November, 1976.

(c) No decision has yet been taken about export quota for H. P. S. groundnuts against 1977-78 crop.

(d) Number of exporters of H. P. S. groundnuts and quantities exported by them in the last three years according to information collected from the canalising agency is as follows:—

Year	No. of exporters	Quantity exported ('000 tonnes)
Nov. 1974—Oct. 1975 . . .	55	35.70
Nov. 1975—Oct. 1976 . . .	236	193.76
Nov. 1976—Oct. 1977 . . .	275	49.45

(e) Till July, 1976, there were no quantitative restrictions on export of H. P. S. groundnuts. The quota of 50,000 tonnes released for export in November, 1976 was distributed by the canalising agency among the exporters on the basis of the best of their three previous years' exports.

नेशनल एण्ड ग्रिंडलेज बैंक का कार्यकरण

2390. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा बनाए गए आधार नियमों तथा आचार संहिता में यह व्यवस्था है कि चैकबुक सुविधा वाले बचत खाते में कम से कम 100 रुपये शेष होने चाहिए और उस पर ब्याज दिया जाना चाहिए भले ही शेष राशि सौ रुपए से कम रह जाए ;

(ख) क्या नेशनल और ग्रिंडलेज बैंक जिसके विरुद्ध कर अपवंचन तथा विदेशी मुद्रा को अवैध रूप से बाहर भेजने के लिए फौजदारी का मुकद्दमा चलाया गया था, उपरोक्त शर्त का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहा है और जमाकर्त्ताओं को कम से कम 1000 रुपए रखने के लिए बाध्य कर रहा है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई के गवर्नर ने दिनांक 6 सितम्बर, 1977 के अपने पत्र में उनसे यह कहा था कि वह इस शर्त का पालन करें और उसने इस निदेश का उल्लंघन किया था ;

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) रिजर्व बैंक और/या सरकार नेशनल एंड ग्रिंडलेज बैंक के कार्यकरण के बारे में सभी क्षेत्रों में क्या शिकायतें मिली हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28-5-1977 को भारतीय बैंक संघ (आई० बी० ए०) को दी गयी सलाह के आधार पर, भारतीय बैंक संघ ने मूल नियम तथा आचार संहिता बनायी है जिसमें यह दिया गया है कि 100 रुपये की न्यूनतम शेष राशि के साथ चैक-बुक की सुविधा सहित बचत बैंक खाते खोले जाने चाहिए और शेष राशि पर ब्याज देय होगा चाहे यह निर्धारित न्यूनतम राशि से कम हो जाये। अलबत्ता, संघ ने अपने सदस्य बैंकों को यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा न्यूनतम शेष राशि के सम्बन्ध में की गयी सिफारिश को वे और अधिक कड़ा बना कर अपने नियम बना सकते हैं, यद्यपि न्यूनतम शेष राशि के सम्बन्ध में संघ द्वारा की गयी सिफारिश से और अधिक उदार सुविधायें प्रदान करने की इजाजत किसी बैंक को नहीं है ।

(ख) पता चला है कि ग्रिंडलेज बैंक लि० ने चैक बुक सुविधा सहित बचत खाता खोलने के लिये हाल ही में न्यूनतम शेष राशि को 250 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये कर दिया है। यह भी तब किया गया बताते हैं कि शेष राशि 1000 रुपये से कम होने की स्थिति में उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा । यद्यपि बैंक का यह निर्धारित करना कि शेष राशि के 1000 रुपये से कम हो जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा, संघ के मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रतिकूल है फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि न्यूनतम शेष राशि की सीमा बढ़ाना इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के प्रतिकूल है ।

(ग) और (घ) : रिजर्व बैंक ने 6 सितम्बर, 1977 को इस विषय पर भारतीय बैंक संघ द्वारा तैयार किये गये मूल नियमों और आचार संहिता की ओर बैंक का ध्यान आकर्षित किया था । बैंक ने 5 अक्तूबर 1977 को जवाब दिया कि बैंक अपने नियमों को भारतीय बैंक संघ द्वारा अनुशासित नियमों की अपेक्षा और अधिक कड़ा करने के लिये स्वतंत्र है। क्योंकि बैंक की यह कार्रवाई यह प्रभाव पैदा कर सकती है कि यह जान बूझकर दौलतमंद लोगों की सेवा करना चाहता है और आम आदमी की उपेक्षा कर रहा है इसलिये रिजर्व बैंक ने हाल ही में इस बैंक के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक को इस स्थिति पर पुनः विचार करने की सलाह दी है ।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनको भी शिकायतें मिली हैं :

(1) कि बैंक 60 महीनों से ज्यादा जमाएं स्वीकार नहीं करता है ।

(2) कि यह एकतरफा कार्रवाई करके छोटे खातों को एक शाखा से दूसरी शाखा में अन्तरित कर रहा है ।

(3) कि इसकी (प्रतिबन्धात्मक कही जाने वाली) इस कार्रवाई से नौकरी के अवसरों में कमी आई है ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी०बी०डी०टी०) को शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन में इस बैंक तथा इसके उच्च अधिकारियों के द्वारा कर चोरी का आरोप लगाया गया है । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कलकत्ता के पास आयकर अधिनियम 1961 की धारा 276 बी के अन्तर्गत इस बैंक के विरुद्ध, इसके द्वारा सिटी बैंक को दिये गये तकनीकी सेवा शुल्क के स्रोत पर आयकर न काटने के लिये शिकायतें दायर की है ।

वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान विभिन्न देशों को चीनी के निर्यात की वचनबद्धता

2391. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व के विभिन्न देशों में चीनी निर्यात की वचनबद्धता का देशवार ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1977-78 व 1978-79 के दौरान किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा के लिए सौदे किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : 1977-78 के दौरान अथवा 1978-79 के लिये चीनी का निर्यात करने की राज्य व्यापार निगम द्वारा अभी तक कोई भी नई संविदा नहीं की गई है। तथापि विगत वर्ष (1976-77) के दौरान संविदा की गई मात्राओं में से 10.43 करोड़ रु० मूल्य की 0.45 लाख मे० टन चीनी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात की गई है ।

Setting up of Airports in Maharashtra

2392. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of new airports proposed to be set up by Government in Maharashtra, particularly in Marathwada;

(b) the number of airports from which air services are being operated at present ; and

(c) whether Government propose to make Nanded airport a major airport so that air services are operated from there to other countries and if so, when the people are likely to be benefited thereby?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik) : (a) Government have at present no plans to set up new airports in Maharashtra.

(b) At present air services are being operated from the international airport at Bombay and from the domestic aerodromes at Nagpur, Aurangabad and Pune in the State of Maharashtra.

(c) No, Sir.

निर्यात संवर्धन के लिये परिष्कृत अभ्रक के और अधिक ग्रेडों का असम्बद्ध किया जाना

2393. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिष्कृत अभ्रक के असम्बद्ध ग्रेडों का निर्यात, अर्थात ग्रेड 5 से नीचे जहां गैर सरकारी निर्यातकों को उनके द्वारा प्राप्त किये गये 40 प्रतिशत तक निर्यात आदेश 'मिटको' को देने नहीं पड़ते, अप्रैल 1976 में ग्रेडों के असम्बद्ध किये जाने के पश्चात् पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1976-77 में बढ़ा है ;

(ख) वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में इन असम्बद्ध ग्रेडों का मूल्य/मात्रा क्या थी ; और

(ग) यदि परिष्कृत अभ्रक के असम्बद्ध ग्रेडों का निर्यात बढ़ा है तो क्या सरकार परिष्कृत अभ्रक के निर्यात संवर्धन के विचार से परिष्कृत अभ्रक के और ग्रेडों को असम्बद्ध करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) 1976-77 के दौरान परिष्कृत अभ्रक के असम्बद्ध ग्रेडो के निर्यात 1975-76 की तुलना में मात्रा की दृष्टि से 18.44% कम तथा मूल्य की दृष्टि से 23.13% अधिक थे ।

(ख) 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान इन असम्बद्ध ग्रेडों का मूल्य तथा मात्रा निम्नोक्त प्रकार थी :—

	मूल्य (लाख रु०)	मात्रा (मे० टन)
1975-76 . . .	536	16,560
1976-77 . . .	660	13,507

(ग) चूंकि 1975-76 की तुलना में 1976-77 के दौरान परिष्कृत अभ्रक के असम्बद्ध ग्रेडों के निर्यातों में मात्रा की दृष्टि से गिरावट आई, अतः सरकार अभ्रक व्यापार को विद्यमान पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का विचार करने से पूर्व चालू वर्ष के दौरान इन ग्रेडों के निर्यातों की प्रगति पर निगरानी रखेगी ।

जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ के साथ द्विपक्षीय समझौता

2394. **श्री शम्भुनाथ चतुर्वेदी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के साथ किया गया द्विपक्षीय समझौतों का जीवन बीमा निगम (समझौतों में संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा खण्डन हो गया है जिससे कलकत्ता उच्च न्यायालय का यह निर्णय भी निरस्त हो गया है कि समझौते के अनुसार जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बोनस देय है और बोनस संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कर्मचारियों की सम्पत्ति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार समझौते का पालन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के साथ किसी मामले पर जिसमें बोनस की अदायगी भी शामिल है कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं किया था । लेकिन निगम ने तीसरी और चौथी श्रेणी के अपने कर्मचारियों के साथ एक समझौता किया था जिसमें और बातों के साथ साथ बिना किसी अधिकतम सीमा के वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत की दर से बोनस की अदायगी की व्यवस्था थी । यह समझौता 1-4-1973 से 31-3-1977 तक चार वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था । इस समझौते के अन्तर्गत तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए बोनस अदा कर दिया गया है ।

2. बोनस की अदायगी संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा बोनस की अदायगी अधिनियम, 1965 में संशोधन कर दिये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया कि लेखा वर्ष 1974/1974-75 से सरकारी क्षेत्र के गैर-प्रतियोगी उपक्रमों के कर्मचारियों को जिनमें जीवन बीमा निगम साधारण बीमा निगम और बकों के कर्मचारी शामिल हैं, बोनस के बजाय अनुग्रह राशि की अदायगी की जाय जो मजदूरी स्तर वित्तीय परिस्थितियों और सबंधित तथ्यों को देखते हुए सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी । अनुग्रही राशि वेतन मजदूरी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3. जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को बैंकों, साधारण जीवन बीमा निगम और सरकारी क्षेत्र के गैर-प्रतियोगी अन्य उपक्रमो के कर्मचारियों के सकमक्ष लाने के लिए 1974 के समझौते के संबंधित उपबंधों में, जहां तक इनका संबंध बोनस की अदायगी से था, संशोधन करना जरूरी हो गया। इस प्रयोजन के लिये संसद् द्वारा जीवन बीमा नियम (समझौता का संशोधन) अधिनियम, 1976 पास किया गया। यह पहली अप्रैल, 1976 से लागू हुआ।

4. तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अप्रैल 1976 के वेतन के साथ 1974 के समझौते के अनुसार वर्ष 1975-76 के बोनस की अदायगी न किये जाने पर अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी जिसमें यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई थी कि 1974 का समझौता बंधनकारी है और जीवन बीमा निगम को समझौते की शर्तों के अनुसार बोनस की अदायगी न करने से रोका जाय । कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अपने 21-5-1976 के फैसले में कर्मचारियों के दावे को स्वीकार कर लिया और जीवन बीमा निगम को बोनस की अदायगी के संबंध में समझौते का पालन करने का निदेश दिया । सरकार ने उक्त आदेश के खिलाफ उसी उच्च न्यायालय में अपील की जिसकी सुनवाई 9-6-1976 को की गई लेकिन चूंकि जीवन बीमा निगम (समझौते का संशोधन) अधिनियम, 1976 पहले ही पास कर दिया गया था और जिसे 29-5-1976 को अधिसूचित कर दिया गया था तथा जो पहली अप्रैल, 1975 से लागू हो गया था, न्यायालय ने अपील पर कोई आदेश जारी नहीं किया । उपर्युक्त अधिनियम से 1974 के समझौते के वे उपबंध रद्द कर दिये गये हैं जिनका संबंध बिना किसी अधिकतम सीमा के वार्षिक वेतन के 15 प्रतिशत के हिसाब से बोनस की अदायगी से था।

5. जीवन बीमा निगम कर्मचारियों के दो संघों द्वारा जिनमें अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भी शामिल है उपर्युक्त अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई है । चूंकि इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा की जा रही है, इसलिए सरकार इस मामले के परिणाम की प्रतीक्षा करना चाहती है ।

अमरीका सरकार द्वारा सामान्योकृत प्रणाली की घोषणा

2395. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अमरीका सरकार के द्वारा किसी सामान्यीकृत प्रणाली की घोषणा की गई है जिसके अन्तर्गत भारत से निर्यात की जाने वाली कई हजार वस्तुओं (आवश्यक वस्तुओं सहित) को उस देश में शुल्क मुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या इससे भारत सरकार की निर्यात नीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुओं पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

राज्यों के सहयोग से पर्यटन का विकास

2396. **श्री शिव सम्पत्ति राम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समन्वित ढंग से राज्यों के सहयोग से पर्यटन का विकास करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे छठी योजना बनाने की तैयारी के रूप में अपने-अपने राज्य में पर्यटन विकास की "पर्स्पेक्टिव" योजनाएं तैयार करें । इस आशय का एक पत्र मैंने 9-8-77 को सब मुख्य मंत्रियों को लिखा था । इस मामले पर 31-8-1977 को नई दिल्ली में हुए पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श हुआ था ।

राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि विकसित किए जाने वाले प्रस्तावित पर्यटक केन्द्रों को निम्नलिखित मोटे-मोटे वर्गों में बांट दिया जाए :—

(i) राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन केन्द्र ; जिनकी मुख्यतया अंतर्देशीय पर्यटक यात्रा करते हैं ; जैसे तीर्थ स्थल;

(ii) राष्ट्रीय महत्व के ऐसे पर्यटक केन्द्र जो अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के पर्यटकों के लिए रुचिकर हैं ; जैसे ऐतिहासिक, पुरातात्विक, प्राकृतिक सौंदर्य एवं धार्मिक महत्व के स्थान और वन्य जीवों की दृष्टि से रुचिकर स्थान;

(iii) स्थानीय महत्व के पर्यटन केन्द्र जिनकी यात्रा केवल देशीय पर्यटक ही करते हैं ।

राज्य सरकारों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे इस प्रकार से चुने हुए केन्द्रों के विकास के लिए प्राथमिकताओं का तथा पांच वर्षों की अवधि में किये जाने वाले क्रमिक व्यय का भी निर्देश करें ।

अब तक केवल 17 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से पर्स्पेक्टिव प्लान प्राप्त हुए हैं। इन योजनाओं पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ इस बात का निर्धारण करने के लिए बातचीत की जाएगी कि साधनों की उपलब्धता के आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में किन-किन केन्द्रों के विकास को हाथ में लिया जाये ।

तस्करी की अनबिकी वस्तुएं

2397. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों में 12 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बरामद की गई तस्करी की वस्तुएं भिन्न भिन्न गोदामों में अभी तक खराब हो रही हैं और अनबिकी पड़ी हैं जिससे कई करोड़ रुपये की वस्तुओं की क्षति हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन वस्तुओं का बिना विलम्ब निपटान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे और क्षति या हानि न हो ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से पता नहीं चलता है कि सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़े गये तथा उनके द्वारा अपने गोदामों में रखे गये तस्करी के माल को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, सीमाशुल्क अधिकारी, ऐसे माल की क्षति को रोकने के लिए सभी आवश्यक पूर्वोपाय कर रहे हैं। इस के अलावा, नाशवान वस्तुओं का निपटान उनके पकड़े जाने के तुरन्त बाद कर दिया जाता है जिससे इन वस्तुओं को कोई नुकसान या खराबी नहीं हो।

दिल्ली सरकार द्वारा जारी कर में छूट सम्बन्धी अधिसूचनाएं

2398. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या पिछली सरकार ने चुनाव के लिए धन संग्रह करने हेतु जनवरी से मार्च 1977 के बीच कर में छूट सम्बन्धी हजारों अधिसूचनाएं जारी की थीं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है ; और

(ग) अप्रैल से अक्तूबर 1977 के दौरान कर में छूट सम्बन्धी कितनी अधिसूचनाएं जारी की गईं और उसमें कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) आय-कर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत, कर से छूट सम्बन्धी अधिसूचनाएं, केवल धर्मार्थ तथा धर्मादाय संस्थाओं के सम्बन्ध में आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत जारी की जाती है । 1 जनवरी 1977 से 31 मार्च 1977 की अवधि में जारी की गई अधिसूचनाओं की संख्या 20 है । ये अधिसूचनाएं चुनाव के प्रयोजनों के निमित्त धन एकत्रित करने के लिए जारी नहीं की गई थीं ।

(ख) अधिसूचनाओं की सूची अनुबन्ध (क) पर देखी जा सकती है। धर्मार्थ तथा धर्मादाय संस्थाओं की, आमतौर पर, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11 के अन्तर्गत छूट मंजूर की जाती है । आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23 ग) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना उन्हें केवल आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 11, 12 और 13 के उपबन्धों द्वारा लगाई गई पाबंदियों से मुक्त रखती है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों में ग्रस्त धन का अनुमान लगाना संभव नहीं होगा ।

(ग) अप्रैल से अक्तूबर, 1977 की अवधि में जारी की गई कर से छूट सम्बन्धी अधिसूचनाओं की संख्या 60 है । जारी की गई अधिसूचनाओं की एक सूची अनुबन्ध 'ख' पर है । जहां तक अन्तर्ग्रस्त रकमों तथा उनके पूरे ब्यौरों का सम्बन्ध है, इसका उत्तर वही है जैसा कि ऊपर भाग (ख) में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—1249/77 ।**]

Valuables seized from smugglers etc. in raids during emergency

2399. **Shri Brij Raj Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to **state :**

(a) the details of the valuables and other confiscated goods belonging to the smugglers, profiteers and black-marketeers recovered during raids conducted on their premises and by breaking their bank lockers during emergency;

(b) the amount of money, goods or ornaments and precious metals seized from smugglers which are still with the Government and which have been returned to them; and

(c) the action being taken by Government in regard to the money, goods and valuables of those persons ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal) : (a), (b) & (c) : During 1975-76 and 1976-77, the Income-tax authorities conducted search and seizure operations in 6,206 cases resulting in seizure of assets worth over Rs. 41.79 crores. This includes the cases of smugglers and profiteers. In so far as the persons proceeded against under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention Activities Act are concerned, information presently available is as per the enclosed statement.

After a search, involving seizure of valuable assets, the first step is to pass an order under section 132(5) of the Income-tax Act, 1961 determining the undisclosed income in a summary manner and to retain such of the seized assets as are sufficient to satisfy the aggregate of the tax liability under the various Direct Tax Acts. Thereafter, regular assessments are taken up and action as called for in law taken, including levy of penalty/launching of prosecution wherever warranted.

Information on part (a), (b) & (c) of the question in respect of the seizures made and further action taken under the Customs Act and Gold Control Act during Emergency is being collected and will be laid on the Table of the House.

STATEMENT

Details of the Money, valuables and other goods seized from persons, who have been proceeded against under COFEPOSA during raids conducted by Income-tax Department during the Emergency

	Cash	Jewellery	Precious Metal	Other Valuable	Total
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
(a) The value of material seized during searches conducted by Income-tax Department .	475(000)	837(000)	31(000)	6(000)	1349(000)
(b) The value of material retained under section 132(5) of the Income-tax Act out of (a) above . . .	443(000)	798(000)	31(000)	6(000)	1278(000)
(c) The value of material returned to the assessee out of (a) above .	32(000)	39(000)	..	..	71(000)

खंडसारी का निर्यात

2400. **श्री आर० कोलनथाइवेल** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में खण्डसारी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको निर्यात किया गया ;

(ख) विभिन्न राज्यों के निर्यातकों का विवरण क्या है और तमिल नाडु के व्यापारियों के नाम क्या हैं; और

(ग) खण्डसारी के निर्यात व्यापार में राज्यों का योगदान कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) भारत से पिछले तीन वर्षों में खंडसारी चीनी का कोई निर्यात नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

Branches of banks opened in rural areas

†2401. **Shri Subhash Ahuja**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of branches of banks opened in rural areas during the last three years ; and

(b) the amount of loans advanced by them for development of rural industries and agriculture during the same period?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) The Reserve Bank of India have reported that the commercial banks opened 2884 branches at rural centres during the three years 1974, 1975 and 1976. During the current year (upto September 30, 1977), the number of rural branches opened by commercial banks was 1353.

(b) The total outstanding advances of rural branches of scheduled commercial banks as at the end of December 1974, December 1975 and December 1976 are set out below:—

	(Rs. crores)
December 1974	482.77
December 1975	608.37
December 1976	905.62

Data are not, however, separately available in respect of advances made by new branches opened during the last three years or their sectoral distribution.

Chemical oil smuggled by a Clerk and Assistant Manager of Air France at Palam Airport

2402. **Shri Ram Dhari Shastri:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Assistant Manager, Air France stationed at Palam Airport and one clerk smuggled into India by Air France Flight No. 180 on midnight of 3rd and 4th May, 1976 two drums of chemical oil;

(b) whether the Customs authorities challenged them and then let them off by imposing a minor penalty on Air France, under the then Congress Government's pressure ;

(c) whether this officer is still stationed at Palam Airport and is carrying on smuggling of Narcotics and other banned articles out of India by Air France flights; and

(d) if so, what action Government propose to take against this officer and such other officers of Air France?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a) Report received by the Government shows that on 5th May 1976, the Customs Officers of Delhi Collectorate seized two tins of Motor Flushing Oil 'Caltex' valued at Rs. 300 from the godown of Air France Cargo Office at Palam Airport. Enquiries were made from the Assistant Station Manager and the Traffic Assistant of M/s Air France at Palam Airport. The investigations made by the customs authorities revealed that these two tins had been offloaded from Air France Flight No. 180 on the night of 3/4-5-1976 at Delhi as unmanifested cargo.

(b) On 5th May 1976, a case was registered against M/s. Air France for violation of the provisions of the Customs Act, 1962 as well as of the Imports and Exports (Control) Act, 1947. In departmental adjudication both the tins were confiscated and a penalty of Rs. 100 was imposed on Air France which they have deposited on 22nd April 1977.

(c) The Assistant Station Manager of M/s Air France is at present stationed at Palam Airport on the traffic side. Reports received by the Customs authorities at Delhi recently do not show any involvement of the officials of M/s Air France in smuggling of Narcotics and other banned articles at Palam Airport.

(d) Does not arise.

Loan given to Industries by Nationalised Banks

†2403. **Shri Vijay Kumar Malhotra:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan given to the industries by the nationalised banks in 1974-75, 1975-76 and 1976-77; and

(b) the amount of loan out of it given to the small scale industries and cottage industries and that given to the big industries ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) & (b): Available data on outstanding advances of public sector banks for medium and large industries and Small Scale Industries as on December 1974, 1975 and 1976 are set out below :

	Rs. in crores Public Sector Banks
(i) Medium and Large Industries	
December 1974	3210
December 1975	3806
December 1976	5383*
(ii) Small-Scale Industries **	
December 1974	940
December 1975	1061
December 1976	1274

* Data relate to Scheduled Commercial Banks.

** Separate figures of bank credit to cottage industries are not available. Advances to cottage industrial units coming within the definition of small scale industry are included in the figures of advances to small scale industries given above.

Borrowing of loans by M/S Nalikool Private Limited from Banks

2404. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s Nalikool Private Limited, Nalikool, District Hooghli is indulging in borrowing loans from United Commercial Bank, First National City Bank, and Grindlys Bank on the basis of forged applications and other related documents of farmers and keeping their own potatoes in their own cold storage with that assistance;

(b) if so, whether Government propose to order an enquiry into the matter to find out the names of persons being used by the company for keeping their own stocks in cold storage; and

(c) the quantity of potatoes along with the value kept by the company in cold storage during the last three years and the names of persons which were used for the purpose and the rent charged by the company in each case ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a), (b) & (c): The Reserve Bank of India is collecting the information to the extent possible and the same will be laid on the Table of the House.

बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा मैसर्स स्ट्रेच फाइबर्स, नागपुर और स्ट्रेचलोन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को ऋण देना

2405. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ महाराष्ट्र ने मैसर्स स्ट्रेच फाइबर्स, नागपुर और स्ट्रेचलोन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई को बड़ी राशि के ऋण दिये हैं ;

(ख) क्या उपर्युक्त ऋणों की सुरक्षा और एक को की लाभप्रदता की जांच की गई थी; और

(ग) क्या उपर्युक्त ऋणों के लिए रिजर्व बैंक की स्वीकृति ले ली गई है और उक्त ऋण खातों की रिपोर्ट के क्या निष्कर्ष हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) मैसर्स स्ट्रेच फाइबर्स, नागपुर और स्ट्रेचलोन प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई अपने बैंकरों से कुछ ऋण सुविधाओं का लाभ उठाती हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) स्ट्रेच फाइबर के मामले में, बैंक ने, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार, ऋण प्राधिकरण के लिए रिजर्व बैंक को लिखा है। खातों की स्थिती के बारे, में बैंकों मे प्रचलित प्रथाओं और व्यवहार के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनी (प्रतिष्ठानों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1970 के उपबन्धों के अनुरुप भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के मामलों विषयक अथवा उनसे सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जाती ।

बीमार एककों के आधुनिकीकरण के लिए अनुदार शर्तों पर ऋण योजना के अन्तगंत प्राप्त आवेदन पत्र

2406. **श्री एल० आर० दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को कपड़ा, पटसन, चीनी तथा इंजीनियरी उद्योगों में बीमार एककों के आधुनिकीकरण के लिए अनुदार शर्तों पर ऋण योजना के अन्तर्गत कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उद्योग-वार कितनी सहायता की मांग की गई ;

(ख) कितने आवेदन पत्र मंजूर किये गये और कितनी राशि मंजूर की गई तथा अब तक वस्तुतः कितना धन बांटा गया है ;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मंजूर राशि का पूरा भुगतान करने के लिए धन-राशि की कमी का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह निभाने के लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किये जाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की आसान शर्तों पर ऋण योजना का उद्देश्य पांच चुने हुए उद्योगों अर्थात् सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, सीमेंट और कुछ इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादक एककों के आधुनिकीकरण के लिए रियायती दरों पर वित्त की व्यवस्था करना है ताकि ये एकक अपनी उत्पादकता और प्रतियोगितात्मकता बढ़ा सकें। इस योजना का संचालन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत प्राप्त, नामंजूर, मंजूर, वितरित और अनिर्णीत आवेदन पत्रों की संख्या (राशि सहित) को 31-10-1977 की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस योजना के अंतर्गत सहायता देने के लिए आवश्यक निधि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सरकार के आवश्यक समर्थन से बाजार ऋण लेकर आवश्यकतानुसार जुटाई गई है।

विवरण

आसान शर्तों पर ऋण की योजना के अंतर्गत प्राप्त, नामंजूर, मंजूर, वितरित और अनिर्णित आवेदनपत्रों की संख्या की 31 अक्तूबर, 1977 की स्थिति की राज्य-वार ब्यौरा

उद्योग	प्राप्त आवेदन पत्र		नामंजूर/वापिस लिये गये/प्रारम्भिक जांच के बाद समाप्त बन गये आवेदन पत्र		मंजूर आवेदन पत्र		विवरित आवेदन पत्र		अनिर्णित आवेदन पत्र	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. वस्त्र .	173	322.16	35	75.45	47	32.03	3	1.25	91	201.95
2. सीमेंट	14	85.5	6	48.68	5	22.17	2	1.44	3	13.77
3. चीनी .	68**	163.16	44	113.27	10	15.80	1	0.28	14	29.21
4. पटसन	17	54.13	..	..	6	13.47	..	..	11	36.13
5. इंजीनियरी	88	81.64	66	51.04	16	16.27	1	0,75	6	8.60
	360	706.24	151	288.44	84	99.74X	7	3.72	125XX	289.66

** 106.65 करोड़ रुपये के वे 49 आवेदन पत्र शामिल नहीं हैं, जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस आदि के अभाव में केवल पूछताछ माना गया है।

X एककों के आवेदन पत्रों में दी गई राशि कुल मिलाकर 128.14 करोड़ रुपये बैठती है।

* 24.95 करोड़ रुपये के वे 8 आवेदनपत्र शामिल नहीं हैं जिन्हें पूछताछ माना गया था।

XX अनिर्णित आवेदनपत्रों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

	वस्त्र	सीमेंट	चीनी	पटसन	इंजीनियरी
(क) आवेदन पत्र जिनके बारे में निरीक्षण किया गया है	18	2	13	7	2
(ख) अनिर्णीत आवेदन पत्र—					
(1) सूचना का अभाव . .	40	1	..	..	1
(2) प्रारम्भिक जांच चालू है .	31	..	1	4	3
(3) जांच आरम्भ होनी है .	2	..	..	..	..
	91	3	14	11	6

निर्यात सहायता योजना के अन्तर्गत उद्योगवार धनराशि का भुगतान

2407. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात सहायता योजना के अन्तर्गत उद्योगवार कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(ख) लघु उद्योगों द्वारा कितना निर्यात किया गया और योजना के अन्तर्गत उन्हें कितनी सहायता दी गई; और

(ग) क्या इस क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देने के लिये कोई नई योजनायें तैयार की जाती हैं जिससे वे अपने निर्यात बढ़ा सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफबेग) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमुख उत्पाद समूहों को नकद मुआवजा सहायता के रूप में वितरित की गई कुल धनराशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है (अनुबन्ध क) ।

(ख) लघु उद्योग एकक द्वारा किये गये निर्यात तथा इन एककों को नकद मुआवजा सहायता के रूप में दी गई धनराशि दर्शाने वाले पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों का निर्यात बड़े पैमाने के एककों द्वारा भी किया जाता है ।

पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अधीन लघु उद्योग एककों को अनेक विशेष सुविधाएं दी जाती हैं । एक संक्षिप्त विवरण संलग्न है, जिसमें सार रूप में ये सुविधायें दी गई है (अनुबंध ख) । **(ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1250/77)**

(ग) लघु उद्योग एककों को उपलब्ध की कई सुविधाओं की बराबर समीक्षा की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष आयात नीति के संशोधन के समय आवश्यक परिवर्तनों की घोषणा की जाती है ।

राष्ट्रीय वेतन नीति के अध्ययन हेतु राष्ट्रीय वेतन बोर्ड

2408. **डा० बसन्त कुमार पंडित :**
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राष्ट्रीय वेतन नीति बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इस समस्या का अध्ययन करने और रचनात्मक मार्गोपाय सुझाने के लिए सरकार का विचार एक राष्ट्रीय वेतन बोर्ड अथवा समिति नियुक्त करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : सरकार ने यह निर्णय किया है कि वेतन आय और मूल्य नीति के विषय में तत्काल एक व्यापक अध्ययन किया जाय ताकि वेतन आय और मूल्यों के बारे में एक एकीकृत नीति बनाई जा सके । सरकार ने अक्तूबर, 1977 में श्री एस० भूतलिंगम की अध्यक्षता में वेतन आय और मूल्य विषयक एक अध्ययन दल बनाया है । अध्ययन दल को वेतन आय और मूल्य नीति का एक मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया है ।

उड़ीसा राज्य में लोह और मैंगनीज अयस्क के भण्डार

2409. **श्री पी०के०कोडियन :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य की विभिन्न खानों में 20 लाख मीटरी टन लौह और मैंगनीज अयस्क पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या खान तथा खनिज व्यापार निगम द्वारा अयस्क न उठा पाने के कारण ही खानों में भारी भण्डार जमा हो गये हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य खान निगम को लौह और मैंगनीज अयस्क का सीधे निर्यात करने की अनुमति देने के लिए केन्द्र की आज्ञा मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री खाद्यों का निर्यात

2410. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976–77 में समुद्री खाद्यों के निर्यात से कितनी राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) क्या सरकार का विचार समुद्री खाद्यों के निर्यात में वृद्धि करने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समुद्री-खाद्यों तथा समुद्री-वनस्पति के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सन्दपम, तमिलनाडु में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का एक केन्द्र स्थापित करने का है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) वर्ष 1976–77 में समुद्री खाद्यों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा अनन्तिम रूप से लगभग 189 करोड़ रु० बैठती है।

(ख) जी हां। सरकार का विचार है कि विभिन्न विकासात्मक उपाय, बाजार तथा उत्पाद गवेषण, प्रचार प्रोपेगैण्डा आदि करके समुद्री खाद्यों का निर्यात बढाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाये।

(ग) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

महालेखाकार वाणिज्य, निर्माण एवं विविध नई दिल्ली के कार्यालय में मण्डलीय लेखापालों की भर्ती

2411. **श्री इब्राहीम सुलेमान सैद :**
श्री डी० जी० गवई :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विधि, अंसल भवन, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली के कार्यालय में मण्डलीय लेखापालों के पद के लिए आरम्भिक भर्ती हेतु फरवरी, 1976 में ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परीक्षा में कितने परीक्षार्थी बैठे थे और सफल घोषित किये गये परीक्षार्थियों के नाम क्या हैं;

(ग) कितने उम्मीदवारों को इस बीच नियुक्त किया जा चुका है; और

(घ) शेष सफल उम्मीदवारों को उक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 4198 उम्मीदवार परीक्षा में बैठे थे जिनमें से 112 सफल घोषित किये गये। उनके नामों का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1251/77**] ।

(ग) और (घ) : प्रत्येक सफल उम्मीदवार को सूचना दे दी गई है कि परीक्षा के परिणाम-स्वरुप, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विभागीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षणों सहित, भरे जाने वाले सम्भावित पदों की संख्या, योग्यता के आधार पर और रिक्तियों के होने पर, 20 होगी। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में लेखाओं के विभागीयकरण के पश्चात् डिविजिनल लेखाकारों के पदों पर नियुक्ति करने के लिए सम्पूर्ण योजना की समीक्षा की गयी। यह महसूस किया गया कि लेखाओं को रखने संबंधी कार्यों और डिविजनों में उपलब्ध कराये जाने वाली वित्तीय सलाह को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और जिन व्यक्तियों ने कनिष्ठ लेखा अधिकारी (सिविल) परीक्षा अथवा भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा पास की थी उनको इसके पश्चात् डिविजिनल लेखाकारों के रुप में तैनात किया जाना चाहिए। इसके अलावा, डिविजिनल लेखाकारों के संवर्ग में पदोन्नति के अवसर अधीनस्थ लेखा सेवा कार्मिकों के पदोन्नति अवसरों के तुलनायोग्य न होने के कारण यह विचार किया गया कि डिविजिनल लेखाकारों के ग्रेड में और आगे भर्ती पर रोक लगा दी जाए। परिणामस्वरुप, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध द्वारा ली गयी परीक्षा में जो उम्मीदवार बैठे उनको डिविजिनल महालेखाकारों के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सका। परन्तु, उन 20 व्यक्तियों का सहमति प्राप्त की जा रही है जिनका महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण और विविध द्वारा विभागीयकृत लेखा कार्यालयों में कनिष्ठ लेखाकारों के रूप में नियुक्त करने के लिए पैनल तैयार किया गया था और जो व्यक्ति अपना सहमति देंगे उनकी नियुक्ति करने पर विचार किया जाएगा।

Reinstatement of Employees of Accountant General, Gwalior

2412. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether employees of the office of the Accountant General, Gwalior, who went on strike during the railway strike in May, 1974, have not since been reinstated;

(b) whether inhuman treatment is still being meted out to the employees of that office and they are being punished; and

(c) the steps being taken by Government to reinstate these employees?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) Out of 614 employees of the office of Accountant General, Madhya Pradesh, Gwalior who went on strike during the "Railway strike" in May, 1974, 61 permanent employees were suspended. These employees have since been reinstated. Out of 28 temporary employees whose services were terminated in terms of the Government instructions issued at that time, 24 employees have not been reinstated.

(b) No, Sir.

(c) The question of reinstatement of employees, whose services were terminated for participating in May, 1974 strike and other action taken in terms of the orders issued at that time is a general issue affecting not only the employees of the Indian Audit and Accounts Department but also other Departments. The matter is receiving the attention of the Government.

Request for allowing speculation to continue

2413. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether some Members had submitted a joint representation during the last session requesting Government to allow speculation to continue; if so, names of those Members; and

(b) whether the Chief Minister or a Minister of a State Government have also written to the Centre requesting to allow speculation to continue; if so, the names thereof?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel): (a) The Hon. Member is presumably referring to a representation by Shri D. D. Patel and 29 other Members of Parliament (signatures of all are not legible) regarding free operation of forward trading in linseed, castorseed and silver. Forward trading performs certain useful functions under certain circumstances in the economy and cannot be equated with speculation as commonly understood.

(b) No, Sir.

Foreign Markets for Indian Handloom Apparels

2414. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether efforts have been made by Government to explore foreign markets for Indian handloom apparels;

(b) if so, the name of articles the possibilities for export of which have been found country-wise; and

(c) the names of handloom articles for which orders have been received for the current financial year, country-wise and the amount of foreign exchange to be earned thereby?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig): (a) Yes, Sir. Some of the important steps taken to explore the markets for Indian handloom garments include:

(i) exhibitions organised in the major cities of the world

(ii) study teams sent to important markets to hold discussions with importers about the possibilities of increasing the exports,

(iii) the special publicity campaign in foreign countries undertaken by the Handloom Export Promotion Council.

(b) Shirts and blouses are the main handloom apparel items which have considerable scope for exports from India. The countries to which these could be exported are: USA, Canada, Australia, USSR, European Economic Community States, Sweden, Norway, Switzerland, Nigeria, Singapore, Japan, Iraq, Kuwait, Bahrain, Malaysia.

(c) The contracts for the export of apparels are not registered. Therefore, the quantum of orders received cannot be ascertained. However, the estimate of exports of handloom garments during April-September, 1977 is Rs. 43 crores.

विदेशों में भारतीय खेलकूद की वस्तुओं की लोकप्रियता

2415. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय खेलकूद की वस्तूएं लोकप्रिय हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी वस्तुओं के नाम क्या हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किन किन देशों ने भारत से उनकी मांग की है; और

(ग) वर्ष 1977–78 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) भारत से निर्यात होने वाली खेल कूद का महत्वपूर्ण सामान तथा उनकी मांग करने वाले देश निम्नलिखित हैं :—

सामान :—फुटबाल, हाकी स्टिक, क्रिकेट के बल्ले, हाकी तथा क्रिकेट की गेंदे, स्पोर्ट कप, रबड़ के गुब्बारे आदि ।

देश :—ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमरीका, मलयेशिया, सिंगापुर, कनाडा ।

(ग) 1977–78 के दौरान खेलकूद के सामान के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा अनन्तिम रूप से 18 करोड़ रु० के आस-पास होने का अनुमान है ।

वर्ष 1871 के पेंशन कानून के बारे में सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से ज्ञापन

2416. **श्री डी० वी० चन्द्रगौडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की ओर से सरकार से कोई ज्ञापन दिया गया है जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों दोनों द्वारा 1871 के वर्तमान पेंशन कानून और उसके अधीन बनाये गये नियमों के स्थान पर, सरकारी कृत्यों की परिवर्तित धारणा और नई सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक और प्रगतिशील कानून बनाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : पेंशन भोगियों के संघ पेंशन अधिनियम 1871 को प्रतिस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। अधिनियम, पेंशन के मान पेंशन भोगियों को राहत प्रदान करना और पेंशन मंजूर करने के लिए कार्यविधि जैसे मामलों का विनियमन नहीं करता ; ये मामले केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 और समय समय पर जारी किए गए विभिन्न कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विनियमित किए जाते हैं। प्रशासकीय ढांचे, रोजगार की स्थिति और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में हुए परिवर्तनों ने अधिनियम को अप्रचलित नहीं कर दिया है। और नही अधिनियम ने सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय समय पेंशन संबंधी लाभों की वृद्धि के मामले में जिसे संगत नियमों में संशोधन करके तथा कार्यकारी अनुदेशों को जारी करके प्राप्त किया गया है, किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली है।

जहाँ तक राज्य सरकारों का संबंध है पेंशन के संबंध में उनकी अपनी संविधियां हैं और केन्द्रीय सरकार उनके लिए कानून नहीं बना सकती।

आर्थिक विकास के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ के सुझाव

2417. **श्री के० ए० राजन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने सरकार द्वारा किए जाने वाले ऐसे सामूहिक उपायों का सुझाव दिया है जिनसे सरकार को आर्थिक विकास की गति तीव्र होने में सहायता मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और उनके बारे में सरकार की क्या राय है; और

(ग) इससे देश के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ ने हाल ही में "आर्थिक नीति प्रगति के लिए नीति" (पालिसीज फार इकनामिक प्रोग्रेस) नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की है।

(ख) तथा (ग) : एक विवरण संलग्न है जिसमें पुस्तिका में दिये गए सुझावों की मुख्य मुख्य बातें दी गई हैं। यह ठीकठीक बताना कठिन होगा कि इन नीतियों का रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में आर्थिक नीति निर्धारित करते समय संस्थाओं तथा व्यक्तियों से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर विचार किया जाता है।

30 सितम्बर, 1977 को जारी की गई "आर्थिक प्रगति के लिए नीति" नामक पुस्तिका में, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा किये गए सुझावों की मुख्य मुख्य बातें।

अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए पुस्तिका में कई सुझाव दिए गए हैं जिनका उद्देश्य जनता के जीवन स्तर में सुधार करना तथा प्रादेशिक और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1252/77)**

मार्च 1977 से अब तक मारे गए छापों में बरामद सोना

2418 **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1977 से अब तक विभिन्न राज्यों में स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों द्वारा मारे गए छापों में कुल कितने मूल्य का सोना बरामद किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता में स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों ने नवम्बर, 1977 में एक मकान से 1 लाख 80 हजार रुपये मूल्य का सोना बरामद किया था ; और

(ग) सरकार का सोना बरामद करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) 4 नवम्बर, 1977 को कलकत्ता के स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों ने एक प्रमाणित स्वर्णकार के कब्जे से 1,83,701.00 रु० मूल्य का हिसाब में नहीं दिखाया गया शुद्ध सोना तथा नए आभूषण पकड़े ।

(ग) स्वर्ण नियंत्रण कानून का उल्लंघन नहीं होने देने की दृष्टि से निवारक तथा गुप्त सूचना एजेन्सियों अभी भी सतर्कता बनाए रखे हुए हैं ।

मिजोरम की आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त कोटे की सप्लाई

2419. **डा० आर० रोथुअम :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस तथ्य की जानकारी है कि आयातित रेपसीड तेल आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं में से अधिकांश वस्तुओं को मिजोरम में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से कभी भी सप्लाई नहीं कि गई और इस समय चावल, खाद्य तेल, चीनी, आटा, दाल आदि जैसे आवश्यक वस्तुओं का प्रति व्यक्ति कोटा आने वाले थिंगटम अकाल, जिसके कारण इस वर्ष सम्पूर्ण मिजोरम में फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, के कारण लोगों की दैनिक आवश्यकता में हुई अचानक वृद्धि को पूरा करने के लिए बहुत ही कम है ; और

(ख) क्या इस थिंगटम अकाल को देखते हुये जो इस वर्ष हो रहा है, आवश्यक वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा की निरन्तर सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण मिजोरम में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई विशेष निरोधक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ताकि गैर-सामाजिक तत्व इस नाजुक स्थिति का लाभ न उठायें जैसा कि वर्ष 1960 में हुआ था और जिसमें वर्तमान में चल रहा भूमिगत आन्दोलन आरम्भ हुआ था ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) यह कहना बिल्कुल सही नहीं है कि इस वर्ष सम्पूर्ण संघ शासित क्षेत्र मिजोरम में फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, क्योंकि अकाल से हुआ नुकसान अलग-अलग

स्थान पर अलग-अलग है। मिजोरम प्रशासन को स्थिति की जानकारी है और वह इस बात के लिए कदम उठा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल व गेहूं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जाये, जिसके लिए सप्लाई भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। शहरी इलाकों की तरह देहाती इलाकों में भी चावल का राशन 2 किलोग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह से बढ़ाकर 3 किलोग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है। दिसम्बर, 1977 से देहाती इलाकों में लेवी वाली चीनी का कोटा 300 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह से बढ़ाकर 425 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह किया जा रहा है। यद्यपि रेपसीड तेल जैसी वस्तुएं इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर सामान्य व्यापारिक माध्यमों से उपलब्ध हैं और इन वस्तुओं के व्यापार को भी केन्द्रीय सरकार के हाल के अनुदेशों के अनुसार नियमित किया जा रहा है।

(ख) प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण केन्द्रों को सुव्यवस्थित करने के लिए कदम उठा लिये हैं और भारतीय खाद्य निगम से अनाज की अतिरिक्त मात्रा लेने के लिए बजट व्यवस्था कर भी ली है। भारतीय खाद्य निगम से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे निकटस्थ गोदाम में काफी स्टाक जमा कर रखें, ताकि किसी भी संभाव्य स्थिति का सामना किया जा सके। मिजोरम पल्सेस एण्ड एडिबल आयल्स डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, 1977 के घोषित किये जाने से प्रशासन अब थोक तथा फुटकर विक्रेताओं को नियुक्ति करके इन वस्तुओं के व्यापार को नियमित करने का विचार कर रहा है। ताकि संघ शासित क्षत्र में समुचित मात्रा में माल लाया जा सके। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों में क्रय-शक्ति लाने के लिए उन्हें सहायता कार्यों में लगाया जा रहा है।

ग्वालियर और ग्वालियर क्षेत्र का पर्यटन केन्द्र के रुप में विकास

2420. **श्री माधोराव सिंधिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर और ग्वालियर क्षेत्र का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्राप्त सुझावों के बारे में हुई प्रगति विस्तार में क्या है ; और

(ख) इन सुझावों को क्रियान्वित करने में कितना समय लगेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) पर्यटन विभाग को ग्वालियर तथा ग्वालियर क्षेत्र का एक पर्यटन केन्द्र के रुप में विकास करने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्राप्त हुए थे :—

(i) इंडियन एयरलाइन्स को दिल्ली-आगरा खजुराहो उड़ान का ग्वालियर में एक अतिरिक्त स्टाप होना चाहिए, ताकि पर्यटक ग्वालियर तथा शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क सहित उसके आस-पास के क्षेत्रों को देख सकें ; और

(ii) ग्वालियर में वातानूकूलित बसें उपलब्ध करायी जानी चाहिएं, ताकि पर्यटक शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क की यात्रा कर सकें तथा वहां से झांसी होते हु खजुरा जा सकें।

(ख) जहां तक उपर्युक्त (i) पर दिये गये सुझाव का सम्बन्ध है, क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स के विमान बेड़े की स्थिति तंग है और उसके परिणामस्वरूप उड़ान अनुसूची भी तंग है, इसलिए इसको दिल्ली–आगरा–खजुराहो सेवा पर ग्वालियर में एक हॉल्ट की व्यवस्था करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में जनता होटल का निर्माण

2421. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में सस्ती दरों वाले जनता होटल खोलने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। दिल्ली में एक जनता होटल बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) होटल बनाने का मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय तथा अन्तर्देशीय दोनों ही प्रकार के सीमित बजट वाले पर्यटकों के लिये यथासम्भव न्यूनतम दरों पर आरामदेह आवास की व्यवस्था करना है, जिसमें सेवा पर अधिक बल दिया जायेगा। होटल में ''गैस्ट रूम्स'' के रूप में आवास की व्यवस्था होगी जहां कम से कम दो व्यक्तियों के ठहरने की जगह होगी और न्यूनतम आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था होगी। अधिकांश कमरों के साथ संलग्न "बाथ रूम" होंगे और कुछ एक में "बाथ रुम" सांझे होंगे। होटल में प्रस्तावित अन्य सुविधाओं में एक केफेटोरिया एक सस्ता रेस्टोरेंट, एक नाना प्रयोजनीय हाल, एक शापिंग मार्केट और राज्य पर्यटन सूचना कार्यालयों के लिए स्थान होगा।

जनता होटल बनाने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता

2422. **श्री समर मुखर्जी :**
श्री नवाब सिंह चौहान :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि राज्य सरकारें राज्य वित्तीय निगमों से स्वयं धन न जुटा सके और वे जनता होटलों के निर्माण के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग करें तो क्या सरकार उस पर विचार करेगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : केन्द्रीय क्षेत्र में जनता होटल बनाने और केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मामले पर योजना आयोग से विचार विमर्श किया जा रहा है।

अग्रिम योजना सहायता के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2423. **श्री माधौराव सिंधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1977–78 के लिए निर्धारित योजना–सहायता के अतिरिक्त अग्रिम योजना–सहायता के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन हाल ही में दिल्ली में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस सम्मेलन में किन-किन राज्यों ने भाग लिया और उनके मुख्य मंत्रियों ने क्या-क्या विचार व्यक्त किए ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) : राज्यों को अतिरिक्त अग्रिम आयोजनागत सहायता को मंजूरी देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों का कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों/वित्त मंत्रियों के साथ अलग-अलग बैठकें हुई थी । इन बैठकों में राज्यों से अतिरिक्त संसाधन जुटाने, आयोजना-भिन्न व्यय में किफायत करने, कर तथा कर-भिन्न राजस्व में सुधार लाने, सरकार को देय रकमों की वसूली में तेजी लाने, अल्प बचत के संग्रह में तेजी लाने और अन्य उपयुक्त उपाय करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि अतिरिक्त संसाधनों के जुटाने में कमी और करों में रियायत, कर्मचारियों को राहत और वार्षिक आयोजना को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् अतिरिक्त आयोजना-भिन्न वित्तीय देन दारियों का भार उठाने के कारण संसाधनों के क्षय हो जाने के परिणाम-स्वरूप वार्षिक आयोजना 1977-78 के लिए संसाधनों में अन्तराल को पूरा किया जा सके । बहुत-सी राज्य सरकारें इन उपायों को अपनाने तथा संसाधनों में अन्तरालों को कम करने पर सहमत हो गई । परन्तु यह पाया गया कि अभी भी विशाल अन्तराल रह जाएंगे । राज्यों द्वारा अनुमोदित आयोजनागत परिव्यय को बनाए रखने तथा विकास की गति को जारी रखने, में राज्यों की सहायता करने के लिए यह निर्णय किया गया कि संसाधनों में आए आधे अवशिष्ट अन्तराल को अतिरिक्त अग्रिम आयोजनागत सहायता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए ? इस स्थिति की समीक्षा की जाती रहेगी ।

सीमाशुल्क निकासी संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव

2424. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों तथा माल की सीमा शुल्क निकासी संबंधी प्रक्रिया को सरल, तेज और आसान बनाने के लिए कानूनों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कानूनों में संशोधन अनुमानतः कब तक किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग) : सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों और उनके असबाब पर लागू होने वाले नियमों, विनियमों तथा कार्यविधियों की समीक्षा करने के लिए तथा यात्रियों और उनके असबाब की शीघ्र निकासी के उपायों के संबंध में सिफारिश करने के लिए, एक समिति नियुक्त की थी । समिति ने अब कुछ सिफारिशें पेश की हैं जिनकी जांच की जाती है ।

पुणे (महाराष्ट्र) के गणित संस्थान की ओर से अभ्यावेदन

2425. **श्री आर के० महालगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुणे (महाराष्ट्र) के एक गणित-संस्थान भास्कराचार्य प्रतिष्ठान का दिनांक 4 अप्रैल, 1977 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में उसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35(दो) के अधीन वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है तथा कब ; और

(ग) क्या इसको सम्बन्धित लोगों को सूचना दे दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) जी, हां। पुणे स्थित भास्कराचार्य प्रतिष्ठान से 7 अप्रैल, 1977 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(ख) इस प्रतिष्ठान को आय कर अधिनियम 1961 की धारा 35(i) (ii) के अन्तर्गत मान्यता दे दी गई है, देखिए दिनांक 24 सितम्बर, 1977 को अधिसूचना संख्या 1997।

(ग) जी, हां। प्रतिष्ठान को उपर्युक्त मान्यता की सूचना दे दी गई है और उन्होंने जारी की गई अधिसूचना की पावती भी भेज दी है।

केरल में परियोजनाएं जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई

2426. **श्री वयालार रवि :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसी परियोजनाओं की संक्षिप्त रूप-रेखा क्या है जिनकी क्रियान्विती के लिए विश्व बैंक से सहायता का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) विश्व बैंक से इस प्रयोजन के लिये किये गये विचार विमर्श का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : विश्व बैंक के साथ एक कृषि विकास परियोजना के संबंध में बातचीत हुई है जिस पर 3 करोड अमरीका डालर की लागत आएगी। इस परियोजना की मुख्य बातें हैं—नारियल और कालीमर्च की अधिक उपज देने वाली नई किस्मों के पौधे लगाकर क्षेत्र का विकास करना, काजू बागानों को फिर से ठीक-ठाक करना, नारियल काजू कोको और गर्म मसालों के लिए बीजों के बाग लगाना, रबड़ बनाने वाले कारखाने लगाना, कृषि अनुसंधान और इन कार्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऋण देने का कार्यक्रम।

समुद्री मीन उद्योग के विकास के लिए भी सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन से विश्व बैंक के सम्मुख एक परियोजना का प्रस्ताव रखा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत बंदरगाह का विकास, नौकाओं की खरीद और संसाधन और विपणन का कार्य शामिल है। विश्व बैंक के एक जानकारी मिशन ने परियोजना रिपोर्ट पर राज्य के अधिकारियों के साथ प्रारम्भिक विचार विमर्श करने के लिए अक्टूबर, 1977 में कुछ दिन के लिए केरल राज्य की यात्रा की थी। इस मिशन की प्रतिक्रिया की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

ऊटी में पर्यटन के लिए पोषक हवाई सेवा

2427. **श्री पो० एस० रामलिंगम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊटी में पर्यटन के संवर्धन के लिए बनायी गयी पोषक सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : "थार्ड लाइन आपरेशन" चलाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। परन्तु ऊटी में न कोई हवाई अड्डा है और न कोई बनाने का प्रस्ताव ही है। इंडियन एयरलाइन्स कोयम्बटूर के लिए, नियमित अनुसूचित सेवाएं परिचालित करती है, जो ऊटी से 152 किलोमीटर दूर है।

Export of wall clocks and wrist watches

2428. **Shri Daya Ram Shakya**: Will the Minister of **Commerce** and **Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the value of wall clocks and wrist watches exported during the last three years; and

(b) number of public and private sector firms which received export orders for supply of watches from the foreign countries, country-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig):

(a) 1974-75 Rs. 13.43 lakhs
1975-76 Rs. 30.41 lakhs
1976-77 Rs. 24.69 lakhs

(b) The exports were effected mostly by Hindustan Machine Tools Ltd., a Public Sector Undertaking alongwith a few private exporters against orders received from Thailand, Kuwait, Turkey, Iran, Czechoslovakia, U.K., Switzerland and Australia etc.

निर्यातकर्ताओं को नकद सहायता

2429. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यातकर्ता मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार 1 सितम्बर 1977 से काउंटर पर नकद सहायता प्राप्त कर सकेंगे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सुविधा के लिए क्या शर्तें रखी गई है और उससे किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, हां।

(ख) 11 अगस्त, 1977 को अधिसूचित नकद सहायता की सरलीकृत भुगतान योजना के अनुसार जिन निर्यातकों ने 1976-77 के दौरान निर्यात किये थे और उन पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस अथवा नकद सहायता अर्जित की है, वे इस योजना के अन्तर्गत लाभों को प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे। तथापि सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह उन निर्यातकों को अपवर्जित कर दे जिनके विरुद्ध उसे कोई सूचना मिली हो।

चूंकि यह योजना इस लिए बनाई गई है कि पात्र निर्यातक प्रत्येक पौतलदान के बाद यथा संभव शीघ्र काऊंटर से नकद मुआवजा सहायता की पूरी राशि प्राप्त कर सके, अत: इससे निर्यातकों को सरकार से ऐसी राशि के मिलने में होने वाला विलम्ब समाप्त हो जाएगा ।

प्रत्यक्ष कर सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

2430. **श्री धर्मवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पालकीवाला समिति (जिसका चेयरमैन बाद में अन्य व्यक्ति बना था) के प्रत्यक्ष करों के बारे में सुझाव इस बीच प्राप्त हो गये और यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) तथा (ख) : भारत सरकार के संकल्प के अनुसार, जिसके अधीन प्रत्यक्ष कर-कानूनों पर विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी, समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1977 तक प्रस्तुत करना है। अभी यह अवधि समाप्त नहीं हुई है, इसलिए समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलंड में भारतीय खेल सामान की निर्यात सम्भावना

2431. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में भारतीय खेल सामान की भारी निर्यात सम्भावना के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) क्या हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि इन वस्तुओं के लिए विपणन व्यवस्था ठीक प्रकार नहीं की जाती ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अलग-अलग निर्यातकर्त्ताओं पर इसे छोड़ने की बजाय किसी सक्षम प्राधिकारी को इसकी विस्तृत जांच का कार्य सौंपा जायेगा ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) : खेल कूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद ने आस्ट्रेलिया में एक सर्वेक्षण किया था और व्यापार विकास प्राधिकरण ने आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड में अलग से सर्वेक्षण किया था सामान्यत: यह पता चला कि इन देशों में परम्परागत भारतीय खेल कूद सामान की अच्छी गुंजाइश है । तथापि यह पता चला कि विपणन के विषय में कुछ कमियां रह जाती है जिन का मुख्य कारण यह है कि बढ़िया माल तैयार करने के सम्बन्ध में उत्पादन सम्बन्धी कुछ मजबुरियां है । व्यापार विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट में दी गई सिफारिश में से एक मुख्य सिफारिश यह थी कि मेरठ तथा जालन्धर में क्रमश: उत्तर प्रदेश निर्यात निगम तथा पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम के नियंत्रण में खेल कूद सामान की औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जांए । इन सुझावों को सम्बन्धित राज्य निगमों को भेज दिया गया है ।

पिछले 3 वर्षों में कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड के खेल कूद के सामान के निर्यात नीचे दिये गए है । 1976-77 के दौरान विशेषरूप से आस्ट्रेलिया को होने वाले निर्यातों में उल्लखनीय वृद्धी हुई है ।

	1974–75	1975–76	1976–77 (लाखों में)
1. आस्ट्रेलिया . .	92.92	96.21	172.86
2. कनाड़ा	20.19	19.43	23.83
3. न्यूजीलण्ड . . .	15.41	12.89	17.96

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा

2432. **श्री एच० एल० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अस्थायी चेयरमैन ने एक प्राइवेट लेखा कार द्वारा प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा करायी थी ;

(ख) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात् विकास प्राधिकरण अधिनियम में यह व्यवस्था है कि प्राधिकरण के लेखे का लेखा परीक्षण केवल भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक अथवा उसके अधिकारियों द्वारा कराया जाये ;

(ग) यदि हां, तो लेखों को लेखा परीक्षा प्राइवेट लेखाकारों द्वारा कराये जाने का क्या औचित्य था ;

(घ) क्या तत्पश्चात् उपरोक्त लेखों का लेखा परीक्षण वाणिज्य मंत्रालय के लेखा परोक्षण के एक दल द्वारा कराया गया था और उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था ; और

(ड़) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है और लेखा तथा व्यय में अनियमितताओं के लिए प्राधिकरण का सचिव कहां तक उत्तरदायी है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क), (ख) तथा (घ) : जी हां ।

(ग) तथा (ड.) : प्राधिकरण से प्राप्त टिप्पणियों को दृष्टि में रखते हुए इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

प्रस्तावित गोआ पर्यटन विकास प्राधिकरण के कारण सरकार पर वित्तीय भार

2433. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित गोआ पर्यटन विकास प्राधिकरण का स्वरूप और संविधान क्या होगा और इसका केन्द्रीय सरकार और गोआ, दमन और दीव की सरकारों पर क्रमश: अलग-अलग कितना वित्तीय भार पड़ेगा ;

(ख) प्रस्तावित गोआ पर्यटन विकास प्राधिकरण की स्थापना कब तक करने का प्रस्ताव है ;

(ग) उक्त क्षेत्र में समुद्री तटों का जल सर्वेक्षण कार्य कहां तक पूरा हुआ है और इसे अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ; और

(घ) क्या सरकार गोआ में बेतूल समुद्री तट की भांति कालांगुत और कोल्वा के अतिरिक्त अन्य समुद्री तटों पर पर्यटन क्षमता का विकास करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : मामला गोआ, दमन और दीव सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) समुद्रतटीय क्षेत्रों का जल सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ।

(घ) समुद्रतटीय स्थलों के सर्वेक्षण पर यू० एन० डी० पी० की रिपोर्ट में की गयी सिफारिशों के आधार पर तथा निधियों के उपलब्ध होने पर ही समुद्रतटीय क्षेत्रों के विकास करने एवं उनके विकास में प्राथमिकताओं को निर्धारित करने पर विचार किया जाएगा।

निर्बाध व्यापार जोन

2434. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोई नया निर्बाध व्यापार जोन स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल महासंघ के प्रतिनिधिमंडल का रूस का दौरा

2435. **श्री डी० अमात** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल महासंघ के पांच सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने सितम्बर, 1977 में रूस का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधि मंडल ने रूसी नेताओं के साथ हुई वार्ता और उसके परिणामों के बारे में सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : फ़ेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कोमर्स एण्ड इंडस्ट्री का, जो एक प्राइवेट निकाय है, प्रतिनिधि मंडल वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था । प्रतिनिधिमंडल ने इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विदेश यात्राओं पर गए अधिकारी

2436. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कितने अधिकारी गत चार मास में विदेशों के दौरों पर गये ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : 124 केन्द्रीय सरकारी उद्योगों से सूचना प्राप्त हुई है । पिछले चार महीनों के दौरान इन उद्यमों के 890 अधिकारी विदेशों में सरकारी काम से दौरे पर गये थे ।

Increase in tax incidence in relation to National Production

2437. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the per rupee increase in the tax incidence during the decade long rule of former Prime Minister Shrimati Indira Gandhi in relation to the national production; and

(b) whether welfare programmes for the masses were implemented in the same ratio and if not, the reasons therefor.

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) The tax-revenues of Central, State and Union Territory Governments comprised 14.2 paise out of a rupee of national income in 1965-66. In 1976-77, this was estimated to have gone up to 19.4 paise.

(b) The proportion of developmental expenditure, which aims at improving the economic condition and welfare of people, to national income rose from 16.2 per cent in 1965-66 to 20.5 per cent in 1976-77. Government expenditure is financed out of tax revenue as well as non-tax receipts. The smaller increase in development expenditure was due both to a growth of unavoidable non-development expenditure and failure of non-tax receipts to grow as rapidly as tax revenue.

चालू वर्ष के दौरान चीनी के निर्यात का प्रस्ताव

2439. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान 7 लाख टन चीनी निर्यात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये, कि निर्यात की जाने वाली मात्रा घटिया किस्म की न हो ; सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है तथा चीनी का निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : चालू वर्ष 1977 में अब तक राज्य व्यापार निगम ने 57.53 करोड ० मूल्य की लगभग 2.55 लाख मे० टन चीनी का निर्यात इंडोनेशिया, यमन, श्रीलंका, ब्रिटेन, मिस्त्र, सूडान, तंजानिया, कीनिया,

मालदीव, सेशेल्स तथा ओमान की सल्तनत को किया है । वित्तीय वर्ष 1977-78 के संबंध में, सरकार ने जुलाई, 1977 में विनिश्चय किया था कि 1976-77 वर्ष के दौरान हुए उत्पादन में से चीनी का निर्यात केवल उस समय की वचनबद्धताओं तक सीमित रहना चाहिए । अतः 1,45,000 मे० टन मात्रा के लिये स्वीकृति दी गई—1,20,000 मे० टन ईरान को तथा 25,000 मे० टन यूरोपीय आर्थिक समुदाय को ।

निर्यात की गई चीनी घटिया न हो, यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त क्वालिटी नियंत्रण अवश्य लागू किया जाता है ।

दालों के स्टाक की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विभिन्न राज्यों में दालों के मूल्यों पर प्रभाव

2440. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दालों के स्टाक का अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विभिन्न राज्यों में दालों के मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(ख) विभिन्न राज्यों में आदेशों का उल्लंघन करने के कारण कितने व्यापारियों को गिरफतार किया गया ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति-और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) : दाल तथा खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश 30 सितम्बर, 1977 को अधिसूचित किया गया था । इस आदेश में व्यापारियों को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक अपना स्टाक बेचने के लिये 15 दिन का समय दिया गया था। 12 अक्तूबर, 1977 को भारत के उच्चतम न्यायालय में इस आदेश के विरुद्ध रिट-याचिकायें दायर की गयी । उच्चतम न्यायालय ने 14-10-77 को एक अन्तरिम आदेश पास किया जिसमें आवेदकों को निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक कोई भी मात्रा अलग रखने की अनुमति दी गई । उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश भी दिया कि अतिरिक्त स्टाक को जब्त करने के लिये तब तक कोई कार्रवाई न की जाये जब तक कि रिट-याचिकाओं का अन्तिम रुप से निपटान नहीं हो जाता । 9-11-77 को उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश रद्द कर दिया था । तथापि, इस आदेश में यह व्यवस्था थी कि आदेशों के लागू किए जाने के फलस्वरुप आवेदकों को होने वाली किसी भी हानि के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय द्वारा विचार रिट-याचिकाओं को स्वीकार किये जाने पर ही किया जायेगा । 21-11-77 को नया दाल; खाने योग्य तिलहन तथा खाने योग्य तेल (भण्डारण नियंत्रण) आदेश, 1977 जारी किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अधिक सीमायें रख कर निर्धारित सीमाओं को उदार बनाया गया है और तिलहन व्यापारियों तथा मिल मालिकों को भी स्टाक सीमायें लागू की गई हैं । इस आदेश का क्या प्रभाव होता है वह अभी देखना रहता है ।

टी कांउसिल आफ आस्ट्रेलिया के चेयरमैन द्वारा वक्तव्य

2441. **श्री चित्त बसु :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टी कांउसिल आफ आस्ट्रेलिया के चेयरमैन द्वारा चाय की किस्म के बारे में गत सितम्बर के पहले सप्ताह में कोचीन में टी ट्रेडर्स एसोसियेशन को सम्बोधित करते हुए दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : जी हां । परन्तु आस्ट्रेलिया चाय परिषद के अध्यक्ष श्री बोमैन ने दृढ़ता पूर्वक इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने यह बयान दिया है, जो उनके नाम से प्रचारित किया गया है, कि "भारतीय चाय विश्व में सबसे घटिया है"।

हेलमेटों के निर्माण के बारे में भारतीय मानक संस्थान की समिति

2442. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों तथा मोटार साइकिल चालकों की सुरक्षा के लिए हेलमेटों के निर्माण में नये सिद्धान्तों का सुझाव देने हेतू हाल ही में भारतीय मानक संस्था की उप-समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : (क) और (ख) : हाल ही में ऐसी कोई उप-समिति नियुक्त नहीं की गई है। तथापि, भारतीय मानक संस्था ने काफी पहले 1967 में विभिन्न प्रकार के हेलमेटों के मानक तैयार करने के लिए एक उप-समिति बनायी थी । इस समिति ने, अक्तूबर, 1977 में स्कूटर तथा मोटर साइकिल चालकों के हेलमेटों के विशिष्ट विवरणों की फिर से जांच की । यह जांच हेलमेटों का प्रयोग करने वालों के अनुभव विशेषरुप से हेलमेटों में हवा के आने-जाने की व्यवस्था तथा श्रवण शक्ति पर पडने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुये की गयी । उप समिति ने लोगों के विचार जानने की दृष्टि से उन संशोधनों का व्यापक प्रचार करने का निर्णय किया है जिन्हें वह मूल विशिष्ट विवरण की व्यवस्थाओं में करना चाहती है ।

अमृतसर में शुष्क पत्तन

2443. **श्री एम० ए० हुनान अलहाज :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने अमृतसर के लिए शुष्क पत्तन की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये, कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश पत्तनों में बहुत दूर है, सरकार का विचार यह मांग पूरी करने के लिए क्या तत्काल कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) उत्तरी क्षेत्र में शुष्क पत्तन स्थापित करने के प्रश्न पर कुछ समय से सरकार विचार करती रही है । सावधानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान अवस्था में यह परियोजना तत्काल प्राथमिकता की नहीं है । अतः सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस परियोजना का क्रियान्वयन तत्काल आरम्भ न किया जाये ।

विदेशों की यात्रा के लिए उदार नियम

2444. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने विदेशों की यात्रा से संबंधित नियमों को उदार बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां

(ख) विनियमों में किये गये परिवर्तनों और उनके कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है

(i) पहले के उपबन्धों के अनुसार विदेश यात्रा के लिए 'पी' फार्म को अनुमति केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती थी । भारतीय रिजर्व बैंक पर पड़ने वाले दबाव को कम करने और विदेश यात्रा के इच्छुक यात्रियों की असुविधाएं कम करने के लिए जिन्हें इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक का निकटतम शाखा में जाने के लिए प्रायः लम्बा फासला तय करना पड़ता था, अब कतिपय राष्ट्रीयकृत बैंकों को 'पी' फार्म देने का अधिकार देने का निर्णय किया गया है ।

(ii) पहले के विनियमों के अनुसार निकट संबंधी के आतिथ्य पर 'पी' फार्म को अनुमति विदेश में रहने वाले मेजबान द्वारा निर्धारित फार्म में "स्पांसरशिप" प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर दी जाती थी । इसे अधिक सरल बनाने के विचार से और विदेश में आतिथ्य के संबंध में गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की हालत में भारत के निवासी व्यक्ति के विरुद्ध अधिक कारगर ढंग से कार्रवाई करने के काम को संभव बनाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि लोगों के भारत में इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर विदेश जाने की अनुमति दे दी जाए कि वह अनुमोदित श्रेणी के संबंधी के 'स्पांसरशिप' पर विदेश जा रहा है ।

(iii) पहले के विनियमों के अन्तर्गत 'पी' फार्म संबंधी अनुमति उन मामलों में दी जाती थी जिनमें कोई भारतीय अनुमोदित श्रेणी के संबंधियों के आतिथ्य पर विदेश जाता था जिनमें बेटा, भाई, बहन, अंकल, आंट, नेफ्यू, नीस, बेटी, पिता, माता, सास और ससुर शामिल थे। विदेश यात्रा के लिए अनुमोदित आतिथ्य के लिए केवल पहले क्रम के (अंकल, आदि, नेफ्यू और नीस आते थे)। अब यह निर्णय किया गया है कि प्रथम 'कजिन' को भी संबंधियों की वर्तमान अनुमोदित श्रेणी में शामिल कर लिया जाए क्योंकि देश में प्रचलित परिवार प्रथा में प्रथम 'कजिन' को निकट संबंधी माना जाता है और उसके आतिथ्य पर विदेश जाने से इस सुविधा को दुरुपयोग की कोई आशंका नहीं है।

(iv) पहले के विनियमों के अन्तर्गत जब कोई व्यक्ति अनुमोदित संबंधियों की श्रेणी से बाहर के किसी संबंधी अथवा मित्र से मिलने के लिए ऐसे संबंधी अथवा मित्र के अतिथ्य के आधार पर अधिक से अधिक एक महीने के लिए विदेश जाना चाहता था तो उसे 'पी' फार्म संबंधी अनुमति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर दी जाती थी :—

(क) मेजवान का पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि उसने बैंक के माध्यम से (बैंक का नाम देते हुए) दोनों ओर के मार्ग की पूरी राशि भेजने का प्रबंध कर दिया है तथा उसमें आतिथ्य की अवधि, मेजवान से आवेदक का संबंध और अन्य संगत ब्यौरा दिया गया हो ; और

(ख) प्राधिकृत विदेशी मुद्रा अधिकृत डालर का प्रमाण पत्र जिसमें यह दिखाया गया हो कि मेजवान ने बैंक को दोनों तरफ का पूरा किराया दे दिया है। ऐसा महसूस किया गया कि उपर्युक्त व्यवस्था से अक्सर परेशानी और कभी-कभी कठिनाई भी होती है। इसलिए यह निर्णय किया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में विदेश यात्रा करने के लिए 'पी' फार्म संबंधी अनुमति पूर्वदत्त टिकट की सुचना के आधार पर दे दी जानी चाहिए, चाहे यात्रा एयर इंडिया द्वारा की जाए की किसी अन्य हवाई कंपनी द्वारा।

ऐसे मामलों में जहां विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे और जिसका खर्च विदेश में रहने वाले नसके संबंधियों मित्रों आदी द्वारा उठाया जाया होता था, रिजर्व बैंक द्वारा यात्रा की अनुमति अवधि रूप से नही दी जाती थी। यह सोच कर कि खर्च की इस प्रकार की जाने वाली व्यवस्था पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है अब ऐसे मामलों में 'पी' फार्म की सुविधा को मंजूरी अवधि रूप से दिए जाने का फैसला किया गया है।

(vi) इसी प्रकार यह भी निश्चय किया गया है कि जो लोग मजदूर संघों, धार्मिक निकायों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और वाणिज्य मंडलों के निमंत्रण पर विदेश जाते हैं, उन्हें भी विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अवाध रूप से 'पी' फार्म संबंधी अनुमति दी जाए।

(vii) पहले के विनियमों के अन्तर्गत विदेश यात्रा योजना के अधीन तीन वर्ष में एक बार विदेश यात्रा की जा सकती थी। इस योजना के अधीन यात्रा करने वाले को 100 डालर प्राप्त करने का हक होता था बशर्ते कि यात्रा राष्ट्रीय वाहन द्वारा की जाए। विदेश यात्रा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा देने और प्रतिपूरक अदायगी आदि जैसे कदाचार को दूर करने के लिए यह निश्चय किया गया है कि लोगों को विदेश यात्रा योजना के अन्तर्गत दो वर्ष में एक बार विदेश जाने की अनुमति दी जाए। इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की सीमा भी 100 डालर से बढ़ाकर 500 डालर कर दी गई है चाहे यात्रा किसी भी हवाई कंपनी के माध्यम से की जाए।

विदेशों की यात्रा पर रोक

2445. **श्री धर्मवीर विशिष्ट** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल ही में विदेशों की यात्रा पर लगी रोक में विदेशी मुद्रा, "पी" फार्म की बारम्बारता आदि के संदर्भ में किस प्रकार की छूट देने का निर्णय किया है; और

(ख) क्या संसद सदस्यों को पासपोर्ट के प्रमाणन का अधिकार दिये जाने के परिणामस्वरूप विदेशों की यात्रा करने में कुछ सुविधा हुई है और यदि हां, तो किस सीमा तक?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) विदेश यात्रा पर लगी रोक में सरकार द्वारा हाल ही में जो छूट दी गई है उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) पिछले उपबंधों के अंतर्गत विदेश यात्रा के लिए 'पी' फार्म संबंधी अनुमति केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी जाती है। विदेश यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों को, जिन्हें इस प्रयोजन के लिए रिजर्व बैंक की निकटतम शाखा के पास जाने के लिये अवसर लम्बी दूरी तक करनी पड़ती है, सुविधा प्रदान करने के लिए अब यह निश्चय किया गया है कि कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को "पी" फार्म संबंधी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कर दिया जाए।

(ii) जो लोग अपने निकट संबंधियों के आतिथ्य पर विदेश जा रहे हैं उन्हें अनुमति दे दी जाएगी यदि वे भारत में निष्पादित इस आशय का शपथपत्र पेश कर देंगे कि वे एक अनुमोदित श्रेणी के संबंधी के आतिथ्य पर विदेश जा रहे हैं।

(iii) आतिथ्य की स्वीकृति के प्रयोजन के लिए 'कजिन' को भी अनुमोदित संबंधियों की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।

(iv) अनुमोदित श्रेणी से बाहर के मित्रों अथवा संबंधियों के आतिथ्य पर की जाने वाली विदेश यात्राओं के लिए विदेशी मुद्रा देने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है और पूर्वदत्त टिकट की सूचना के बल पर, चाहे वह टिकट एयर इंडिया का हो या किसी और हवाई कंपनी का, विदेश यात्रा के लिए 'पी' फार्म संबंधी अनुमति दे दी जाएगी।

(v) विदेश में अध्ययन करने के लिए जाने वाले, छात्रों के मामले में जबकि विदेश में उनका खर्च उनके संबंधियों, मित्रों आदि के द्वारा वहन किया जाना हो, अनुमति मुक्त रुप से दी जाएगी।

(vi) यह भी निश्चय किया गया है कि जो लोग मजदूर संघों, धार्मिक निकायों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वाणिज्यिक मंडलों के निमंत्रण पर विदेश जाते हैं उन्हें भी विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अबाध रुप से "पी" फार्म संबंधी अनुमति दी जाएगी।

(vii) पहले की तीन वर्ष में एक बार विदेश जाने की समय सीमा के बदले में, यह निश्चय किया गया है कि लोगों को विदेश यात्रा योजना के अंतर्गत दो वर्ष में एक बार विदेश जाने की अनुमति दी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली विदेशी मुद्रा की सीमा भी 100 डालर से बढ़ा कर 500 डालर कर दी गई है, चाहे यात्रा किसी भी हवाई कंपनी द्वारा की जाए।

(ख) जैसाकि नीचे दिए गए आंकड़ों से पता चलता है, 15 अगस्त, 1977 से संसद सदस्यों को पासपोर्ट के प्रमाणन का अधिकार दे दिया जाने के परिणामस्वरूप, भारत के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा जारी किए जाने वाले पासपोर्टों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

भारत के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय :

अवधि	जारी किए गए पासपोर्ट
मई–जुलाई 1977	2,18,666
अगस्त–अक्तूबर, 1977	2,49,681

Bharat Sewak Samaj

2446. **Shri R.L.P. Verma :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the names of the office bearers of the Bharat Sewak Samaj against whom prosecutions have been launched for the recovery of money wasted as was stated in the Report of the Kapur Commission on the Bharat Sewak Samaj and the amount to be recovered from them

(b) the amount for the recovery of which prosecution has been launched in each case; and

(c) if no prosecution has been launched, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri K. K. Goyal) : (a) to (c) : The Kapur Commission did not make any specific recommendation for effecting recovery of money. A decision on the Report is expected to be taken shortly.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के मामलों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने के लिए अभ्यावेदन

2447. **श्री आर० के० महालगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और सोने के मामलों के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण बनाने के लिए सुझाव के बारे में एक लिखित अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या सम्बद्ध सभी व्यक्तियों को तदनुरूप सूचित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि सरकार द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : अभ्यावेदन की एक प्रति अप्रत्यक्ष कराधान जांच समिति (झा समिति) को भेजी गयी थी, जो अप्रत्यक्ष करों के वर्तमान ढांचे और तत्संबंधी मामलों की जांच करने तथा अपनी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनात्मक एवं संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तनों के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने के लिए गठित की गयी है। अभ्यावेदन में उठाये गए प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए न्याय-निर्णय अथवा अपीलीय मामलों में उपयुक्त "सकारण आदेश" देने की आवश्यकता के बारे में सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के समाहर्ताओं और अपीलीय समाहर्ताओं को, पुनः बल देकर कहा गया है। अभ्यावेदन प्रेषक को भी की गयी कार्यवाही की सूचना दी गयी है।

बहुराष्ट्रीय औषध गृहों में भारतीय निवेश पूंजी का बढ़ाया जाना

2448. **श्री सी० एन० विश्वनाथन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे बहुराष्ट्रीय औषध गृहों की संख्या क्या है जिन्होंने विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम के नियमों के अनुसार भारतीय पूंजी निवेश में वृद्धि नहीं की है ;

(ख) ऐसे गृहों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में दृढ़ और सुस्पष्ट योजना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) इस समय ऐसी 32 औषध कंपनियां हैं जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29(2)(क) के उपबंधों के अधीन है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अंतर्गत इन कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर निर्णय उस समय लिया जाएगा जबकि हाथी समिति की रिपोर्ट पर आधारित संशोधित औषध नीति को अंतिम रुप दे दिया जाएगा।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

पोटाश का आयात

2449. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हम 'पोटाश' का आयात करते हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितने पोटाश का आयात किया गया ;

(ख) पोटाश के आयात पर गत तीन वर्षों में वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) किन परिस्थितियों और किन कारणों से पोटाश का हम उत्पादन नही कर सके हैं और इसका उत्पादन करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) तथा (ख) : 'पोटाश' शब्द का प्रयोग अनेक मदों को अभिप्रेत करने के लिये भिन्न-भिन्न रूप से किया जाता है लेकिन अधिक सामान्य रूप में इसका अर्थ कास्टिक पोटाश अथवा म्यूरियेट आफ पोटाश ही होता है।

एक विवरण संलग्न है जिसमें 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के वर्षों में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक पोटाश), पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम सल्फेट तथा अन्य पोटाश मूलक उर्वरकों/सामग्रियों के आयातों की मात्रा तथा मूल्य दिखाये गये हैं।

(ग) नील विनिर्माताओं की तत्काल आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हाल में कास्टिक पोटाश आयात करने पड़े थे। उत्पादन आंकड़ों से प्रकट होता है कि सप्लाई की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। इसके अतिरिक्त, भावी मांगों को पूरा करने के लिये अनेक योजनाओं का भी अनुमोदन किया गया हैं।

जहां तक म्यूरियेट आफ पोटाश का सम्बन्ध है, उसका एकमात्र स्रोत बिटने है जो कि समुद्री जल से नमक निकालने के बाद बच जाता है। बिटने से पोटाशियम क्लोराइड के उत्पादन की लागत आयातित उत्पाद के जहाज से उतरने की लागत से काफी अधिक है। विकसित की गई टैक्नालाजी की परख भी वाणिज्यिक स्तर पर नहीं की गई है। फिर भी, डबल सल्फेट के रूप में पोटाश को निकालना, जिसे उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, अधिक व्यावहार्य समझा गया है और सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान साल्ट वर्क्स सहित कुछ पार्टियां इस परियोजना पर विचार कर रही है। रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने पोटाश निकालने के लिये उपयुक्त क्षेत्रों तथा अपेक्षित प्रोत्साहनों को अभिज्ञात करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

विवरण

1974–75, 1975–76 तथा 1976–77 वर्षों के दौरान पोटाशियम हाइड्रोक्साइड (कास्टिक पोटाश), पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम सल्फेट तथा अन्य पोटाशमूलक उर्वरक/सामग्री के आयात की मात्रा तथा उसका मूल्य

(मूल्य लाख रु० में)
(प्रति एकक मात्रा)

क्रमांक	मद का विवरण	संशोधित भारतीय व्यापार वर्गीकरण कोड नं०	मात्रा की इकाई	1974–75		1975–76		1976–77	
				मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	पोटाशिमय हाइड्रोक्साइड (कास्टिक पोटाश)	513.6351	हजार किग्रा०	..	..	..	..	926	44.51
2	पोटाशियम क्लोरेट	514.1402	हजार किग्रा०	408	21.32	445	35.93	..	..
5	पोटाशियम क्लोराइड, शुद्ध	561.3001	हजार मे० टन	153	1225.63	22	231.32	87	726.98
4	पोटाशियम क्लोराइड, वाणिज्यिक	561.3002	हजार मे० टन	318	2273.91	211	1968.84	204	1442.30
5	पोटाशियम सल्फेट जिसमें के 20 का भार 52 प्रतिशत से अधिक नहीं है	561.3003	हजार मे० टन	10	120.56	नगण्य	0.07	1	18.38
6	अन्य पोटाशमूलक उर्वरक तथा पोटाशमूलक उर्वरक सामग्री (कच्चा प्राकृतिक पोटाशमूलक नमक छोड़कर)	561.3009	हजार मे० टन	70	604.38	53	549.25	113	921.53

टिप्पणी : आंकड़े अनन्तिम हैं तथा उनमें संशोधन हो सकता है।

Trade agreement with China

2450. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state the details of the import and export trade agreement entered into between India and China and the terms and conditions thereof,

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : No Trade Agreement has been entered into between India and China.

आयकर की बकाया-राशि की वसूली

2451. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :**
श्री वधाराम शाक्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर की भारी राशि अभी सरकार द्वारा वसूल की जानी बाकी है ; और

(ख) यदि हां, तो वस्तुत: कितनी बकाया-राशि वसूल की जानी है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकार उल्ला) : (क) और (ख) : आयकर की सकल तथा शुद्ध बकाया (जिसमें निगम कर भी शामिल है) 30-9-1977 की स्थिति के अनुसार नीचे दिए अनुसार थी :—

	रुपये
सकल बकाया	1,047.24 करोड़
शुद्ध बकाया	719.78 करोड़

2. 1,047.24 करोड़ रुपये की रकम में, 1-4-1977 से 30-9-1977 की अवधि में जारी की गई मांग में से बाकी पड़ी 252.18 करोड़ रुपये की रकम भी शामिल है ।

3. आय-कर की बकाया एक ऐसा तथ्य है जो चलता रहता है । हालांकि वित्तीय वर्ष के आरम्भ में पड़ी कर की बकाया वर्ष के अन्त तक पर्याप्तमात्रा तक वसूल/कम हो जाती है, तो भी बकाया फिर से बढ़ जाती है जिसका मुख्य कारण यह है कि वर्ष के दौरान जारी की गई कर की नई मांग के एक भाग की वसूली पूर्ण रूप से नहीं होती है और वह वर्ष के अन्त में कर की नई बकाया बन जाती है ।

4. प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए, कर की बकाया को वसूल करने के लिए, सम्बन्धित आय-कर प्राधिकारियों द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं । इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल है —

(क) कर को देरी से अदायगी करने के लिए ब्याज लगाना ;
(ख) कर अदा नहीं करने के लिए अर्थ-दण्ड लगाना ;
(ग) बाकीदार को मिलने वाली रकमों का अधिग्रहण करना और
(घ) चल/अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण और उनकी बिक्री

अशोक होटल, नई दिल्ली में गिरफ्तार तस्करों का अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह

2452. **श्री एस० ए० हनान अलहाज :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1977 में अशोक होटल, नई दिल्ली में तस्करों के एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) उनके कब्जे में कितना गांजा था और उसका मूल्य कितना था

(ग) इसे वे किन देशों से लाये थे तथा कहां ले जाने वाले थे ; और

(घ) गिरोह के सदस्य किस देश के थे और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : हालही में, अक्तूबर, 1977 में, अमेरिका की ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से राजस्व आसूचना निदेशालय, हशीश के तस्करों के एक अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह को पकड़ने में सफल रहे हैं, जो भारत के रास्ते नेपाल और अमेरिका के बीच कार्यशील था। इन कार्यवाहियों में, 14-10-77 को, 41.1 कि०ग्रा० हशीश, 36.05 कि०ग्रा० हशीश तेल और 0.25 कि०ग्रा० गांजा जिनका मूल्य लगभग 45.00 लाख रुपये है, पकड़े गये थे । यह बताया गया है कि निषिद्ध औषधि-द्रव्य भारत में नेपाल से गर-कानूनी ढंग से लाये गये थे और उनका गन्तव्य स्थान अमेरिका था । गिरोह के दो सदस्य, जो अमेरिका के हैं, न्यूयार्क में गिरफ्तार किये गये थे और तीन सदस्य जो नेपाल के थे, नई दिल्ली स्थित रंजीत होटल में गिरफ्तार किये गये थे । तीनों नेपाली राष्ट्रिकों को, बाद में, 29-10-1977 तक अदालती हिरासत में रखा गया था और अब उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है ।

'कोफेपोसा' के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान दंडित लोग

2453. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्कर गतिविधियों का निवारण अधिनियम (कोफेपोसा) के अन्तर्गत कुल कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उनमें से कितने भगौड़ा और तत्संबंधी कार्यवाही से बचने के प्रयास करने वाले घोषित किये गए ; और

(ख) मार्च, 1977 में आपात स्थिति समाप्त कर दिये जाने के बाद उन पर तथा भगौडों के विरुद्ध क्या अदालती कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा, 19-12-1974 से 26-11-1977 तक की अवधि के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अन्तर्गत, 3448 व्यक्तियों की नजरबन्दी के आदेश दिये गये थे । 26-11-1977 की स्थिति के अनुसार, 167 व्यक्ति वास्तव में नजरबन्द थे और 234 व्यक्ति नजरबन्द नहीं किये गये थे । नजरबन्दी से बचने वाले इन 234 व्यक्तियों में से, 176 व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत 'फरार' घोषित किया गया है ।

(ख) इन व्यक्तियों के खिलाफ इस्तगासे की कार्यवाहियों के शीघ्र निपटान के सम्बन्ध में सीमाशुल्क प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किये गये है । इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1974 तथा तस्कर और विदेशी मुद्रा छल-साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अन्तर्गत, फरार व्यक्तियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही की जा रही है।

विमानों के अपहरण की घटनाएं तथा विदेशी पर्यटकों का आगमन

2454. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही हुई विमान अपहरण की घटनाओं का विदेशों से यहां पर्यटकों के आगमन पर बुरा प्रभाव पड़ा है, और यदि हां, तो कितना; और

(ख) देश के भीतर की तथा अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं । भारत के लिए पर्यटक यातायातमें कोई कमी नहीं हुई है । इसके विपरित, 1977 के पहले दस महीनों में पर्यटक यातायात में वृद्धि हुई है ।

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट उपायों को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा । तथापि, अपहरण से सुरक्षा संबंधी ऐसे वर्तमान उपायों को पहले ही कड़ा कर दिया गया है, जैसे परिचालन क्षेत्रों के प्रवेश स्थलों का नियंत्रण, यात्रियों की शारीरिक तलाशी तथा उनके हाथ के सामान की छानबीन, बोर्डिंग कार्डों पर स्टैम्प लगाने में अधिक सावधानी एवं चौगिर्दी परिसीमा (Perimeters) की पर्याप्त चौकसी आदि ।

बड़े होटलों में नई मद्यनिषेध नीति का लागू किया जाना

2455. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के बड़े होटलों में नई मद्यनिषेध नीति लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) इस कार्यवाही का विदेशी पर्यटकों पर क्या प्रभाव पड सकता है ; और

(ग) मद्यनिषेध नीति लागू करने का विदेशी पर्यटकों के आगमन पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) मद्यनिषेध कानून को लागू करना राज्यों का विषय है । इस लिये यह कितनी शीघ्रता और किस प्रकार से क्रियान्वित किया जायेगा यह बहुत कुछ अलग अलग राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा ।

(ख) और (ग) : मद्यनिषेध नीति अभी तक सुनिश्चित रूप में परिभाषित नहीं की गई है । परन्तु आशा की जाती है कि मद्य निषेध नीति से विदेशी पर्यटकों के आगमन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

होटलों में मद्यनिषेध नीति का लागू किया जाना

2456. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्राय: प्राइवेट होटल मद्यनिषेध कानून का उल्लंघन करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन होटलों में नई मद्यनिषेध नीति लागू करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : मद्यनिषेध संबंधी कानूनों का बनाना, क्रियान्वयन तथा लागू करना अलग अलग राज्य सरकारों का काम है । केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने मद्य निषेध को क्रमश: लागू करने के बारे में केवल सिफारिशें ही की हैं । इसलिए सब होटलों पर राज्यों के ही मद्यनिषध कानून लागू होंगे और उनके उल्लंघन के बारे में उनके खिलाफ संबंधित राज्य के प्राधिकारियों द्वारा ही अपने अपने राज्य के कानूनों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश वित्तीय तथा विपणन सेवा द्वारा किये गये सर्वेक्षण का निष्कर्ष

2457. **श्रीमती पावती कृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश वित्तीय तथा विपणन विशेषज्ञों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के निष्कर्षों की ओर दिलाया गया है जिसके द्वारा यह दर्शाया गया है कि गत कुछ महीनों के दौरान निम्न तथा मध्यम आय के श्रमिकों को बोनस की अदायगी तथा अनिवार्य जमा योजना की राशि वापस दिये जाने के माध्यम से उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त नकद राशि से देश में मुद्रा-स्फीति में वृद्धि नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से वित्तीय सहायता

2458. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत सितम्बर में अमरीका की अपनी पिछली यात्रा के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से अधिक वित्तीय सहायता उदारता से देने के लिए अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों के बोर्ड की अन्तरिम समिति, संयक्त फंड बैंक विकास समिति और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नरों की बैठकों और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में हिस्सा लेने के लिए सितम्बर, 1977 में वाशिंगटन (संयुक्त राज्य अमेरिका) की यात्रा की थी । इन बैठकों में और बातों के साथ साथ, अन्तर्राष्ट्रीय मद्रा प्रणाली से संबंधित प्रश्नों, विकासशील देशों को वास्तविक साधनों के अन्तरण के सामान्य प्रश्न और इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियों के संबंध में विचार विमर्श होता है । इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से अलग से भारत के लिए सहायता मांगने का प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ ।

बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा साधारण बीमा निगम के कर्मचारियों की शिकायतें

2459. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में बैंकों, जीवन बीमा निगम तथा सामान्य बीमा निगम के लगभग 4 लाख कर्मचारियों की शिकायतें एक लम्बी अवधि से अनिर्णीत पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री एच०एम० पटेल) : (क) और (ख) : जी, हां । जीवनबीमा निगम, साधारण बीमा निगम तथा बैंकों के कर्मचारियों की मांगों पर सम्बद्ध संगठनों द्वारा सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

मुद्रा-सप्लाई का मूल्य स्तर पर प्रभाव

2460. **श्री चित्त बसु :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पांच वर्षों में मुद्रा की कितनी सप्लाई हुई और उसका मुख्य-स्तर पर क्या प्रभाव पडा है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1972-73 से, जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में हुई वृद्धि और थोक कीमतों के सूचक अंकों में हुई प्रतिशत वृद्धि को दर्शाया गया है । मुद्रा उपलब्धि में हुई वृद्धि का कीमतों पर जो प्रभाव पड़ा है उसे अलग कर के बतलाना कठिन है क्योंकि कीमतों का रुख और भी बहुत सी बातों पर निर्भर करता है ।

विवरण

वित्त वर्ष	जनता के पास उपलब्ध मुद्रा		थोक कीमतों का सूचक अंक (आधार: 1970-71=100)	
	बकाया रकम (अन्तिम शुक्रवार) (करोड़ रुपए)	प्रतिशत परिवर्तन	सूचक अंक (अन्तिम शनिवार)	प्रतिशत परिवर्तन
1971-72 . . .	8320	+16.4	108.2	
1972-73 . . .	9684	+16.4	121.5	+12.3
1973-74 . . .	11172	+15.4	158.0	+30.0
1974-75 . . .	11911	+ 6.6	173.9	+10.1
1975-76 . . .	13143	+10.3	162.6	—6.5
1976-77 . . .	15603	+18.7	182.1	+12.0
1976-77 (5 नवम्बर 1976 को)	14495	+10.3	176.5 (6 नवम्बर, 1976 को)	+8.5
1977-78 (4 नवम्बर 1977 को)	16775	+7.5	184.0 (5 नवम्बर 1977 को)	+1.0

नांगलोई में विमान मार्गदर्शन उपकरणों का बेकार पड़े रहना

2461. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री सौगत राय :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली के निकट नांगलोई स्थान पर 1.5 करोड़ रुपये के मूल्य के विमान-मार्गदर्शन उपकरण वर्ष 1974 में अपनी स्थापना के बाद से ही बेकार पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके बेकार पड़े रहने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) : नांगलोई (दिल्ली) में एयररूट सर्वेलेंस राडार के स्थापित व टैस्ट कर लिये जाने के बाद, उसे 21 मार्च, 1974 को परिचालन (Operational) घोषित कर दिया गया था । आरंभ में इस उपकरण के जून, 1974 के मध्य तक, 'प्रोसीजरल मानीटरिंग' की व्यवस्था की गयी और उसके बाद से उसका नियमित रूप से 24 घंटे परिचालन प्रारंभ कर दिया गया, इस अवधि के दौरान, संधारण कर्मचारियों (Maintenance Personnel) तथा विमान यातायात नियंत्रण अधिकारियों (Air Traffic Control Officers) को इस नाजुक उपकरण के परिचालन में प्रशिक्षण दिया गया । शुरू शुरू में कुछ काम करने के बाद इसका एयरकंडिशनिंग यूनिट अक्सर खराब रहने लगा और एयररूट सर्वेलैंस राडार को अगस्त, 1974 के अंत तक हटा लेना पड़ा ताकि उपकरण को क्षति न पहुंचे ।

एयरकंडिशनिंग इक्विपमेंट की खराबी को ठीक करने के प्रश्न को पूर्ति एवं निपटान के महानिदेशक के माध्यम से संबंधित फर्म के साथ उठाया गया । पूर्ति एवं निपटान के महानिदेशक ने फर्म को निर्देश दिया कि वे एयरकंडिशनिंग उपकरण के कार्यचालन में सुधार करने के लिए एक "मैचिंग कंडेंसर" की व्यवस्था करें । परंतु फर्म ने बहुत लम्बे अर्से तक पत्र-व्यवहार के बाद "मैचिंग कंडेंसर" सप्लाई किया और अब अक्तूबर, 1977 से एयरकंडिशनिंग यूनिट को काम करने योग्य बना दिया गया है । एयरकंडिशनर के कार्यचालन में सुधार करने के लिए, एक और कंडेंसर की व्यवस्था की जाएगी तथा एयररूट सर्वेलैंस राडार का दिसम्बर, 1977 तक परिचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा ।

आर्थिक स्थिति में सुधार

2462. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में प्रगति की दर और उत्पादन में कुछ कमी हुई थी और मुद्रा का काफी प्रसार और मूल्यों में वृद्धि हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत 6 महीनों में क्या स्थिति थी ; और

(घ) आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : जी, हां। राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर जो 1975-76 में 8.8 प्रतिशत थी अनुमानत: घटकर 1976-77 में 2 प्रतिशत रह गई। दूसरी ओर, मुद्रा उपलब्धि का विस्तार जो 1975-76 में 10.3 प्रतिशत था बढ़कर 1976-77 में 18.7 प्रतिशत हो गया। फलस्वरूप थोक मूल्यों के सूचक अंक में 1976-77 में 12.5 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि 1975-76 में इसमें 6.9 प्रतिशत की कमी हुई थी।

(ग) चालू वर्ष 1977–78 के संबंध में राष्ट्रीय आय के अनुमान उपलब्ध नहीं है। लेकिन कृषि पदावार अच्छी होने की आशा है और उसी आधार पर यह संभावना है कि 1976–77 के मुकाबले 1977–78 में राष्ट्रीय आय वृद्धि होगी। इस वर्ष अप्रैल-अक्तूबर के बीच मुद्रा उपलब्धि का विस्तार केवल 6.4 प्रतिशत रहा जबकि 1976 की इसी अवधि में 9.7 प्रतिशत था। इसी प्रकार, चालू वर्ष में (अक्तूबर के अन्त तक) मूल्यों में वृद्धि की दर भी घटकर 1.2 प्रतिशत रह गई जबकि 1976–77 की इसी अवधि में मूल्यों में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

विदेशी मुद्रा भण्डार

2463. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विदेशी मुद्रा भण्डार को कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करना चाहती है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई सुझाव मिले हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार का ऐसी क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे सरकार के इस विदेशी मुद्रा भण्डार से मूल्यों में वृद्धि न हो ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) आयात संबंधी अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए विशषकर खेती की उपज में घटबढ़ के कारण मांग में होने वाली आकस्मिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए देश के अपने पास उचित मात्रा में विदेशी मुद्रा का भण्डार रखना होता है। फिर भी विदेशी मुद्रा के मौजूदा भण्डार को देखते हुए सरकार की नीति यह है कि उसका कुछ भाग इस प्रकार खर्च किया जाए ताकि :

(1) देश की मौजूदा उत्पादन क्षमता के उपयोग के अनुरूप अर्थ व्यवस्था के लिए आवश्यक आयातित कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों, फालतू पुर्जों और उपस्करों की पूरी व्यवस्था की जा सके ;

(2) देश में कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए तंगी से मिलने वाली आम खपत की महत्वपूर्ण वस्तुओं के आयात की व्यवस्था की जा सके ; और

(3) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की निर्धारित परियोजनाओं और कार्यक्रमों में, जहां बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है, अधिक पूंजी लगा कर अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।

(ख) जी, हां ।

(ग) सरकार को जो सुझाव प्राप्त हुए हैं उनमें से अधिकांश सुझावों में आयात नीति को और अधिक उदार बनाने की आवश्यकता की ओर संकेत दिया गया है ताकि संयंत्र और मशीनरी, सिन्थेटिक और मानवनिर्मित रेशों तथा उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक मशीनरी और उपस्करों का अधिक आयात किया जा सके । मोटे तौर पर ये सब बातें सरकार द्वारा पहले से अपनाई गई नीतियों के अन्तर्गत आ जाती हैं ।

(घ) खाद्य तेलों, वस्त्र रेशों आदि जसी आम खपत की वस्तुओं के आयात को उदार बनाने के अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए भी ऋण नीति संबंधी विभिन्न कदम उठाए हैं ।

कनाडा के साथ ऋण संबंधी करार

2464. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री राजकेशर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कनाडीय उर्वरक तथा उर्वरक युक्त सामग्री हेतु ऋण के लिये तथा कनाडा की सरकारों के बीच हाल ही में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके उपयोग के बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) कनाडा की सरकार के साथ 6 अक्तूबर 1977 को उर्वरकों तथा उर्वरक सामग्रियों (म्यूरिएट आफ पोटाश, युरिया तथा सल्फर) के आयात तथा उनके भाड़े के खर्च को पूरा करने के लिए 3.20 करोड़ कनाडी डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । इस ऋण पर कोई ब्याज, सेवा प्रभार या बचन-बद्धता प्रभाव नहीं लगेगा और यह 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जाना है ।

ऋण के अंतर्गत अबतक 2.3 करोड़ कनाडी डालर के मूल्य के म्यूरिएट आफ पोटाश के लिए आर्डर दिए जा चुके हैं । आशा है कि मार्च 1978 के अंत तक इस सामग्री का पूरा-पूरा लदान कर दिया जाएगा ।

अचल सम्पत्ति पर धन कर लगाने की निर्धारण प्रक्रिया में परिवर्तन

2465. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार अचल सम्पत्ति पर धन कर लगाने के प्रयोजन के लिए सम्पत्ति का मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क) और (ख): धन कर अधिनियम, 1957 की धारा 7(1) में व्यवस्था है कि **इस सम्बन्ध में बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अधीन रहते हुए** धन-कर लगाने जाने के प्रयोजनों के लिए, नकदी से भिन्न, किसी परिसम्पत्ति का मूल्य वह कीमत आंकी जाएगी जो, धन-कर अधिकारी की राय में, मूल्यांकन किये जाने की तारीख को उसे खुले बाजार में बेचने से प्राप्त होगी। सरकार का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, धन-कर अधिनियम की धारा 7(1) के अन्तर्गत नियम बनाए जाय।

त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों के लिये सीधी उड़ानें

2466. **श्री के० ए० राजन :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिवेन्द्रम से खाड़ी के देशों तक सीधी विमान उड़ाने आरम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इसके कब आरम्भ हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के आरम्भ होने से हवाई अड्डे पर आवास की समस्या और अधिक बढ़ जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या के हल के लिये वहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) : त्रिवेंद्रम तथा खाड़ी के देशों के बीच सीधी उड़ानें प्रारम्भ करने तथा इस प्रयोजन के लिए त्रिवेंद्रम विमान क्षत्र का विकास करने के प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(ग) और (घ) : त्रिवेंद्रम के वर्तमान टर्मीनल भवन का 12 लाख रुपए की लागत से विस्तार किया जा रहा है। इस कार्य के पूरा हो जाने पर, टर्मीनल भवन यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो जाएगा। यद्यपि सरकार का नये टर्मिनल भवन का निर्माण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, तथापि टर्मीनल भवन में आगे सुधार करने के कार्य को अगली पंच-वर्षीय योजना के दौरान हाथ में लेने का प्रस्ताव है।

कोचीन में हवाई पट्टी को सुदृढ़ बनाना

2467. **श्री के० ए० राजन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे पर हवाई पट्टी का विस्तार करने और सुदृढ़ बनाने से सम्बन्धित कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) क्या मन्त्री को यह बात बताई गई है कि कार्यक्रम के अनुसार निर्माण कार्य चलाने के लिये चालू वर्ष के बजट में की गई व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : बजट में की गई व्यवस्था चालू वर्ष के व्यय के लिये पर्याप्त है तथा कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ।

हवाई अड्डों पर तस्करी तथा यात्रियों की परेशानियां कम करने का प्रस्ताव

2468. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री अहमद एम० पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हवाई अड्डों पर तस्करी तथा सीमाशुल्क के सम्बन्ध में यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिये कतिपय नये प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) और (ख) हवाई अड्डों पर तस्करी को रोकने के लिए आसूचना और जांच-पड़ताल व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। वैज्ञानिक उपकरणों और साधनों की भी व्यवस्था की गयी है। तस्करी के लिए प्रख्यात या संदिग्ध व्यक्तियों की विशेष निगरानी हेतु प्रबन्ध मौजूद है ।

यात्रियों की निकासी को सुविधाजनक बनाने तथा विलम्ब एवं परेशानी को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार को उस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जिसका गठन इस प्रश्न की जांच के लिए किया गया था। समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

काफी बोर्ड द्वारा घटिया किस्म की चीनी का उपयोग किया जाना

2469. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काफी बोर्ड द्वारा घटिया किस्म की चीनी का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के बदले नकद धनराशि देना

2470. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी के बदले में नकद धन-राशि देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) :जी हां, । अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति के समय इस्तेमाल न की गई अर्जित छुट्टियों के लिए छुट्टी के नकदीकरण की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव था। प्रस्ताव सरकार द्वारा 29-10-1977 को स्वीकार कर लिया गया है। योजना की मुख्य-मुख्य बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं :–

(i) योजना 30-9-1977 को अथवा उसके बाद सेवा निवृत्ति होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू है।

(ii) छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद राशि की अदायगी अधिक से अधिक 180 दिन तक की अर्जित छुट्टी के लिए सीमित रहेगी।

(iii) छुट्टी वेतन के समतुल्य इस प्रकार स्वीकार्य नकद राशि सेवा निवृत्ति पर देय होगी और इस की अदायगी एक ही बार निपटान के रूप में एक मुश्त में की जाएगी।

(iv) योजना के अन्तर्गत नकद राशि की अदायगी, नीचे (v) के अधिन रहते हुए, अर्जित छुट्टी के लिए स्वीकार्य छुट्टी वेतन और सेवा निवृत्ति की तारीख को प्रवर्तमान दरों पर उस छुट्टी वेतन पर मंहगाई भत्ते के बराबर होगी। कोई नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा/अथवा मकान किराया भत्ता देय नहीं होगा।

(v) उपर्युक्त (iv) के अनुसार गणना की गयी नकद राशि में से, उस अवधि के लिए जिसके लिए समतुल्य नकद राशि देय है, पेंशन और सेवा निवृत्ति संबन्धी अन्य लाभों के समतुल्य पेंशन के राशि की कटौती कर ली जायगी।

(vi) छुट्टी मंजूर करने वाला सक्षम प्राधिकारी सेवा निवृत्ति की तारीख को खाते में जमा अर्जित छुट्टी के समतुल्य नकद राशि की मंजूरी देने का आदेश स्वयमेव ही जारी करेगा।

जापान को लौह अयस्क के निर्यात की सम्भावनायें

2471. श्री एस० आर० रेड्डी : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने की क्या सम्भावनाय है ;

(ख) गत वर्ष लौह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और किस कीमत पर निर्यात किया गया ; और

(ग) अब किन दरों के लिए बातचीत की जा रही है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) से (ग) भारत (खनिज तथा धातु व्यापार निगम और गोआ के निर्यातक दोनोंने 1976-77 में जापान को लगभग 180 लाख मे० टन लौह अयस्क निर्यात किया। जापान का लौहा तथा इस्पात उद्योग इस समय गंभीर मंदी की स्थिति में से गुजर रहा है। अतः चालू वर्ष के दौरान निर्यातों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा पिछले वर्ष के स्तर के मुकाबले ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं बहुत उज्वल नहीं हैं।

लौह अयस्क की निर्यात कीमतों के ब्यौरे में जाना जनहित में नहीं होगा।

हैदराबाद को शुष्क पत्तन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

2472. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद को शुष्क पत्तन में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : जी नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में अभ्यावेदन

2473. **डॉ० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण की जांच करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त समिति का कितने आवेदन मिले हैं ;

(ख) क्या इंडियन मर्चेन्टस चैम्बर ने वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तनों पर आपत्ति करते हुए ज्ञापन दिया और कई अन्य सिफारिशें भी की है ; और

(ग) क्या सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन की अन्तिम रुप दे दिया है और यदि हां तो सहकारी क्षेत्र की बैंक प्रणाली के कार्यकरण के बारें में क्या प्रमुख सुझाव दिए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य की जांच करने के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की है । बल्कि, भारतीय रिजर्व बैंक ने, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और अपने निष्कर्षों के आधार पर सिफारिश करने के लिए, श्री जेम्स एस० राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 8 जन, 1977 को किया गया । सरकार के पास इस की कोई सूचना नहीं है कि उसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे अथवा वर्तमान बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तन करने पर आपति करते हुए और समिति को अन्य सिफारिशें करते हुए भारतीय व्यापारी मंडल ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत नहीं की है ।

प्राग में 'मयूर' नामक भारतीय रेस्टरों

2474. **डॉ० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चेकोस्लोवाकिया सरकार के सहयोग से प्राग में 'मयूर' नामक भारतीय रेस्टरों खोलने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम ने क्या सहयोग देने का वचन दिया है; इसके क्या वित्ताय प्रभाव होंगे और चेकोस्लोवाकिया स्टेट रेस्टरां कम्पनी के साथ अन्य क्या शर्तें तय की गई हैं ; और

(ग) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम की अन्य देशों में भी इसी प्रकार का भारतीय रेस्टोरों खोलने की योजना है और यदि हां, तो कहां और कब ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) और (ख) प्राग में भारतीय शैली का रेस्टोरेंट विशुद्ध रूप से एक जेकोस्लोवेकियन उद्यम है। भारत पर्यटन विकास निगम ने आन्तरिक सज्जा, कर्मचारियों और आहारों के चयन, फर्नीचर और साजसज्जा सामग्री, छुरी, कांटे, प्लेट, प्याले इत्यादि के क्षेत्र में तकनीकी सहायता दी है। रेस्टोरेंट के लिये भुगतान के आधार पर 5,24,440.50 रुपये के मूल्य का उपस्कर सप्लाई किया जा रहा है

(ग) अभी तक किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दक्षिण भारत में हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि

2475. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में हवाई अड्डों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) वास्तव में कितने हवाई अड्डों से उड़ानें होती हैं ;

(ग) दक्षिण भारत में हवाई अड्डों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत में हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यदि निर्माण के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम है तो उसका विवरण क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) भारत में सिविल विमान क्षेत्रों की संख्या 260 है।

(ख) नागर विमानन विभाग के नियंत्रणगत 85 विमान क्षेत्र तथा भारत अंतरराष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के नियंत्रणगत चार विमानक्षेत्र उपयोग के लिये उपलब्ध हैं। इंडियन एयरलाइंस 42 सिविल विमानक्षेत्रों से होते हुए अनुसूचित सेवाओं का परिचालन कर रही है।

(ग) 35 विमानक्षेत्र दक्षिण भारत में स्थित हैं। इनमें से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा कर्णाटक राज्यों में 20 विमानक्षेत्र नागर विमानन विभाग के नियंत्रण में हैं। मद्रास का अंतरराष्ट्रीय विमानक्षेत्र भारत अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में है। चौदह विमानक्षेत्र राज्य सरकारी/प्राइवट पार्टियों के अधिकार में हैं।

(घ) और (ङ) : साधनों के उपलब्ध होने की अवस्था में और यदि यातायात की दृष्टि से औचित्य सिद्ध हुआ, तो सरकार हुबली, कालीकट तथा कोचीन में नये विमानक्षेत्रों का निर्माण करने की संभावना पर विचार करेगी।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंकिंग सुविधाएं

2476. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए बैंकिंग सुविधाएं बहुत कम है ;

(ख) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की ऊबड़ खाबड़ और फैले हुए इलाके के कारण बहुत ही मुसीबतें उठानी पड़ती हैं और उद्योगपतियों को बैंकिंग सुविधाएं सुलभ नहीं हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश में आसानबैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं के विस्तार के उद्देश्य के अनुसरण में, वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक शाखाएं खोलने का प्रयत्न करते रहेहैं। सितम्बर, 1977 के अन्त तक हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों के शाखा विस्तार में 264 शाखाएं आती हैं जिनमें से 209 ग्रामीण केन्द्रों में अवस्थित हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रति बैंक कार्यालय के पीछे औसत जनसंख्या 21,000 की अखिल भारत औसत की तुलना में 14,000 की थी। इसी तारीख को वाणिज्यिक बैंकों के पास 58 लाईसेंस/आबंटन हिमाचल प्रदेश में शाखायें खोलने के लिये शेष पड़े हुए थे। इनमें से 48 ग्रामीण स्थानों के लिये थे। यद्यपि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में शीघ्रता से और व्यापक रूप से वितरिक बैंक शाखा विस्तार के काम में संचार और परिवहन के अपर्याप्त साधन तथा बिखरे हुए स्थानों की कठिनाईयां समस्या के रूप में सामने आती है फिर भी बैंकों से कम बैंक वाले क्षेत्रों की, विशेषरुप से उन जिलों की जहां उनके ग्रामीण तथा अर्ध शहरी शाखाओं की जनसंख्या व्याप्ति अपेक्षया कम है, जरुरतों की और अधिक ध्यान देने की सलाह दी गयी है।

चाय के पौधे के पुनर्रोपण के लिये वित्तीय सहायता

2477. **श्री पी० एस०. रामलिंगम** : क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) सरकार ने चाय के पौधों के पुनर्रोपण के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है ;

(ख) क्या यह सहायता देना बन्द कर दिया गया है अथवा बन्द करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो चाय के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या चाय का उत्पादन आग ही प्रभावित हो चूका है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) सरकार ने पुनर्रोपण उपदान स्कीम के अन्तर्गत अक्टूबर, 1968 में इसके आरम्भ होने के समय से चाय एस्टेटों को उपदान के भुगतान के लिए 2,19,00,000 रु० की राशि दी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगपतियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बकों से ऋण प्राप्ति हेतु अनुरोध

2478. **श्री पी० एस० रामलिंगम :**
श्री डी० अमात :

क्या वित्त मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगपतियों ने श्रमिकों को बोनस की अदायगी करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से उदार शर्तों पर ऋण देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितनी राशि माँगी गई है ; और

(ग) उनकी माँग पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख) और (ग) : ऐसे औद्योगिक एककों ने जो इस समय वित्तीय संकट में हैं और अपनी न्यूनतम बोनस अदायगी के दायित्व को पूरा करने में अक्षम हैं, अपने कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के लिये बैंकों से वित्तीय सहायता के लिय आवेदन किया है। क्योंकि ऐसे एककों के कर्मचारियों की बोनस की गैर-अदायगी से औद्योगिक अव्यवस्था फलाने की सम्भावना है, सरकार ने बैंकों को निम्नलिखित एककों की न्यूनतम बोनस दायित्वों को पूरा करने के लिय वित्तीय सहायता देने पर विचार करने के लिये सलाह दी है :

(i) ऐसे एकक जिन्हें बकों से विशेष सहायता की आवश्यकता है चाहे वे अर्थक्षम ही क्यों न हों, और

(ii) ऐसे एकक जिन्हें आधुनिकीकरण आदि के लिये सहायता देकर अर्थक्षम बनाया जा सकता है।

बैंकों से वित्तीय सहायता का अनुरोध करने वाले एककों को अपनी अर्थक्षमता/संभावित अर्थ-क्षमता के बारे में बैंकों को संतुष्ट करना पड़ेगा।

गैर-अर्थक्षम सूती कपड़ा मिलो के बारे में बैंको ने केन्द्रीय/राज्य सरकारों की गारंटी माँगी है। सूती कपड़ा मिलो के लिए महाराष्ट्र और गुजरात सरकारें गैर अर्थक्षम मिलो को दी गई वित्तीय सहायता के 50 प्रतिशत तक गारैण्टी देने को सहमत हो गई है और केन्द्रीय सरकार स्वयं शेष 50 प्रतिशत की जिम्मेदारी लेती है। इस आधार पर ऐसी मिलो को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव पर बैंक विचार कर रही हैं।

Proposal to bring ratio of 1 : 10 in Incomes

2479. **Dr. Ramji Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring about a ratio of 1 : 10 or 1 : 20 in the incomes in order to remove disparity ; and

(b) if so, the steps proposed to be taken in this regard ?

The Minister of Finance (Shri H. M. Patel) : (a) & (b) : The Government of India have recently appointed a Study Group on Wages, Incomes and Prices which inter alia would consider the relevant criteria for determining the differentials between minimum wage and maximum wage and whether the ratio between minimum—maximum wages should be uniform or could be different in different sectors. The Study Group's recommendations are expected to help Government in formulating a policy on Wages, Incomes and Prices.

ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिये बैंक संसाधनों का उपयोग

2480. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री मनी राम बागड़ी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि सरकार द्वारा नीति की घोषणा के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रो के उत्थान के लिए बैंक-संसाधनो क उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रो के उत्थान के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) : वाणिज्यिक बैंको ने कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त तथा उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक मात्रा में ऋण देना सूनिश्चित करने के उपाय आरम्भ किये है। सरकारी क्षेत्र के बैंको द्वारा प्राथमिकता प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्रो को दिये गये ऋणों और उनके द्वारा दिये गये कुल ऋणो का अनुपात जून, 1969 में 14.9 प्रतिशत था और वह बढ़कर जून, 1976 के अंत में 25.5 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि ग्रामिण क्षेत्रो की उन्नति के लिए बैंको के साधनो की हिस्से में क्रमशः वृद्धि हुई है ।

(ग) बैंकों ने किसी क्षेत्र अथवा इलाके विशेष में ऋण देने के लिए कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की है। अलबत्ता, सरकार ने बैंको को सलाह दी है कि मार्च, 1979 तक उनके कुल ऋणो का 33⅓ प्रतिशत भाग कृषि सहित प्राथमिकता प्राप्त और उपेक्षित क्षेत्र को मिलने लगना चाहिए।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा अनिवार्य जमा की गई राशि वापिस निकाला जाना

2481. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्रीमान राम बागड़ी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्रालय में कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने अक्टूबर, 1977 में समय समाप्ति पुर्व अनिवार्य जमा की राशि निकाली तथा यह राशि कितनी है और अभी शेष कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है ;

(ख) क्या केवल वही व्यक्ति समय समाप्ति पूर्व अनिवार्य जमा की राशि निकाल सकते हैं जिनके पास इलाज के लिए धन का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है और यदि हाँ, तो ऐसा प्रतिबन्ध लगाने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के सभी जरूरतमंद कर्मचारियों को समय समाप्ति पूर्व अनिवार्य जमा की राशि निकालने की अनुमति देने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) और (ख) : अतिरिक्त उपलब्धियाँ (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सरकारी कर्मचारियो द्वारा अनिवार्य जमा योजना के अन्तगत जमा की गई रकमो को वे अपनी इच्छा से निर्धारित तारीख से पहले निकाल सकें। परन्तु, अधिनियम में यह व्यवस्था है कि यदि किसी मामले में केन्द्रीय सरकार की ओर से प्राधिकृत कोई व्यक्ति इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि कमचारी को अनिवार्य जमा की राशि की वापसी अदायगी नहीं किए जाने से उसे अत्यन्त कठिनाई होगी, तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य जमा की रकमो की वापसी अदायगी की अनुमति दी जा सकती है। केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए अपने कर्मचारियो के मामले में विभागाध्यक्षो को पहले ही प्राधिकृत कर रखा है।

(ग) इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योकि अगर अत्यन्त कठिनाई के आधारों को देखे बिना आंधाधुन्ध तरीके से अनिवार्य जमा की रकम वापस अदा कर दी गई तो उससे बहुत अधिक मुद्रा उपलब्धि हो जाएगी और उससे मुद्रास्फीतिकारी दबाव और ज्यादा बढ़ जाएंगे ।

पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये का अवमूल्यन

2482. **श्री जी० एम० बनतवाला :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम :
श्री के० मालवा :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पाउंड स्टर्लिंग की तुलना म रुपये का पुना 3.6 प्रतिशत अवमूल्यन किया गया है जैसाकि दिनांक 3 नवम्बर, 1977 के टाइम्स आफ इंडिया में समाचार छपा है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) इसका देश की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इससे देश को क्या लाभ होगा ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) जी नहीं। यह रुपये का अवमूल्यन नहीं था, बल्कि समय-समय पर पाउंड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मूल्य का समायोजन करने की प्रक्रिया का एक अंग था ताकि रुपए की विनिमय दर को व्यापार करने वाले मुख्य साझीदारों की मुद्रा की विनिमय दरों –होने वाले उतार चढ़ावों के अनुरूप रखा जा सके।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

आयकर विभाग द्वारा कर्नाटक में आयकर अपवंचन का पता लगाया जाना

2483. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित आयकर विभाग के आसूचना विंग ने नगर में आयकर के एक बहुत बड़े कर अपवंचन का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है और कितनी धनराशि पर कर अपवंचन किया गया है ; और

(ग) उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारउल्ला) : (क), (ख) तथा (ग) श्री के० पी० सम्पत रेड्डी, मालिक, श्रीशंकर ट्रेडिंग कम्पनी (किराना व्यापारी), बंगलोर के परिसरों में सितम्बर 1977 में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133-क के अन्तर्गत की गई सर्वेक्षण-कार्यवाही के परिणामस्वरूप अनेक वर्षों के बहीखाते जप्त कर लिये गये हैं। इससे, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चलता है कि पिछले छः वर्षों के दौरान दो करोड़ रुपये से भी अधिक की खरीददारियों को छिपाया गया है। संगत कर-निर्धारण वर्षों के सम्बन्ध में कर-निर्धारण की कार्यवाही फिर से शुरू की गयी है और आगे पूछताछ जारी है।

विजय बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच

2484. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विजय बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों के बारे में सरकार द्वारा की जा रही जांच की क्या प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक की जांच के क्या निष्कर्ष निकले और इस बारे में क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को विजया बैंक लिमिटेड का निरीक्षण करने के लिए कहा गया था। रिजर्व बैंक ने निरीक्षण पूरा कर लिया है और हाल ही में, निरीक्षण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(ख) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 की उपधारा 5 के उपबन्धों के अनुसार, सरकार, केवल सम्बन्धित बैंक को उचित नोटिस देने के बाद और आवश्यक प्रतीत होने पर ही निरीक्षण रिपोर्ट अथवा उसका कोई अंश प्रकाशित कर सकती है। चूंकि (1) इस प्रकार का कोई नोटिस बैंक को नहीं दिया गया है, (2) निरीक्षण रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रकट करना जनहित में आवश्यक नहीं समझा जाता है और (3) रिपोर्ट में बैंक के ग्राहकों के मामलों से सम्बन्धित सूचना निहित है, जिसे बैंकरों में प्रचलित प्रथाओं और व्यवहार के अनुसार प्रकट नहीं किया जाता इसलिए सरकार रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रकट करने में असमर्थ है।

स्वीडन द्वारा ऋण के रूप में सहायता

2485. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वीडन से ऋण के रूप में प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है, कुल कितनी राशि प्राप्त हुई, किस रूप में प्राप्त हुई, यह कितने समय से बकाया रही है ; और

(ख) अब तक किये गये पुनर्भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) स्वीडन ने भारत को कुल 5,590 लाख स्वीडिश क्रोनर (लगभग 102.297 करोड़ रुपए) के विकास ऋण दिए हैं। स्वीडन से प्राप्त ऋणों, उनके स्वरूप और उनके बकाया रहने की अवधि का ब्यौरा एक विवरण में दिया गया है जो सभा पटल पर रख दिया गया है। वर्ष 1976-77 से स्वीडन से भारत को मिलने वाली सभी सहायता अनुदानों के रूप में है। [**ग्रंथालय में रखा गया। - देखिये संख्या एल०टी०—1253/77।**]

(ख) मूलधन की अभी तक कोई वापसी नहीं की गई है। स्वीडन भारत सहायता संघ का सदस्य है और पिछले कई वर्षों से सहायता संघ के तत्वावधान में शुरू की गई प्रथा के अनुसार जब मूलधन की वापसी देय होती है तो वह उसे वार्षिक ऋण राहत के अंग के रूप में बट्टेखाते डाल देता है। फिर भी इस वर्ष स्वीडन ने इसके द्वारा भारत सहित अनेक विकासशील देशों को दिये गए सभी विकास सहायता ऋणों को बट्टेखाते डालने का एक आम फैसला किया है।

अन्तर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिये शुल्क मुक्त सामान की छूट में शराब की बोतल का शामिल किया जाना

2486. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शुल्क मुक्त सामान की छूट के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों पर शराब की बोतल लाने की अनुमति न देने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि एयर इण्डिया, जिसकी सर्वाधिक कुशल विमान कम्पनियों के रूप में प्रतिष्ठा है, यह महसूस करती है कि अगर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, तो न केवल इसके यातायात में ही कमी होगी, बल्की सम्पूर्ण विश्व में उनकी बदनामी भी होगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिये आकर्षण

2487. **श्री के० लकप्पा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने कर्नाटक में पर्यटन आकर्षण के केन्द्रों पर गत 3 वर्षों में कितनी धनराशि लगाई ; और

(ख) क्या कर्नाटक के पर्यटन केन्द्रों के लिए और पर्यटक आकर्षित करने की कोई योजना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) कर्नाटक में, विभिन्न स्कीमों पर 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में किया गया व्यय निम्न प्रकार है :—

1. पर्यटन विभाग		
(i) डांडेली में एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण . .	91,929	रुपए
2. भारत पर्यटन विकास निगम		
(i) बंगलौर के अशोक होटल का विस्तार . .	78,16,000	रुपए
(ii) मैसूर स्थित ललित महल पैलेस को एक होटल में परिवर्तित करना	25,56,000	रुपए
(iii) बंगलौर में परिवहन यूनिट पर व्यय . .	27,000	रुपए
कुल . .	104,90,929	रुपए

(ख) कर्नाटक की ओर अधिक पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमों को आरंभ किया गया है/करने का प्रस्ताव है :—

(i) पर्यटन विभाग ने बादामी, पट्टाडकल, ऐहोले तथा हाम्पी का अपने सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम के अंतर्गत विकास करने के लिये चयन किया है। इन केन्द्रों के विकास कार्य को इन केन्द्रों की मास्टर प्लानों (भू-प्रयोग योजनाओं) के आधार पर आरंभ किया जाएगा जोकि तैयार की जा रही है।

(ii) बांदीपुरवन्यजीव शरण-स्थल पर एक फॉरेस्ट लॉज का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इसके लिए पर्यटन विभाग के चालू वर्ष 1977-78 के बजट में 3.00 लाख पये की व्यवस्था की गयी है।

(iii) पर्यटन विभाग द्वारा मैसूर में एक युवा होस्टल का निर्माण आरंभ किया गया है। इस परियोजना पर 5.88 लाख रुपए का व्यय होने का अनुमान है।

(iv) भारत पर्यटन विकास निगम मैसूर स्थित ललित महल पलेस में 38 लाख रुपए की अनुमानित लागत से 30 कमरों की वृद्धि करके उसका विस्तार करेगा।

बैंकिंग व्यवस्था की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना

2488. **श्री के० लकप्पा :**
श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अक्तूबर, 1977 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'नेशनल प्लान टू प्रोटेक्ट बैंकिंग सिस्टीम प्रपोज्ड' शीर्षक समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) प्रस्तावित योजना की विशिष्ट बातों और मुख्य प्रयोजन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) सरकार उल्लिखित समाचार से अवगत है।

(ख) और (ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रल, 1976 में अपने ही अधिकारियों के एक आन्तरिक कार्यकारी दल का गठन किया था ताकि वाणिज्यिक बैंकों की उत्पादकता, कार्यकुशलता और लाभकारिता के प्रश्न की जांच कीजाय। इस दल ने अपनी रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को हाल ही में प्रस्तुत की है और वह सभी रिजर्व बैंक के विचाराधीन है। यद्यपि उसने बैंकों की कार्य प्रणाली को सुधारने की कोई खास योजना नहीं बनाई है किन्तु रिपोर्ट में कई सुझाव दिये गये हैं जिनका उद्देश्य बैंकों की परिचालन कुशलता और लाभकारिता सुधारना है। मोटे तौर पर इनका सम्बन्ध निम्नलिखित से है :—

(1) प्रणाली और प्रक्रिया में सुधार, (2) चालू खाते पर प्रभार सहित सेवा प्रभार को तर्कसंगत बनाना, (3) लेखा परीक्षा प्रशाली का पुनर्गठन, (4) कर-विधियों और प्रक्रिया का संशोधन ताकि बैंक विशेषत: अपने पूंजी आधार को सुदृढ़ कर सके, (5) निधियों की लागत के अनुरूप रूप नकद प्रारक्षित निधियों पर ब्याज की अदायगी, (6) कार्य निष्पादन बजट, ऋण बजट और व्यवसाय योजनाओं में समन्वय, (7) बंकिंग प्रबन्ध सूचना प्रणाली का निर्माण और (8) द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा और विधि क माध्यम से अथवा अन्यथा आवश्यक परिवर्तन।

भारतीय विमानों द्वारा बाध्य होकर नीचे उतरना

2489. **श्री के० लकप्पा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **श्री बहुगुणा** को ले जा रहे हेलिकाप्टर की 1 नवम्बर, 1977 को बाध्य होकर रास्ते में उतरना पड़ा था और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या अक्तूबर और नवम्बर में केन्द्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रियों और दल के नेताओं को ले जाने वाले भारतीय वायुयानों को बड़े पैमाने पर बाध्य होकर बीच रास्तों में उतरना पड़ा और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी, हां। 1 नवम्बर, 1977 को उत्तर प्रदेश सरकार के वीटी-ईएफआई एलूएट हैलिकाप्टर को जिसमें पैट्रोलियम मंत्री, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा यात्रा कर रहे थे, ऋषिकेश से दिल्ली जाते हुए, यांत्रिक खराबी के कारण मेरठ से 17 मील दक्षिण में बरसिया गांव पर बाध्य होकर उतरना पड़ा।

(ख) अक्तुबर और नवम्बर 1977 के दौरान, उपरोक्त घटना सहित महत्वपूर्ण व्यक्तियों को ले जा रहे चार भारतीय पंजीकृत विमानों को एहतियाती तौर पर, बाध्य होकर उतरना पड़ा। प्रारम्भिक जांचों से पता चला है कि ऐसा यांत्रिक दोषों के कारण हुआ।

विदेश व्यापार नीति

2490. **श्री के० लक्कप्पा :**

डा० हेनरी आस्टिन :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार नीति में भारी परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परिवर्तन से विदेश व्यापार बढ़ाने में कितनी सहायता मिली है ;

(ग) नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या इस नीति से भारत सरकार को सहायता मिली है, यदि हां तो कितनी ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : (क) जी, नहीं। तथापि, आयात व निर्यात नीतियों और कार्य विधियों का पुनर्विलोकन करने तथा उसमें समुचित परिवर्तन करने के लिए सरकार ने डा० पी० सी० अलेक्जेंडर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते ।

Misuse of Import Licences by Edible Oil Importers

2491. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Commerce and Civil Supplies and Cooperation** be pleased to state :

(a) the action taken so far against the traders who were given 2,000 licences by the Congress Government for importing vegetable oil worth Rs. 514 crores and who had imported vegetable oil worth Rs. 30 crores only and with the remaining amount had imported other articles and had thus cheated the Government ; and

(b) the steps taken by Government to see that no trader is able to cheat the Government in future in this way ?

The Minister of State in the Ministry of Commerce and Civil Supplies and Cooperation (Shri Arif Baig) : (a) The question presumably relates to edible oils. Action, under Import Trade Control regulations, had been initiated against firms against whom there were *prima facie* cases of malpractices. Reports regarding action so taken are awaited. Cases of 13 parties had also been referred to the Central Bureau of Investigation, from out of which 6 Nos. had also been referred to the Directorate of Enforcement, Ministry of Finance, under the Foreign Exchange Regulation Act. Enquiries in 12 of these parties

have been completed, but nothing adverse came to notice in the course of enquiries. None of these licences could be utilised for the import of any other articles.

(b) (i) The Indian Institute of Public Administration has been asked to make a study of all aspects relating to the import of edible oils by private trade under the free licensing scheme.

(ii) The procedure for issue of licences has been changed with a view to ensuring that licensing corresponds fairly close to actual imports. Licences are now being issued on the basis of firm contracts entered into by applicants.

ऋण के लिये आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब के बारे में शिकायतें

2492. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को ऋण के लिये आवेदन-पत्रों के निपटान में विलम्ब और शाखा प्रबन्धकों तथा फील्ड कर्मचारियों का कम ऋण लेने वाले व्यक्तियों के प्रति उदासीन रवैये के बारे में शिकायतें मिली है;

(ख) क्या उद्योग में आम और लघु उद्योगों में विशेष जो संकट गम्भीर था उसके कारण उनके नियंत्रण के बाहर थे और बैंकों को संकटग्रस्त होने की स्थिति से बचाने और यदि वे संकटग्रस्त हो जायें ती उन्हें फिर से स्वस्थ बनाने के लिये पहले से चेतावनी देने की कोई प्रणाली निकालनी चाहिए ; और

(ग) क्या सरकार ने अनुदेश जारी किये है कि बैंकों द्वारा अपने कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिये उन्हें अपने प्रशासन को सुदृढ बनाने की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) समय समय पर कुछ शिकायतें मिलती रही हैं और इसलिये सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे छोटे ऋणकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनायें । क्षेत्रीय कर्मचारियों को निर्देश दिये गये है कि वे ऋण-कर्ताओं को उन आवेदन पत्रों को भरने में सहायता करें जो उन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध करायें गये हैं । यह भी सुनिश्चित करने के लिये कि छोटे ऋण कर्ताओं ऋण के आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निपटाया जा सके, सरकारी क्षेत्र को बैंकों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे 10,000/– रु० तक के ऋण आवेदन पत्रों को 3 से 4 सप्ताह के भीतर और 10,000/– रु० से अधिक के ऋण-आवेदन पत्रों को 3 महीने के भीतर हो निपटा दें ।

(ख) और (ग) : रुग्णावस्था के मामले, आन्तरिक और बाह्य दोनों ही कारणों से होते हैं । मांग में कमी, कच्चे माल की कमी , बिजली की कमी आदि कुछ ऐसे वाह्य कारण हैं जो रुग्णावस्था के लिए उत्तरदायी हैं और प्रबन्धकों के बस के बाहर हैं । बैंको को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने मुख्य कार्यालयों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयो में विशेष कक्ष स्थापित करें ताकि रुग्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाया जा सके । इसके साथ-साथ , बैंको को यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि वे रुग्ण एककों का पता लगायें और एक करोड रुपये अथवा इससे अधिक का ऋण सीमा प्राप्त करने वाले एककों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखें । उन्हें यह भी कहा गया है कि वे ऐसे एककों के मामले में रोकथाम को सुधारात्मक कार्यवाहीं करें जिनमें प्रारम्भिक रुग्णावस्था के चिन्ह मौजूद हों । बैंकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उस रुग्ण एककों के मामले में शीघ्र ही

वित्तपोषक कार्यक्रम शुरू कर दें जो आर्थिक रूप से सक्षम हों । प्रारम्भिक रुग्णावस्था को निगराना की व्यवस्था को मध्यम और छोटे उद्योगों पर भी धीरे धीरे लागू कर दिया जायेगा ।

Increase in the Prices of Opium

2493. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the opium growers have repeatedly requested the Government to increase the price of opium but the increase effected in the price is marginal;

(b) whether it is a fact that the cost of production has substantially increased during the last two years and the price being paid to the growers is inadequate; and

(c) if so, the action taken by the Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri Satish Agarwal): (a), (b) & (c): The opium poppy growers have demanded in the past an increase in the price of opium payable to them on the ground that the cost of production of opium had substantially increased. After taking into consideration the increase in the cost of production of opium and other relevant factors including incomes from other comparable crops, the purchase price of opium to be paid to cultivators was raised by about 11% at the highest price slab in the crop year 1976-77 and by about 10% in each price slab in 1977-78.

AIR Traffic Facilities for Indore

2494. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that keeping in view the growing number of passengers the air traffic facilities between Indore-Bombay and Indore-New Delhi are inadequate;

(b) whether it is also a fact that the aerodrome of Indore is not suitable for landing of big passenger airlines; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a) Indore is connected with Delhi and Bombay by a stopping service, IC-459/460. This service operates on five days a week on the route Delhi/Gwalior/Bhopal/Indore/Bombay. On the remaining two days, it operates on the route Delhi/Bhopal/Jabalpur/Raipur/Indore/Bombay. The seat allotment between Bombay/Indore and Delhi/Indore is of the order of 27 and 11 respectively. Against this the seat utilisation between Bombay/Indore and Delhi/Indore is of the order of 27 and 8 respectively. The facilities for passengers travelling between Delhi and Indore are adequate, while the Bombay/Indore traffic capacity is saturated and augmentation of capacity on this sector will be considered when the fleet position improves.

(b) and (c): The aerodrome at Indore is not suitable for larger aircraft such as Boeing 737. The question of development of the aerodrome for Boeing 737 operations will be considered in the next Five Year Plan subejct to availability of resources.

Rules for granting Recognition to Unions

2495. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether there are different Unions for looking after the interest of employees working in the various departments of Civil Aviation;

(b) if so, the names thereof;

(c) whether it is a fact that the number of unions is more than one in the same department; and

(d) the general rules for granting recognition to the unions?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Purushottam Kaushik): (a), (b) and (c): Under the Ministry of Tourism and Civil Aviation, there are three Government Departments, viz. Civil Aviation Department, Director General of Observatories and Director General of Tourism. The names of recognised Unions in existence in these Departments are listed below:—

(i) *Civil Aviation Department:*

(1) The Civil Aviation Department Employees Union.

(2) Civil Aviation Department Communicators Guild.

(3) Civil Aviation Department Gazetted Officers' Association.

(ii) *Director General of Observatories:*

(1) India Meteorological Department Gazetted Officers Association, New Delhi.

(2) India Meteorological Department non-Gazetted Staff Union, New Delhi.

(3) India Meteorological Workshops Union, New Delhi.

(iii) *Director General of Tourism:*

(1) Tourist Officers' Association.

(iv) *Besides the above, branches of:*

(1) the Central Govt. Clerks' Union and (2) the Central Govt. Class IV Employees' Association also are functioning.

(d) A statement explaining the position in respect of Associations/Unions of Central Government Employees is attached. This applies also to Associations/Unions of employees in the Government Departments under the Ministry of Tourism and Civil Aviation.

STATEMENT

1. De-facto/informal recognition for purposes other than the Scheme for J.C.M.

(a) *Non-industrial:*

There are at present no formal rules, regulations/regulating the grant of recognition to service associations of Central Government employees as the

Central Civil Services (Recognition of Service Associations) Rules, 1959, are at present being treated as inoperative, consequent on Rule 4-B of the C.C.S. (Conduct) Rules, 1955, with reference to which, inter alia, the Recognition Rules had been framed, having been struck down by the Supreme Court. Pending the framing of fresh recognition rules, Government are following the policy that the Ministries/Departments may grant de-facto or informal recognition to the service associations of their employees, if they fulfil the major features of the Central Civil Services (Recognition of Service Associations) Rules, 1959. The service associations should also have a minimum membership strength of 15% of each of the categories of staff which they purport to represent.

(b) *Industrial :*

In the case of unions of industrial employees of Government recognition has to be considered in terms of the Code of Discipline where the Code has been adopted in a particular organisation. Where the Code has not been adopted, the present position is that, in the absence of formal rules of recognition, the Ministries/Departments may deal with their unions, without insisting on formal recognition, if they fulfil these major features of the 1959 Recognition Rules which are applicable to them. A trade union should also have a minimum membership of 15% of each of the categories of staff which it purports to represent.

2. **Ad-hoc recognition for the purposes of the Scheme for JCM.**

It was decided in consultation with the employees' leaders at the time of the finalisation of the J.C.M. Scheme that only those Unions/Associations, which were recognised in the past and which continued to represent broadly and adequately all the categories of employees of the Department, should be recognised for participation in the J.C.M. In the case of Ministries/Departments where there were no recognised federations/unions/associations in the past, or where the existing federation/union/association did not represent all the categories of employees broadly and adequately, a new association/union/federation could be granted ad-hoc recognition for the purpose of JCM Scheme. For fulfilling the condition of broad and adequate representation, an association/union/federation should have at least 15% membership of each of the categories of staff which it purports to represent. In addition, it should also satisfy the relevant major features of the C.C.S. (Recognition of Service Association) Rules, 1959. Such an association/union/federation enjoys all the facilities extended to an association, etc. recognised informally or de-facto, and, in addition, it is entitled to participate in the joint Councils of the J.C.M.

तस्कर और विदेशी मुद्रा जालसाजी अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन जब्त की गई सम्पत्ति

2496. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत आठ महीनों की अवधि में तस्कर और विदेशी मुद्रा जालसाजी (सम्पति का जब्त किया जाना) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन कितनी लागत की सम्पतियों को जब्त किया गया और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ख) कितने मामलों में कार्यवाही चल रही है और वह कब से चल रही है और वह कब तक पूरी होगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति का समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत 137 आदेश जारी किए गए थे जिनके द्वारा 31 अगस्त 1977 को समाप्त हुए 8 महीनों की अवधि में 2 करोड़ 8 लाख रु० के मूल्य की सम्पत्ति जब्त की गई थी।

(ख) 752 मामलों में सम्पत्ति को जब्त करने की कार्यवाही की जा रही है, इनमें 305 वे मामले भी शामिल है जिनमें पूछताछ की जानी है और जो एक वर्ष से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं। 179 मामलों में, उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की गई है जिनमें कार्यवाही की वैधता को चुनौती दी गई है। यद्यपि विचाराधीन पड़े मामलों में कार्यवाही को तत्परता से पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं, तथापि अपेक्षित विस्तृत पूछताछ और कार्यवाही करने वाले सक्षम प्राधिकारियों द्वारा एकत्रित सामग्री का खण्डन करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखते हुए, यह बताना संभव नहीं है कि यह कार्यवाही कब पूरी होगी।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स की कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए समिति

2497. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के बीच तालमेल और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है ;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो कब और उसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : (क) जी हां। जून, 1976 में, सरकार ने एक समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के सचिव थे तथा नागर विमानन के महानिदेशक, पर्यटन के महानिदेशक, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के प्रबंध निदेशक और इस मंत्रालय के दो संयुक्त सचिव इसके सदस्य थे और जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ उन क्षेत्रों का, जिनमें कि समग्र राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स के बीच और अधिक समन्वय आवश्यक है, निर्धारण करना तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना था।

(ख) समिति ने अपने विचार-विमर्श अभी पूरे नहीं किए हैं।

(ग) और (घ): प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों को अग्रिम गैर-योजना सहायता

2498. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री सुखेन्द्र सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय ने गैर-योजना राशि में 50 प्रतिशत की कमी को पूरा करने के लिए राज्यों को योजना सहायता के रूप में अग्रिम राशि देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह केन्द्रीय बजट में 1977-78 के लिए निर्धारित योजना सहायता के अतिरिक्त होगा ; और

(घ) इससे राज्य सरकारों को कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क), (ख), (ग) और (घ) : अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में कमी हो जाने, और करों में रियायत, कर्मचारियों को राहत और वार्षिक आयोजना को अन्तिम रुप दिए जाने के पश्चात् राज्यों द्वारा अतिरिक्त आयोजना भिन्न देन-दारियों का भार उठाने के कारण संसाधनों का क्षय हो जाने के परिणामस्वरूप राज्य आयोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए संसाधनों में बहुत अधिक अन्तराल आये हैं। राज्यों द्वारा अपने अनुमोदीत आयोजनागत परिव्ययों को बनाये रखने और विकास की गति को बनाये रखने के लिये यह निर्णय किया गया है कि संसाधनों में अवशेष अन्तराल के आधे भाग को आयोजना तैयार करते समय परिकल्पित केन्द्राय सहायता से उपर अतिरिक्त अग्रिम आयोजनागत सहायता द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। ऐसी आशा की जाती है कि राज्य बाकी बचे आधे अन्तराल को अपने स्वयं के प्रयत्नों से, जैसे कि आयोजना भिन्न व्यय में किफायतो प्राप्तोयों में सुधार, देय राशियों का संग्रह आदि करके पूरा कर लेगे। इस स्थिति की समीक्षा करते रहने का विचार है।

देश में शहरी सहकारी बैंक

2499. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के शहरी सहकारी बैंकों का अध्ययन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ग्यारह-सदस्यीय समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देने की संभावना है ; और

(ग) प्रस्तावित समिति के मुख्य लक्ष्य क्या है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गौयल) (क) जी हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई तारीख नियत नहीं की गई है, परन्तु समिति का अप्रैल 1978 तक रिपोर्ट देने का इरादा है ।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :–

(1) बैंकिंग पद्धति में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों की भूमिका का मूल्यांकन ।

(2) उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए उनकी भावी भूमिका का निर्धारण करना और विशेषकर इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या कोई अन्य सुविधाएं या सहायता आवश्यक है ।

(3) क्षमता उधार देने की क्रियाविधि और नीतियों जैसे पहलुओं का विशेषकर छोटे उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जांच करना ।

(4) व्यावसायिक प्रबंध की सीमा और प्रशिक्षण सुविधाओं की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना ।

(5) उपर्युक्त विचाराधीन विषयों से सम्बन्धित अन्य समस्या पर विचार करना और उसके संबंध में सिफारिशें करना ।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2500 **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने सितम्बर, 1977 में यह वायदा किया था कि अक्तुबर, 1977 के अंत तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाने की योजना लागू कर दी जायगी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रश्न पर उन्होंने राज्य सरकारों से भी विचार विमर्श किया था;

(ग) क्या नवम्बर के महीने में भी यह योजना नहीं बनी और लागू नहीं की गई ; और

(घ) यदि हां, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल): (क) से (घ): यद्यपि 22 जुलाई, 1977 को इस बात का संकेत दिया गया था कि आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबुत बनाने के प्रस्तावों को तीन महीने में अन्तिमरुप दे दिया जायगा फिर भी, इस मामले में अन्तिम निर्णय करना संभव नहीं हो सका है । देरी का मुख्य कारण यह है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लाई जाने वाली वस्तुयें कई प्रकार की हैं और प्रस्तावों में दीर्घकालिन तथा अल्पकालिन नीतियां बनाने की बात शामिल है, जिनके बारे में वित्त तथा अन्य विषयों से संबंधित जटिल मामलों पर विचार किया जाना है । इस बीच, उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली अन्य वस्तुओं के अलावा उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाने के तेल तथा वनस्पति घी जैसी वस्तुयें मुहैया कराने के लिये अल्पावधि उपाय किये जा रहे है । इस बारें में अपनाई जाने वाली नीति पर सरकार के संबंधित मंत्रालयों से सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । और उसके बाद इस मामले पर मंत्रिमंडल विचार करेगा । मंत्रिमंडल द्वारा इस विषय में नीति संबंधी दृष्टिकोण तय किये जाने के बाद इस बारे में नीति निर्णय करने तथा राज्य सरकारों को उन्हें कार्यान्वित करने के लिये कहने से पहले राज्य सरकारों से आगे और विचार-विमर्श किया जायेगा ।

निर्यात और आयात नीतियों के बारे में समिति की नियुक्ति

2501. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने आयात और निर्यात नीतियों के लिये एक समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या इस समिति को आयात और निर्यात नीतियों और प्रक्रियाओं में संशोधन की सिफारिश करने का भी अधिकार है ;

(ग) क्या समिति के सदस्य वे ही व्यक्ति है, जो आयात और निर्यात नीति के बारे में पिछली सरकार को भी सलाह देते रहे थे ; और

(घ) क्या इसे ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार समिति में कुछ ऐसे नये सदस्यों को शामिल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है, जो आयात एवं निर्यात व्यापार के विशेषज्ञ है ?

वाणिज्य राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ) : डा० पी० सी० अलैक्जेंडर, वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नोक्त सदस्यों की एक समिति स्थापित की गई है :–

1. श्री आर० एन० मल्होत्रा, अपर सचिव,
   आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय

2. श्री एम० आर० शराफ, अपर सचिव,
   बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय

3. श्री के० वी० शेषादि, आयात व निर्यात के मुख्य
   नियंत्रक, वाणिज्य मंत्रालय

4. डा० विमल जालान, आर्थिक सलाहकार,
   उद्योग मंत्रालय ।

समिति ने निम्नोक्त सदस्यों को सहयोजित किया है :—

5. श्री पी० के० कौल, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

6. डा० विजय केलकर, आर्थिक सलाहकार , वाणिज्य मंत्रालय

7. डा० वी ० आर० पंचमुखी (सदस्य सचिव) अध्यक्ष, अनुसंधान तथा विश्लेषण प्रभाग, व्यापार विकास प्राधिकरण

अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत वापस लौटाई गई राशि

2502. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत किस्तों के रूप में कितनी राशि का अब तक भुगतान किया गया है तथा इस समय कितनी राशि बकाया है ;

(ख) भुगतान की कितनी राशि ऊंचे लाभ वाले बांडों में लगाई गई है;

(ग) क्या सरकार ने जमा राशि का उपयोग किसी अन्य प्रकार से किया है अथवा करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जुल्फिकारउल्ला) : (क) सरकार के पास अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत पहली अक्तूबर, 1977 तक किस्तों के रूप में कर्मचारियों को जिन रकमों की वापसी अदायगी की गयी है वह 415.16 करोड़ रुपये की बैठती है और उक्त तारीख को शेष रकमें 36.68 करोड़ रुपए की थी। ऐसी अधिकतर शेष रकमें, अतिरिक्त वेतन जमा और अतिरिक्त महंगाई भत्ते की जमा रकमों की दूसरी किस्त से संबंधित हैं जिनकी वापसी अदायगी की जा रही है और ऐसी आशा है कि यह काम जल्दी ही काफी हद तक पूरा कर लिया जाएगा ।

(ख) प्रश्न में संभवत: राष्ट्रीय विकास बांडों का उल्लेख किया गया है जो 31 अगस्त, 1977 को शुरु किए गए थे। सरकार के पास जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 15 अक्तूबर, 1977 तक इन बांडों से लगभग 7.5 करोड़ रुपए की रकम वसूल की गयी थी। चूंकि इन बांडों में आम जनता धन लगा सकती है और चूंकि केवल अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है इसलिए इन बांडों में कर्मचारियों द्वारा जो निवेश किया है उसके आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) : विकास कार्यों को बनाए रखने के लिए तथा अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक से निक्षेप की निरुद्ध रकमों अनिवार्य में से ऋण लेती रही है। इस प्रकार 1976-77 के वित्तीय वर्ष में इस खाते से जो ऋण लिया गया वह 480 करोड़ रुपए का बैठता है। यह पहला अवसर था जब ऐसे ऋण लिये गए चालू वित्तीय वर्ष के बजट में भी अनिवार्य निक्षेप को इन निरुद्ध रकमों में से 130 करोड़ रुपए के ऋण लेने की व्यवस्था की गयी है ।

महा लेखापाल, इलाहाबाद के कार्यालय के श्री कृपाशंकर तथा अन्य कर्मचारियों की बहाली के सम्बन्ध 29-7-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5331 तथा श्री विद्याचरण शुक्ल की आय और धन का निर्धारण करने के बारे में 5-8-77 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6421 के उत्तर में शुद्धि करने वाले विवरण

CORRECTING STATEMENTS TO U.S.Q. NO. 5331 DATED 29-7-77 REGARDING REINSTATEMENT OF SHRI KRIPA SHANKAR AND OTHER EMPLOYEES OF THE OFFICE ACCOUNTANT GENERAL, ALLAHABAD AND U.S.Q. NO. 6421 DATED 5-8-77 REGARDING ASSESSMENT OF INCOME AND WEALTH OF SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA

29 जुलाई, 1977 को लोक सभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 5331 के उत्तर में अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया था कि "श्री मिश्रा ने अपनी सेवा समाप्ति के विरूद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है और इसलिए यह उचित नहीं होगा कि उनके मामले का जो न्यायालय में निर्णय के लिए पड़ा है, पुनरीक्षण किया जाए"। और आगे सूचना प्राप्त होने पर हाल ही में यह पाया गया कि श्री डी० एन० मिश्रा की सेवा समाप्ति के संबंध में वास्तव में कोई याचिका उच्च न्यायालय में अनिर्णित नहीं पड़ी है। तदनुसार उनके तथा श्री एन० के० शर्मा के मामले पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा पुनः विचार किया गया तथा दोनों को उनके पहले के स्तरों पर तुरन्त सेवा में वापस लेने के लिए 5 नवम्बर, 1977 को आदेश जारी किए गए। सदन को इससे पहले दी गई सूचना में हुई भूल के लिए खेद है।

उपर्युक्त प्रश्न का सदन में उत्तर दिए जाने के तुरन्त पश्चात् ही सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई तथा 14-11-1977 को उसका पुनः आयोजन किया गया है। इस बीच इस बात की सही वास्तविक सूचना कि श्री मिश्रा का कोई भी याचिका उच्च न्यायालय में अनिर्णित नहीं पड़ी है, सरकार को 7 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हुई जब लोक सभा का सत्र नहीं चल रहा था। इस लिए इससे पहले की सूचना की संशोधन इस सत्र के दौरान ही सर्व प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही किया जा सका।

लोक सभा में 5 अगस्त 1977 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6421 के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर में भूलसुधार करने के बारे में वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री का वक्तव्य

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 6421 के उत्तर में 5 अगस्त 1977 को सदन पटल पर रखे गये अनुबन्ध में प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की तेरहवीं पंक्ति में आय के ब्यौरे देने में असावधानी से एक गल्ती हो गयी है और "22,250 रु०" के स्थान पर "कोई विवरण दाखिल नहीं की गयी, कोई कर निर्धारण नहीं किया गया" बताया गया।

2. मैं सदन से निवेदन करता हूं कि पहले दिये गये उत्तर में भूल सुधार करने की कृपा करें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वायुयान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (श्री पुरुषोत्तम कौशिक) : मैं वायुमान अधिनियम, 1934 की धारा 14 क के अन्तर्गत वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1163 में प्रकाशित हुए थे, व्याख्यात्मक टिप्पण सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1228/77]

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल०टी० 1229/77]

व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, काफी बोर्ड के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे आदि, काफी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम और इलायची अधिनियम

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) व्यापार विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1976–77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1230/77]

(2) काफी बोर्ड के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1231/77]

(3) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1327 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गई देखिए । संख्या एल०टी० 1232/77]

(4) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी मिट्टी के उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1977, जो दिनांक 13 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2580 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) जूतों का निर्यात निरीक्षण (संशोधन) नियम, 1977 जो दिनांक 13 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2583 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 20 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2603 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पिसी हड्डियों, खुरों और सींगों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1977 जो दिनांक 17 सितंबर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 2910 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1233/77]

(5) इलायची अधिनियम, 1942 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इलायची (संशोधन) नियम, 1977, जो दिनांक 5 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1458 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) इलायची (लाइसेंस देना तथा विपणन) नियम, 1977, जो दिनांक 5 नवम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1459 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1234/77]

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के, भारतीय सामान्य बीमा निगम आदि के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के प्रतिवेदन आदि, स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फीकारउल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियों और दायित्व तथा लाभ और हानि लेखे का विवरण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1235/77]

(2) सामान्य बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1973 के नियम 6 के अन्तर्गत भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा उस के घटकों के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के

कार्यकरण तथा मामलों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1236/77]**

(3) स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 की धारा 114 की उपधारा (3) के अंतर्गत स्वर्ण नियंत्रण (व्यापारियों को लाइसेंस देना) संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 4 नवम्बर, 1977 के भारत के राज-पत्र में अधिसूचना संख्या सा० आ० 751 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1237/77]**

(4) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 710 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 19 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1238/77]**

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 19 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1587 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1239/77]**

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1588 और 1589 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 19 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1240/77]**

(7) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 713 (ङ) जो दिनांक 23 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 720 (ङ) और 721 (ङ) जो दिनांक 26 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० सां० नि० 1629 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1241/77]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा 1 दिसम्बर, 1977 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1977 को पास किये गये अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 1977 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 1 दिसम्बर, 1977 के अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1977 को पास किये गये स्मिथ, स्टेनिस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा 1 दिसम्बर, 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 28 नवम्बर, 1977 को पास किये गये इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (शेयरों का अर्जन) संशोधन विधेयक, 1977 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में
RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री वसन्त साठे (अकोला) : मैंने श्री चरण सिंह जी के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रस्ताव की एक सूचना दी थी कि गांधी स्मृति में एक सर्वोदय कार्यकर्ता पर हमले के प्रश्न पर उन्होंने तारीख के बारे में गलत सूचना देकर सदन को जानबूझकर गुमराह किया है, उपरोक्त कार्यकर्ता को 3 नवम्बर, को स्थानान्तरित किया गया था जब कि गृह मंत्री ने कहा था कि उसे उस पद से अक्तूबर में यानि पहली और दूसरी घटना के बीच—पुस्तकालय को स्थानान्तरित किया गया था। वह कहते हैं कि स्थानान्तरण के बावजूद यह आदमी गाइड के रूप में कार्य करता रहा है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में कुछ न कुछ कहता रहता था। आपने मेरे नोटिस को बिना कारण बताये अस्वीकृत कर दिया है। गृहमंत्री या तो नियम 115 के अधीन अपने वक्तव्य को ठीक करें अन्यथा उन्होंने जान-बूझकर झूठी तारीख देकर सदन को गुमराह किया है। यह विशेषाधिकार का स्पष्ट मामला है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामल में सामान्य प्रथा यह है कि केवल अस्वीकृति की सूचना दी जाती है। यदि सम्बन्धित सदस्य मेरे पास (कक्ष में) आयें तो उन्हें कारण भी बताया जायेगा। विभाग की टिप्पणी तथा सभी मामलों पर विचार करने के पश्चात् मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई गलत बयानी नहीं हुई है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
Calling attention to a matter of Urgent Public Importance

(एक) जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा जारी किया गया लोक सुरक्षा अध्यादेश तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अध्यादेश 29 अक्तूबर को जारी किया गया और संसद का अधिवेशन 14

नवम्बर से आरम्भ हुआ और हमने तुरन्त ध्यानाकर्षण सूचना का नोटिस दिया। ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत हो गई और उसका बजट किया गया है और हमारे नाम उसमें नहीं हैं। हम यहां उन लोगों के प्रतिनिधि हैं जिनके अधिकार व स्वतंत्रता का इस अध्यादेश के परिणाम स्वरूप हनन किया गया है। यदि आप हमें ध्यानाकर्षण सूचना के लिए अवसर नहीं दे सकते हैं, तो म अनुरोध करूंगा कि आप इस पर दो घंटे का चर्चा का अनुमति दे ताकि हर व्यक्ति जो इस विषय पर कुछ बोलना चाहे बोल सके।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी (अनन्तनाग) : हमने जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अध्यादेश के बारे में स्थगन प्रस्ताव को तथा ध्यानाकर्षण सूचनाओं के नोटिस दिये थे। यदि हमें इस विषय को सदन में उठाने का अवसर नहीं मिला तो वहां की जनता का, जिनके हम प्रतिनिधि हैं, हमारे बारे में क्या धारणा बनेगी कि हमने सदन में इस विषय पर मुह तक नहीं खोला। मैं गृह मंत्री जी से मेरे सहयोगी डा० कर्ण सिंह का सुझाव स्वीकार करने का अनुरोध करूंगा। ध्यानाकर्षण सूचना के बदले हमें दो घंटे की चर्चा का अवसर दिया जाये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : इसका एकमात्र हल यही है कि इस विषय पर जैसा कि डा० कर्ण सिंह ने सुझाव दिया है, दो घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाये ताकि इस सदन में मामले पर विचार विमर्श हो सके।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मेरा निवेदन यह है कि सर्वप्रथम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ग्रहोत किया जाना चाहिए। दूसरा निवेदन यह है कि जो सदस्य उस क्षेत्र के हैं और यदि ध्यानाकर्षण सूचना में उनके नाम नहीं है तो अध्यक्ष महोदय अपनी अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके उस क्षेत्र के सदस्यों के नाम उसमें सम्मिलित कर सकते हैं जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक कश्मीर के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण सूचना का सम्बन्ध है, सबसे प्रथम सूचना श्री बल्देव सिंह से प्राप्त हुई थी जो जम्मू से आते हैं। मैंने इसे कुछ दिन के लिए रोक लिया, कुछ बात-चीत चल रही थी। मैंने उसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। श्री बल्देव सिंह उसके लिए दबाव डाल रहे थे। मैंने नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य को अनुमति दे दी। बैलटिंग सम्बन्धो नियम की व्याख्या पहलेही की जा चुकी है। किसी दिन के लिए एक बार 10 बजे बैलटिंग हो जाने पर उसे कोई नहीं बदल सकता। इस पर दो घंटे की चर्चा की जाये या नहीं, यह बात भिन्न है। हम इस पर अलग से विचार करेंगे। लेकिन जहां तक बैलटिंग का सम्बन्ध है, उसे बदलने को अध्यक्ष के पास कोई शक्ति नहीं है। केवल पांच व्यक्तियों को अनुमति दी जा सकती है। नियम में ऐसा उपबन्ध है। इसमें कोई फेर-बदल नहीं किया जा सकता।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान नियम 197 की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं आप से पूर्णतः सहमत हूं कि आप बैलट में किसी का नाम जोड़ नहीं सकते। मेरा निवेदन यह है कि 10 बजे तक प्राप्त सभी सूचनाओं का बैलटिंग किया जाना चाहिए। अब आप पुरानी प्रथा का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आपका कार्यालय ऐसा कर रहा है कि 10 बजे से पहले अथवा 10 बजे के बाद यहां तक कि 10 दिन बाद प्राप्त सूचनाओं

[श्री कंवरलाल गुप्त]

का बैलटिंग एक साथ किया जाता है। यह उचित नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि केवल उन्ही सूचनाओं का बैलटिंग होना चाहिए जो 10 बजे तक प्राप्त होती हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली यह कि काश्मीर के सम्बन्ध में इस विशेष अध्यादेश को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में, अध्यादेश 29 अक्तूबर को जारी किया गया था और जब 14 नवम्बर को सदन की बैठक आरम्भ हुई तो काश्मीर के कुछ सदस्यों ने तुरन्त ध्यानाकर्षण सूचनाओं के कुछ नोटिस दिए।

इस बीच आपने सोचा कि इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी मांगी गई है अतः आपने कुछ प्रतीक्षा करना ठीक समझा। बाद में और सूचनाएं भी आपको प्राप्त हुई। मेरा प्रश्न यह है कि बैलट करते समय इन सूचनाओं पर भी अवश्य विचार किया जाना चाहिए था।

मेरी दूसरी बात एक गंभीर आरोप है जिसे सिद्ध करने में कुछ समय लगेगा और मेरा निवेदन है कि आप इस मामले की व्यक्तिगत रुप से जांच करे क्योंकि सूचना देने का सारा कार्य इतना अनियमित और मन मानेढंग से होता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि खाली फार्मों (ब्लैंक फॉर्म्स) पर पहले ही हस्ताक्षर करके कुछ अधिकारियों को दे दिये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने यह जानकारी मुझे निजी तौर पर क्यों नहीं दी ? यदि ऐसी बातें हो रही हैं और यदि आपको उसकी जानकारी है तो क्या इस सदन का सदस्य होने के नाते इस ओर अध्यक्ष का ध्यान दिलाना आपका कर्तव्य नहीं है ? यह एक गंभीर आरोप हैं, यदि ऐसा है तो मैं तुरन्त कार्यवाही करूंगा। मेरे पास और शिकायतें भी आई हैं जिनकी मैं जांच कर रहा हूँ। लेकिन यह शिकायत मेरे पास अब तक नहीं आई है, हमारे कार्यालय के लिए बहुत प्रभावी ढंग से कार्य करना आवश्यक है और इस हेतु सदस्यों को अध्यक्ष को सहयोग देना जरूरी और है ऐसी जानकारी उसे दी जानी चाहिए, हमें यह देखना है कि कार्यालय समुचित रूप से कार्य करे। मैं मामले की जांच कर रहा हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं व्यवस्था के प्रश्न के बारे में बोल रहा था, मेरा निवेदन यह है कि यदि काश्मीर के बारे में चर्चा चलती है तो वहां के सदस्यों को, यदि सबको नहीं तो कम से कम एक को, इसमें भाग लेने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही एक पत्र परिचालित कर चुका हूं। आप अपने सुझाव दीजिए। मैं आप से पूरी तरह सहमत हूं।

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 197 व 184 की ओर दिलाता हूँ। डा० कर्णसिंह तथा अन्य सदस्यों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी और उन्हे इस सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है जिसमें उनका कोई गलती नहीं है। उनके द्वारा दी गई सूचनाओं को भी बैलट में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। अब इस सम्बन्ध में उचित यही है कि इस विषय पर आप नियम 184 के अधीन चर्चा की अनुमति दें जिससे कि काश्मीर के सदस्यों को भी बोलने का अवसर प्राप्त हो सकें।

Shri Kacharulal Hemraj Jain (Balaghat): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Public safety ordinance to assume special powers to detain persons, place curbs on newspapers etc., issued by the Jammu and Kashmir Government and reaction of the Government thereto."

(अन्तर्बाधाएं)

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : आपने सदस्यों को बहुत ध्यानपूर्वक सूना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पर चर्चा की अनुमति दें।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : अध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना आपको पहले दी जा चुकी है और आप इस मामले में निर्णय करने में हफ्तों लगा रहे है, यदि किसी अविलम्ब लोक महत्व के विषय पर अविलम्ब चर्चा न की जाये तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, अध्यक्ष को कभी कभी देश में व्याप्त राजनैतिक स्थिति को भी ध्यान में रखना पडता है कि लोगों का ध्यान किन-किन मामलों की ओर अधिक जा रहा है और आपको ऐसे विषयों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इस सर्वोच्च निकाय में इस मामले पर चर्चा की जानी चाहिए। कश्मीर का यह मामला बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस लिए गृह मंत्री व आपसे मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर सदन में चर्चा करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : दो प्रश्न उठाये गये हैं पहला यह कि क्या इस पर बृहत् चर्चा होनी चाहिए अथवा नहीं। इस मामले को मैं कार्य मंत्रणा समिति के सक्षम निर्णयार्थ रखूंगा। इस मामले में निर्णय लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। नियम 184 है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सदन निर्णय ले सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : नियम 193 है।

अध्यक्ष महोदय : इसके बाद व्यवस्था का दूसरा प्रश्न है।

डॉ० सुशीला नायर (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, इसका निर्णय आप कीजिए कि इस पर ध्यानाकर्षण सूचना की अनुमति दी जाये अथवा बृहत् चर्चा की। दोनों चीजें नहीं हो सकती। यह गलत है कि कुछ लोग इस विषय पर इस समय अपनी राय व्यक्त करें और कुछ लोग बाद में जब उसी विषय को फिर से सामान्य चर्चा के रूप में उठाया जाये। आप एक निर्णय लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री की राय जानना चाहूंगा कि क्या इस विषय पर दो घंटे की चर्चा ठीक रहेगी ?

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर हम एक सामान्य चर्चा करेंगे।

Shri Kacharulal Hemraj Jain: Sir, I should be given the first opportunity to participate in the general discussion.

अध्यक्ष महोदय : जब सामान्य चर्चा होगी तो आपको उसमें भाग लेने का मौका दिया जायेगा।

केरल और पश्चिम बंगाल से सरकारी नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा विशेष जांच पड़ताल के बारे में गृह मंत्रालय का कथित परिपत्र

श्री चित्त बसु (बारासात) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर एक वक्तव्य दें :

"गृह मंत्रालय का कथित परिपत्र, जिसमें केरल और पश्चिम बंगाल से सरकारी नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा विशेष जांच पड़ताल कराना अनिवार्य किया गया है।"

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : केन्द्रीय सरकार में रोजगार के लिए उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों के सत्यापन के लिए अपनाए जा रहे मानदण्डों के सम्बन्ध में कुछ गलतफहमियों का निराकरण करने की दृष्टि से सितम्बर, 1967 में स्पष्टीकारक अनुदेश जारी किए गए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था थी कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी राजनैतिक विचारधारा के कारण ही नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझा जाना चाहिए और केवल ऐसे व्यक्तियों को ही केन्द्रीय सरकार में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त समझा जाना चाहिए जिनकी नियुक्ति होने पर, उनके निष्ठाहीन होने अथवा उनमें व्यक्त विश्वास के दुरुपयोग होने की सम्भावना है। इन अनुदेशों के अनुसार निम्न प्रकार के व्यक्तियों को रोजगार के लिए अनुपयुक्त समझा जा सकता था :—

(क) ऐसे व्यक्ति जो किसी गैर कानूनी घोषित निकाय अथवा संघ के, इसके अवैध घोषित किए जाने के बाद, सदस्य अथवा उससे सम्बद्ध हैं, अथवा रहे हैं; या

(ख) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने ऐसी किसी गतिविधि अथवा कार्यक्रम में भाग लिया हो, अथवा उससे सम्बद्ध रहे हों, —

(1) जिसका उद्देश्य संविधान का विध्वंस करना हो;

(2) जिसका उद्देश्य हिंसा सहित कानून का आयोजित रूप में भंग करना अथवा उसकी अवज्ञा करना हो;

(3) जिससे भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो; अथवा

(4) जो धर्म, वंश, भाषा, जाति अथवा समुदाय के आधार पर विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच शत्रुता अथवा घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देते हों।

2. इन अनुदेशों को साथ-साथ राज्य सरकारों को भी भेज दिया गया था, जिससे कि व जिला प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर सकें ताकि केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए पूर्ववृत्तों का सत्यापन किया जा सके। राज्य सरकार से सत्यापन कराने का उद्देश्य उन सभी संगत तथ्यों को निश्चित रूप से जानना है जिनका केन्द्रीय सरकार में रोजगार के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता पर प्रभाव पड़ता हो--इस मामल म अन्तिम निर्णय नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी पर निर्भर करता है।

3. केरल सरकार ने अप्रैल 1967 में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया था कि केरल में जिला कलेक्टरों के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वे केन्द्र के अधीन रोजगार चाहने वाले उम्मीदवारों को राजनीतिक सम्बद्धता के सम्बन्ध में तथ्य दे सकें। अक्तूबर 1967 में केरल सरकार को सूचित किया गया था कि राजनीतिक भेद-भाव की किसी भी सम्भव अस्पष्टता तथा आशंका को दूर करने की दृष्टि से ही संशोधित अनुदेशों को, जिन्हें मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, जारी किया गया था। केरल सरकार संशोधित अनुदेशों के बारे में भी शर्त रखती रही और इस सम्बन्ध में भी कोई संकेत नहीं था कि केरल सरकार ने जिला प्राधिकारियों को कोई निदेश जारी किए भी थे कि केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारियों के लिए संगत सूचना तैयार की जाए। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार ने निर्णय किया कि जहां तक सम्भव हो सके अपनी ही ऐजेन्सियों से उम्मीदवारों के बारे में संगत सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तदनुसार सितम्बर, 1968 में केन्द्रीय सरकार द्वारा यह अनुदेश जारी किए गए थे कि केरल के उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों के सम्बन्ध में किसी केन्द्रीय सरकारी ऐजेन्सी के जरिए पूरक सत्यापन कर लिया जाए।

4. पश्चिम बंगाल में वर्तमान सरकार द्वारा शासन सम्भालने के बाद, सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्ववृत्तों के पुलिस सत्यापन की प्रथा को बन्द कर दिया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, पिछले सितम्बर में ये अनुदेश जारी किए गए थे कि केन्द्रीय सेवाओं के लिए पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के सम्बन्ध में नियुक्तिकर्त्ता प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार की ऐजेन्सियों से पूरक सूचना मांग सकते हैं।

5. मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि केरल अथवा पश्चिम बंगाल के किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध किसी भी भेद-भाव का कोई प्रश्न नहीं है। केन्द्रीय सरकार की सेवा में रोजगार के लिए उपयुक्तता सम्बन्धी मानदण्ड सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होंगे, चाहे वे किसी भी राज्य से सम्बन्धित हों। केन्द्रीय सरकार केवल उम्मीदवारों के पूर्ववृत्तों के बारे में पूरी सूचना प्राप्त करना चाहती है और प्रत्येक मामले में यह निश्चय करना नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों का काम होगा कि क्या किसी उम्मीदवार के सम्बन्ध में सूचना ऐसी है जिससे कि वह नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त ठहराता हो। यदि राज्यों द्वारा इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो केन्द्रीय सरकार के पास अपनी निजी ऐजेन्सियों के जरिए सूचना प्राप्त करने के अलावा और कोई अन्य चारा नहीं रह जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब हमें यह सूचना दिया है कि जहां तक कि केन्द्रीय सरकार की सेवाओं तथा पदों पर रोजगार के लिए उम्मीदवारों का संबंध है, इस मामले में राज्य सरकार की निति का पूर्ववृत्तों के सत्यापन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः केन्द्रीय सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी।

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूं कि वक्तव्य में कुछ बातों को जानबूझ कर नहीं बताया गया है। जो तथ्य दिए गए हैं वे भी तोड़ मरोड़ कर दिए गए हैं। दोष पश्चिम बंगाल और केरल के मुख्य मंत्रियों पर थोपने का प्रयास किया गया है। जो परिपत्र नियुक्तिकर्ता प्राधिकारियों को भेजा गया था उसकी प्रति मेरे पास है। उससे यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिम बंगाल और केरल के उम्मीदवारों

[श्री बिस्त बसु]

की दो बार जांच पड़ताल की जाएगी। एक बार जांच पड़ताल जिला एजेंसियों के माध्यम से होगी और दूसरी बार केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा। इसका कारण यह बताया गया है कि केरल सरकार ने इस बारे में रोक लगा दी थी। मैं समझता हूं कि यह श्री नम्बूदरीपाद के समय में 1967 में हुआ था किन्तु इसके पश्चात् उन्होंने भी इसका भेदभाव के कारण विरोध किया था। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि पश्चिम बंगाल के मामले में ऐसा क्यों किया गया। क्या उन्होंने वहां के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी। क्या इस बारे में भेदभाव की नीति नहीं अपनाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह इसलिए किया गया है क्योंकि पश्चिम बंगाल और केरल के लोग राजनीति मे सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और वहां के लोकतंत्रीय आन्दोलनों में भाग लेते है। क्या उन्हें इसलिए केन्द्रीय सरकार की नौकरियों से वंचित किया जाएगा क्योंकि वे लोकतंत्रीय आन्दोलनों में भाग लेते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस निकर्ष पर कैसे पहुंची कि पश्चिम बंगाल और केरल के लोग देशभक्त नहीं है? मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसपर ध्यान दें अन्यथा इसके राजनैतिक परिणाम निकल सकते हैं।

श्री चरण सिंह : मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है चाहे वह पश्चिम बंगाल अथवा केरल का हो या किसी अन्य राज्य का। माननीय सदस्य सभा में अपने साथ पहले ही विचार ले कर आए थे तथा उन्होंने मेरा विवरण पढ़े बिना ही अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए थे। विवरण में कहां लिखा है कि हम भेदभाव करेंगे? भारत सरकार ने 1967 में जो मार्गदर्शन निर्धारित किया था किसी उम्मीदवार की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए वह सभी पर लागू होता है चाहे वह उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो। हमें सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल सरकार जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस प्राधिकारियों द्वारा ऐसी जांच पड़ताल करने को तैयार नहीं है। परन्तु 27 अक्तूबर को हमें पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो निर्णय लिया गया है वह राज्य की सेवाओं को प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों पर ही लागू होगा और केन्द्रीय सेवाओं के लिए उम्मीदवारों पर यह प्रथा लागू नहीं होगी। यदि यह बात है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम इस सम्बन्ध में केवल मुख्य सचिव को पत्र न लिख सके या प्रैस में वक्तव्य न दे सके। यदि केरल सरकार भी हमें आश्वासन दे दे कि वह अपने राज्य से केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों के बारे में आवश्यक सूचना प्राप्त कर लेगे तो हम इसका स्वागत करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सभा को स्थगित करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर के अध्यादेश के बारे में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक विवरण तैयार किया गया है। इसे सभा पटल पर रखा गया विवरण समझा जाना चाहिए। इसपर अब चर्चा नहीं होगी। इसपर तब चर्चा होगी जब हम सामान्य प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे।

जम्मू तथा काश्मीर सरकार द्वारा जारी किये गये लोक सुरक्षा अध्यादेश तथा इस पर सरकार की प्रतिक्रिया—जारी

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : सरकार को जम्मू तथा कश्मीर लोक सुरक्षा अध्यादेश, 1977 जो 29 अक्तूबर 1977 को उद्घोषित किया गया था के बारे मे शंकाओं की जानकारी है। ऐसी शंकाओं को समझा जा सकता है।

2. जम्मू तथा कश्मीर राज्य की सुरक्षा की अपनी विशेष समस्यायें हैं अत: राज्य सरकार को विशेष कानूनों तथा जम्मू तथा काश्मीर निवारक नजरबन्दी अधिनियम, 1964 जम्मू तथा कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 2003 तथा आपातस्थिति प्रावधान (जारी) अध्यादेश, 2003 तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत विस्तृत अधिकार है। इन अधिनियमों को मई, 1976 में समाप्त होने दिया गया था क्योंकि आपातस्थिति के दौरान राज्य सरकार को आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम तथा भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत इसी प्रकार के अधिकार उपलब्ध थे। आपातस्थिति के समाप्त किये जाने के छ: महीने बाद 27 सितम्बर, 1977 को भारत रक्षा तथा आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम समाप्त हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 250 के अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम भी लागू था अत: यह कानून भी उसी तारीख से प्राप्त हो गया। प्रतीत होता है कि नये अध्यादेश का उद्देश उस राज्य के बारे में उक्त कानूनों के समाप्त हो जाने से हुई खाई को घाटना है और अध्यादेश पूरी तरह उसकी विधायी सक्षमता के अनुसार है।

3. सामान्य शब्दों में यह अध्यादेश सरकार को समान अधिकार प्रदत्त करता है जो उनको उनके विशेष कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त थे और जो अब समाप्त हो गये हैं। कुछ मामलों में दण्ड कम कर दिये गये हैं। परन्तु प्रैस की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के मामले में नया कानून अधिक कठोर प्रतीत होता है जहा तक अध्यादेश की धारा 10 से उसका संबंध है जो उन प्रकाशनों को जिनमें प्रतिकूल समाचार छपे हैं को जब्त करने के अधिकार देता है, की किसी न्यायिक समीक्षा करने की व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार जम्मू तथा कश्मीर सुरक्षा नियमों के उपबन्धों की, की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अध्यादेश की धारा 11 सरकार को लोक व्यवस्था पर असर डालने अथवा डालने की संभावना रखने वाली साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय सौहार्द बनाये रखने के प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने के प्रयोजनों से राज्य के अन्दर ऐसे किसी प्रकाशन के परिचालन को रोकने अथवा किसी समाचार-पत्र, पत्रिका तथा प्रकाशन के आयात को रोकने अथवा उस पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए विस्तृत अधिकार प्रदान करता है।

4. हालांकि हम जम्मू और कश्मीर की विशेष आवश्यकताओं के प्रति सचेत है तथापि हम ऐसी स्पष्ट बूराई की अनदेखी नहीं कर सकते जिसके लिए आपातस्थिति के दौरान देश में अधिकार दिये गये थे जो अभी हमारे दिमाग में ताजा है। इसलिए अध्यादेश के कुछ उपबन्ध, विशेषरूप से वे जिनका सम्बन्ध प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने और बिना कारण बताये तथा सलाहकार मण्डलों को भेजे बगैर दो वर्ष की अवधि के लिए कुछ श्रेणी के व्यक्तियों को नजरबन्द करने के अधिकार देने से है, पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी।

5. अत: हमने जम्मू व कश्मीर सरकार का ध्यान अध्यादेश की इन अप्रिय बातों की ओर आकर्षित किया है और उनसे अध्यादेश के उपबन्धों का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा स्वाधीनता पर लगे प्रतिबंध सुरक्षा के विचारों के अनुरूप अधिक से अधिक तय किये जा सके।

श्री चित्त बसु: मैं जानना चाहता हूं ....

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के इस बयान को देखते हुए कि वह इसे वापिस ले रहे हैं ...

श्री चित्त बसु : क्या वह परिपत्र को वापस ले रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। वह परिपत्र को वापस ले रहे हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न् भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

(दो) केरल और पश्चिम बंगाल से सरकारी नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा विशेष जांच पडताल के बारे में गृह मंत्रालय का कथित परिपत्र—जारी.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने गृह मंत्री के भाषण को पूरे ध्यान से सुना है। जो विवरण सभा पटल पर रखा गया था मैंने उसे भी पढ़ा है। इसपर मैं कुछ एक बातें पूछना चाहूंगा क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

माननीय मंत्री जानते ही हैं कि पिछला शासन पुलिस का शासन था। मुझे आशा है कि वह उसे खत्म करने के लिए वचनबद्ध हैं। जहां तक परिपत्र का सम्बन्ध है मैं ने अध्यक्ष महोदय को लिखा है कि वह उसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दें। मैं तो यह कहूंगा कि गृह मंत्री से अनुरोध किया जाए कि वह 1967 से लेकर अबतक सरकार द्वारा जारी किए गए चारों आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखे। पहला आदेश 27 सितम्बर 1967 को जारी किया गया था। दूसरा आदेश 12 मई 1971 को जारी किया गया था तथा तीसरा अगस्त 1975 में। चौथा आदेश जिसका उल्लेख माननीय सदस्य, जो मेरे से पहले बोल रहे थे, कर रहे थे वह 19-9-77 को जारी किया गया था। यदि माननीय मंत्री का कहना है कि यह आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किया गया हैं तो सभा इसपर ध्यान दें सकती है। हम केवल यह जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था।

इसके पश्चात् सब से पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो द्वारा जांच करवाने की क्या जरूरत है? परिपत्र को पढ़ने से ऐसा आभास होता है कि ऐसा भेदभाव करने के लिए किया गया है। मैं तो समझता हूं कि यह दोनों राज्यों में वाम-मार्गियों के आन्दोलन की प्रबलता के कारण किया गया है। मैं सब पुलिसमैनों के बारे में तो नहीं कहता किन्तु कई मामलों में यह देखा गया है कि पुलिस ने उम्मीदवारों के बारे में अच्छी रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत मांगी है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी द्वारा दिए गए निर्णय की ओर भी आकृष्ट कराना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि यद्यपि सरकारी नौकरी सम्बन्धी मामलों में अवसर की समानता का अधिकार दिया गया है फिर भी ऐसा देखा गया है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कुछ नव-युवकों को इस आधार पर नौकरी नहीं दी गई है कि वह भारत के छात्र संघ का सदस्य था और उसको एक सक्रिय कार्यकर्ता था। इस तरह से कुछ उम्मीदवारों को पुलिस की जांच पड़ताल रिपोर्ट ठीक न मिलने के कारण प्रशिक्षण से निकाल दिया गया है। इसलिए मंत्री महोदय को यह देख लेना चाहिए। जो उन्होंने यहां कहा है ऐसी बात नहीं है तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी कुछ और ही करते है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्हें लोकतंत्र में विश्वास है परन्तु मैं कहता हूं कि उन्हें हमें समझाना होगा कि भारत एक स्वतंत्र लोकतंत्रीय देश है। मैं समझता हूं कि पुलिस द्वारा जांच पड़ताल करवाना अलोकतंत्रीय है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा परिपत्र जारी करने का भी विचार कर रहे हैं कि शिवसेना के सदस्यों को भी सरकारी नौकरी में नहीं लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने उन व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है जो साम्प्रदायिक दंगे तथा ज्यादतियां करते रहे हैं। हमने नहीं सुना है कि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

इसके पश्चात् मैं आनन्द मार्ग को लेता हूं। हम सब को इस संगठन की जानकारी है। मेरे पास भूतपूर्व गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण का लिखा हुआ पत्र है जिसमें यह लिखा है कि आनन्द मार्ग को अमरीकी साधनों से धन मिलता था। क्या सरकार ने ऐसा कभी कहा है कि आनन्द मार्ग से सम्बन्ध रखने वाले लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। आनन्द मार्ग के लिए काम करने वाले लोगों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन कभी नहीं किया जाता है। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि सरकार को साढ़े तीन लाख रुपये वापस नहीं किए गए थे तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी नहीं चाहती थी कि वह धन वापस लौटाया जाए। अतः आनन्द मार्ग को सरकारी धन प्राप्त होता था। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री प्रसाद की पुत्री के विवाह में गई थी। श्री प्रसाद आनन्द मार्ग के एक मुख्य नेता थे। इसी प्रकार श्री के० सी० पन्त भी आनन्द मार्गियों के मुखियों को रांची में मिल थे। नन्दा जी ने भी ऐसा प्रयास किया था। आनन्द मार्गी विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के कर्मचारियों पर बम फैंक रहे हैं। उन्हें विदेशों में जाने के लिए कैसे पासपोर्ट दिए गए। पुलिस उस समय क्या कर रही थी। अतः पुलिस द्वारा जांच पड़ताल कराना असन्तोषजनक और अनुचित है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बातों को देखते हुए गृह मंत्री इस परिपत्र को वापस लेने के लिए और पुलिस द्वारा जांच पड़ताल कराने की व्यवस्था को बन्द करने के लिए तुरन्त आदेश देंगे।

श्री चरण सिंह : मैं समझता हूं कि इस परिपत्र को जारी करना आवश्यक था। अब मैं इसे वापस लेता हूं इसलिए नहीं कि इस की कोई जरूरत नहीं है बल्कि इसलिए क्योंकि राज्य सरकार अब कहती है कि उसकी पूर्ववृत्तों के सत्यापन की नीति केवल उन उम्मीदवारों पर लागू होगी जो राज्याधीन सेवा प्राप्त करना चाहते हों न कि केन्द्र के अधीन। अतः हमारा परिपत्र भी अब अनावश्यक हो जाता है और इसलिए इसे वापस लिया जाएगा। जहां तक केरल का सम्बन्ध है इसे तब वापस लिया जाएगा जब केरल की सरकार हमें इस बारे में सूचना दे देगी तथा कुछ और भी जानकारी दे देगी जो हम पूछना चाहेंगे। यदि वह ऐसा नहीं करेगी तो हमें अपने साधनों से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।

माननीय सदस्य ने एक प्रश्न यह पूछा था कि क्या जांच पड़ताल कराना आवश्यक है। मैं समझता हूं कि वह यह जोश में कह गए हैं। वह चाहे कुछ भी कहें हम यह नहीं कह सकते कि नौकरी पाने के लिए हर एक नवयुवक उपयुक्त है। चाहे उसने मौखिक अथवा लिखित परीक्षा पास कर ली हो। यह जानने के लिए कि किसी उम्मीदवार को कोई रोग तो नहीं है उसकी डाक्टरी जांच कराना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से यह जानने के लिए कि किसी व्यक्ति को मानसिक रोग तो नहीं है उसकी डाक्टरी जांच कराना आवश्यक होता है। हम समझते हैं कि जो लोग हिन्साात्मक कार्य करते हैं उनको मानसिक रोग है। अतः क्या ऐसे लोगों को नौकरी में लिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि श्री बसु इसका समर्थन नहीं करेंगे। अतः किसी की उपयुक्तता देखने के लिए कोई न कोई कसोटी तो अपनानी ही पड़ेगी। हम इस कसौटी को बदल सकते हैं लेकिन कसौटी आवश्य ही निर्धारित की जानी चाहिए।

दूसरा प्रश्न उन्होंने यह किया था कि पुलिसमैन जिम्मेदार नहीं होते हैं और उन्हें रिश्वत दी जा सकती है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से तो रिश्वत किसी को भी दी जा सकती है जहां तक कि रिश्वत राजनीतिज्ञों को भी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रमाणपत्र जोलाधीश को देना होता है। अतः जिम्मेदारी जिलाधीश की होती है न कि पुलिस की।

तीसरा प्रश्न उन्होंने यह किया था परिपत्र जारी करने के लिए कौन उत्तरदायी है। आजकल गृह मंत्रालय के नाम से जो भी परिपत्र जारी किया जाता है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं।

Shri Vijay Kumar Malhotra (South Delhi): Mr. Deputy Speaker, Sir, on the question raised and the clarification given by the Hon. Minister it becomes quite clear that the people of West Bengal and Kerala have not been discriminated against and are treated at par with the people of other States. He has made it clear that no candidate is denied service on the ground that he was associated with any students federation or students body.

At present anti-national elements are so active in our country that they want to create such situations in the country as warrant the necessity of emergency here. They also want to push through such elements in strategic points of Government so that they may create chaos in the country from within. So the Government should be well aware of it.

I understand that the previous Government had misused this circular and they did not allow their political opponents to come in Government service. But today political affiliation should not be taken into consideration. I am also one with Mr. Jyotirmoy Bosu that before taking anybody into Government service it should be seen that he does not have extra-territorial loyalty.

Even now the collaborators of emergency are flourishing at their own places and are sabotaging the whole system from within. It was one of the recommendations in the report of Kuldip Nayar Committee that the persons who had misconducted in regard to the Press an inquiry should be instituted against them. But no enquiry has been instituted so far. The Government should be well aware of the old caucus or big businessmen who are trying to do sabotage in the country.

The previous Government had appointed some lawyers as Government prosecutors on the recommendations made by the youth congress and they were the persons who were launching emergency propaganda. Unfortunately some of them have again been appointed as Government prosecutors in some Government agencies. How can such persons plead our cases? Therefore we should be well aware of such persons.

I therefore feel that instead of withdrawing this circular this should be made more stringent.

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय सत्यापन इतना सरल नहीं है जितना कि मंत्री महोदय ने बताया है। वास्तव में इसमें भी राजनीतिक भेदभाव बरता जाता है। पुलिस द्वारा प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट देने से केरल के केवल कन्नानूर और कालीकट जिलों के 5,000 लोगों को रोजगार से वंचित किया गया है। केरल सरकार ने पुलिस सत्यापन पर एतराज किया है, क्योंकि यह इस राज्य के शिक्षित युवकों के हितों के विरूद्ध है।

मुझे इस बात में प्रसन्नता है कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह इसके लिए निर्धारित किए जाने वाले मानदण्ड पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मेरे विचार में तो केन्द्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों के केवल पूर्ववृत्त पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। केरल और पश्चिम बंगाल में इस तरह के जो मामले हुए हैं उन पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और मेरा सुझाव यह भी है कि इस सभा की एक समिति इन मामलों की जांच करे।

दूसरी बात यह है कि 1967 से समूचे देश में राज्यवार जो ऐसे मामले हुए हैं उनकी एक सूची सभा में रखी जाए और यदि ऐसा करना संभव न हो तो मंत्री महोदय जानकारी एकत्र करके सभा को बतायें।

श्री चरण सिंह : मुझे खेद है कि बहुत पहले जो ऐसे मामले किसी राज्य में हुए हैं उनका पुनरीक्षण करना संभव नहीं होगा। मैं सभा को यह भी बता दूं कि इस तरह के मामले बहुत ही कम हैं। हम इस परिपत्र पर कार्यवाही जारी रखेंगे और पूर्ववृत्तों की

[श्री चरण सिंह]

जांच कराते रहेंगे । किसी विशेष दल का सदस्य होने के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं बरता गया है। केवल उन संगठनों के सदस्यों को ही सरकारी सेवा में आने से अयोग्य ठहराया गया है जो हिंसा, संविधान को नष्ट करने और सरकार का तख्ता पलटने में विश्वास रखते हैं। केरल और पश्चिम बंगाल से इतनी अधिक संख्या में ऐसे मामलों का पुनरीक्षण करना न तो संभव हो है और न बतायी गयी संख्या सही ही हो सकती है।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : पश्चिम बंगाल में सत्यापन कार्य पुलिस को सौंपा गया है और कांग्रेसी-लोगों की इस राज्य में कोई नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो क्या आप इस बारे में संरक्षण प्रदान करेंगे। राज्य में भेदभाव बरता जा रहा है। यदि आप इस बारे में कोई कदम नहीं उठायेंगे तो इसका उपचार क्या होगा ? भरती सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। मान लीजिए कुछ लोगों की सहानुभूति कांग्रेस जैसे कुछ राजनैतिक दलों से है तो आप नौकरियों में भरती और सत्यापन के मामले में उन हजारों युवकों के हितों को कैसे संरक्षण प्रदान करेंगे जो राज्य में रोजगार प्राप्त करना चाहते है ? क्या आप इस मामले में कुछ आश्वासन देंगे ?

श्री चरण सिंह : माननीय सदस्य ने प्रस्ताव से सम्बन्धित कोई बात नहीं कही है।

श्री के० लकप्पा : मैंने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आधार पर रोजगार के मामले में कुछ लोगों के साथ भेदभाव किए जाने के बारे में कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक विशेष परिपत्र पर चर्चा कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी कहा है, उसका परिपत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE
तेरहवां प्रतिवेदन

श्री गौरी शंकर राय (गाजीपुर) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखापरिक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) राजस्व व प्राप्तियाँ, खण्ड 1, संघ उत्पाद शुल्कों से सम्बन्धित अप्रत्यक्ष करों सम्बन्धी पैराग्राफों पर लोक लेखा समिति का तेरहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, मताधिकार आयु कम करने आदि के बारे मे याचिका
PETITION *RE.* UNEMPLOYMENT, PRICE-RISE, LOWERING OF VOTING AGE, ETC.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (कन्नानूर) : मैं बेरोजगारी मूल्यवृद्धि, मताधिकार आयु कम करने, काम के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने, शैक्षिक सुधारों और हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर अत्याचारों के बारे में श्री अमरेन्द्रनारायण सिन्हा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं 5 दिसम्बर, 1977 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं। इस सप्ताह के लिए सरकारी-कार्य इस प्रकार होगा :-

(1) आज की कार्यसूची के स्थगित सरकारी-कार्य के किसी मद पर विचार।

(2) रेल अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प पर चर्चा।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 1977 पर विचार तथा पास करना।

(4) 1977-78 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगो (सामान्य) पर चर्चा तथा मतदान।

(5) राज्य सभा द्वारा पास किए गए रुप में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पास करना।

(क) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1977

(ख) बेतवानदी बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1977

2. निम्नलिखित मदों के लिए जाने का भी प्रस्ताव है :—

(क) दो गम्भीर रेल दुर्घटनाओं पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव पर सोमवार, 5 दिसम्बर 1977 को आग चर्चा।

(ख) फरक्का में गंगा के जल के बटवारे सम्बन्धी बंगलादेश के साथ हुए समझौते पर मंगलवार 6 दिसम्बर, 1977 को चर्चा।

(ग) पूर्वी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन सम्बन्धी प्रस्ताव पर बुधवार, 7 दिसम्बर, 1977 को 3.30 बजे म०प० पर चर्चा।

(घ) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के लापता होने सम्बन्धी जाँच आयोग के प्रतिवेदन पर गुरुवार, 8 दिसम्बर, 1977 को आगे चर्चा।

(ङ) देश के विभिन्न भागो में हाल की बाढ़ पर गुरुवार, 8 दिसम्बर, 1977 को चर्चा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गाँधीनगर) : मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि शिक्षा मंत्री अगले सप्ताह एक वक्तव्य दें कि भारत में यात्रा कर रहे रूस के बोलशोई बैलेट कि जो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में जाएगा, अहमदाबाद में आने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गयी जब कि अहमदाबाद में एक बेहतर सुसज्जित नाटयशाला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से मिलकर इस मामले को निपटा लेते।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य दें।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

काफी बोर्ड

Minister of State in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Shri Krishna Kumar Goyal): Mr. Deputy Speaker, I beg to move with your permission.

"That in pursuance of sub-section (2) (b) of Section 4 of the Coffee Act, 1942, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from among themselves to serve as members of the Coffee Board, subject to the other provisions of the said Act."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि काफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उपधारा (2) (ख) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन काफी बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

लोकपाल विधेयक
LOKPAL BILL

संयुक्त समिति म सदस्यों की नियुक्ति

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा जनसेवकों के विरुद्ध अवचार के अभिकथन की जाँच करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति से सर्वश्री एस०डी० सोमसुन्दरम, चाँद राम और आरिफ बेग द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर सर्वश्री राघवालू, मोहनरंगम, दौलत राम सरन और हुकम देव नारायण यादव को नियुक्त करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा जनसेवकों के विरुद्ध अवचार के अभिकथन की जांच करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति से सर्वश्री एस०डी० सोमसुन्दरम, चाँद राम और आरिफ बेग द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर सर्वश्री राघवालू, मोहनरंगम, दौलत राम सरन और हुकुम देव नारायण यादव को नियुक्त करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

कार्यमंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

आठवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के आठवें प्रतिवेदन से, जो 1 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1977-78
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL)—1977-78

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : मैं वर्ष 1977-78 के लिए बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपरक माँगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं ।

नियम 377 के अधीन मामले
MATTER UNDER RULE 377

(एक) सरसों के तेल में तोरिया के तेल की कथित मिलावट करने और उसे बहुत अधिक मूल्यों पर बेचे जाने और वनस्पति में हानिकारक तेलों और चर्बी के मिलावट करने का कथित समाचार ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हाबर) : आयातित तोरिया के तेल की सरसो के तेल में मिलावट की जा रही है और इसे बहुत अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है ।

इसके अतिरिक्त वनस्पति में हानिकारक तेलों और चर्बी की मिलावट की जा रही है ।

वाणिज्य और स्वास्थ्य मंत्रियों से इसे गंभीर मामले पर वक्तव्य देने के लिए कहा जाए ।

(दो) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा राशि को वापस लौटाये जाने की मांग

Shri Manohar Lal (Kanpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, on June 25, 1975 Smt. Indira Gandhi proclaimed emergency in the country. A compulsory Deposit Scheme was introduced for workers and they were also deprived of bonus. Since the Janata Party has come to power, C.D.S. has been scrapped and bonus right has also been restored but some conditions have been imposed on the payment of money deposited under C.D.S. as a result of which employees are facing great difficulty and the corruption is on the increase. I would, therefore, request the Government to make a statement for removal of these conditions so as to remove great discontentment among the employees and ensure payment of the money deposited under C.D.S.

(तीन) चम्बल घाटी में डाकुओं का आतंक

Shri Chhabiram Argal (Morena): Mr. Deputy Speaker; Sir, under rule 377 I would like to draw the attention of the House to the dacoit menace in Chambal Valley.

On 4-11-1977 in village Raipura, in District Morena dacoits committed a dacoity. One woman was shot dead on the spot by them and many others were injured.

On 5-11-1977 a dacoity was committed in Kishorgarh in which dacoits looted goods worth Rs. 1 lakh. On 6-11-77 dacoits looted a truck on Jira Morena Road. A dacoity was also committed near Indraganj thana and one man was shot dead there.

Thus many such incidents are taking place. Immovable properties of Harijans and Adivasis are being looted.

Concrete steps should be taken to end the dacoit menace for ever and Chambal and other ravine land should be levelled and a scheme should be formulated in this regard.

(चार) अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल्स लिमिटेड के बन्द किये जाने के परिणाम स्वरूप 1700 से अधिक श्रमिकों का बेरोजगार होना

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : अहमदाबाद लक्ष्मी काटन मिल कई महीनों से बंद पड़ी है जिसके परिणामस्वरूप 1,700 से अधिक कर्मचारी बेकार हो गए है । इस तरह से स्थिति बड़ी गंभीर है । इनके परिवारों को कोई सहायता नहीं दी जा रही है । अत: मैं उद्योग और वाणिज्य मंत्रियों का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरा अनुरोध है कि इस मामले की शीघ्र छानबीन की जाए । केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार दोनों को मिलकर इस मामले की जांच करनी चाहिए और कोई कदम उठाना चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा । इस मिल के कर्मचारियों को इस वर्ष बोनस भी नहीं मिला है । अत: इस मिल को शीघ्र चालू किया जाए जिससे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को शीघ्र राहत मिल सके ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

आठवां प्रतिवेदन

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आंठव प्रतिवेदन से, जो 30 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के आँठवें प्रतिवेदन से, जो 30 नवम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

मनाफाखोरी निवारण और कीमत नियंत्रण विधेयक
PROFITEERING PREVENTION AND PRICE CONTROL BILL

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने और ऐसी वस्तुओं में मुनाफाखोरी निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने और ऐसी वस्तुओं में मुनाफाखोरी का निवारण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० लकप्पा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

व्यवसाय संघ (मान्यता) विधेयक
TRADE UNIONS (RECOGNITION) BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker; Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the procedure for recognition of Trade Unions."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यवसाय संघ को मान्यता देने की प्रक्रिया का उपबन्ध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

घरेलू कर्मकार (सेवा की दशा) विधेयक
DOMESTIC WORKERS (CONDITIONS OF SERVICE) BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjan) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the fixation of wages and for improvement of working conditions of domestic workers."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि घरेलू कर्मकारों की मजदूरी के नियतन के लिए तथा उनकी दशा में में सुधार करने का उपबन्ध करने वाले विधयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 74 और 163 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLES 74 AND 163)

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

भूख से मृत्यु (पूर्वाविधानी उपाय और उत्तरदायित्व) विधेयक

STARVATION DEATHS (PRECAUTIONARY MEASURES AND RESPONSIBILITIES) BILL

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjan): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to to move for leave to introduce a Bill to provide for precautionary measures by village and district authorities to avoid starvation deaths and for responsibilities therefor.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भूख से मृत्यु न होने देने के लिए और इस सम्बन्ध में उत्तरादायित्व के लिए ग्राम एवंम् जिला प्राधिकारियों द्वारा पूर्वाविधानी उपायों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Hukam Chand Kachwai : I introduce the Bill.

शराब (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) विधेयक

LIQUOR (REGULATION OF PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) BILL

Shri Chaudhury Ram Gopal Sngh (Bilhaur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain restrictions in relation to trade and commerce in and production, supply and distribution of, liquor and for matters connected therewith or incidental thereto.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शराब के व्यापार और वाणिज्य और उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरन के सम्बध में कतिपय निबंधनों का और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करनेवाले विधेयक को पूर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Chaudhury Ram Gopal Singh: I introduce the Bill.

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक (धारा 2, 17 आदि का संशोधन)
INDIAN MEDICINE CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF SECTION 2, 17 ETC.)

Dr. Laxminarayan Pandeya (Mandsaur): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the Indian Medicine Central Council Act, 1970."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

Dr. Laxminarayan Pandeya: I introduce the Bill.

जातपात के उपदर्शन का प्रतिषेध विधेयक
PROHIBITION ON INDICATION OF CASTE BILL

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि नाम के साथ जाति, धर्म, समुदाय या प्रदेश आदि उपदर्शित करने के प्रतिषध का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाम के साथ जाति, धर्म, समुदाय या प्रदेश आदि उपदर्शित करने के प्रतिषेध का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री डी० डी० देसाई : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 23क, 23ख और 23ग का अन्तःस्थापन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (INSERTION OF NEW ARTICLES 23A, 23B AND 23C)

Shri Y. P. Shastri (Rewa): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Y. P. Shastri: I introduce the Bill.

भारतीय सामाजिक विषमता उन्मूलन, विधेयक

INDIAN SOCIAL DISPARITIES ABOLITION BILL

Shri Roop Nath Singh Yadava (Pratapgarh): Mr. Deputy Speaker, Sir, beg to move for leave to introduce a Bill to provide for abolition of social disparities, casteism and removal of educational, social and economic backwardness of Harijans, Girijans and other backward classes.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सामाजिक विषमताओं और जातिवाद का उन्मूलन करने तथा हरिजनों, गिरिजनों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Roopnath Singh Yadava : I introduce the Bill.

संविधान संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 80 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 80)

Shri Om Prakash Tyagi (Bahraich): Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend article 80 of the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri Om Prakash Tyagi : I introduce the Bill.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (आदेश XVII का संशोधन)
CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ORDER XVII)

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री निर्मल चन्द्र जैन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 352 का संशोधन)
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 352)

श्री चित्त बसु (बारासात) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन) (श्री० पी० के० देव द्वारा)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL (AMENDMENT OF ARTICLE 124) BY SHRI P. K. DEO

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री पी० के० देव द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया या मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित नहीं है । यह पूर्णत: राष्ट्रपति के विवेक पर छोड दिया गया है । और हमारी प्रणाली के अनुसार मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति वास्तव में देशकी कार्य-पालिका द्वारा ही की जाती है ।

मैंने अपने विधेयक में यह सुझाव दिया है कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा पर शर्त यह है कि उसने उक्त न्यायालय में कम से कम दो वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में काम किया हो । स्पष्ट है कि इसके लिए अनुच्छेद 124 का संशोधन करना होगा । यह सभी जानते हैं कि पिछली सरकार ने न्यायाधीशों की वरिष्ठता की किस प्रकार उपेक्षा की थी जिसके कारण सारे देश में तहलका मच गया था ।

गत बहस के दौरान चौदहवें विधि आयोग की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया । आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 'सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति' की नियुक्ति का सुझाव दिया है । इस उपयुक्तता से उसका आशय उस उपयुक्तता से नहीं था जिसका पिछली सरकार ने इस्तेमाल किया । आयोग का वास्तव में यह आशय था कि न्याय, प्रशासन और निष्पक्षता की दृष्टि से जो व्यक्ति सर्वाधिक उपयुक्त हो वही न्याय-धीश के पद पर नियक्त किया जाना चाहिए । स्पष्ट है कि आयोग ने जिन मानदडों की सिफारिश की है उनसे न्यायाधीशों की वरियता की उपेक्षा न करने का सब से अच्छा मासला बनता है ।

मुख्य न्यायाधीश का चयन कार्यपालिका के दृष्टिकोण से नहीं किया जाना चाहिए । भारत सरकार पर देश में सब से अधिक संख्या में मुकदमे चल रहे हैं और यदि जिस पक्ष पर मुकदमे चल रहे हैं वही न्यायाधीशों का चयन करेगा तो निश्चित ही देश में न्यायपालिका का अन्त हो जाएगा । न्यायपालिका का कतव्य संविधान का निवचन करना और उसे बनाए रखना है । वह सरकार के प्रति वचनबद्ध नहीं हो सकती । अभी हाल में ही न्यायमूर्ति देसाई की नियुक्ति को लेकर काफी सरगर्मी रही । महा-न्यायवादी, सोलिसिटर जनरल तथा अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल ने शपथ-ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया । अत: इस प्रकार के विवाद से बचने की दृष्टि से अब हमें संविधान में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत शामिल करने चाहिए । इसे राष्ट्रपति के स्वविवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वह परिषद् की सलाह पर कार्य करते हैं । वरोयता मातृत्व की भांति एक तथ्य है जबकि योग्यता पितृत्व की तरह एक संदिग्ध प्रश्न है । आशा है कि विधि मंत्री इन सब तथ्यों को ध्यान में रखेंगे और संविधान में कोई कमी नहीं रखगे । इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए ।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur) : The Bill moved by Shri P. K. Deo regarding appointment of the Chief Justice of the Supreme Court is very significant in view of the suppression of three eminent judges of the Supreme Court in 1973. A tendancy of dictatorship had been developing in the country during the past ten years. So the principle of committed judiciary was followed. A very pertinent question has been posed as to whether the criterion of seniority for the appointment of Chief Justice should be accepted. But in agreement with the suggestion of the Law Commission, we should not accept this criterion.

According to the Law Commission in incumbent for the post of Chief Justice of Supreme Court must also be a competent administrator an independent thinker and a person of towering personality. Along with their conditions, if he also fulfils the conditions of seniority, he deserves appointment as Chief Justice. There cannot be any more objective criterion than seniority. Nevertheless, the appointment of the Chief Justice of India should not remain a subject matter of fancy or whims of the executive. I, therefore, suggest that the Chief Justice of India should be appointed as a result of concensus among the President, ex-Chief Justice of the Supreme Court and the Speaker of Lok Sabha. I would, therefore, request Shri Deo not to insist on seniority alone. The three persons I have mentioned above who are of proven integrity will be able to determine the capability, sturdy independence, etc. I hope he will accept the suggestion made by me.

श्री पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि इसके माध्यम से हमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व के विषय में चर्चा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में हमारे देश में 1973 से चर्चा चल रही है जबकि तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों को उपेक्षा करके एक दूसरे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।

पर प्रश्न यह है कि यदि केवल वरीयता को ही मापदण्ड मान लिया जाये तो इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यह केवल लोकतांत्रिक देशों का ही कठिनाई नहीं है अपितु अन्य देशों को भी है। मैं मानता हूं कि इस नियुक्ति में राजनीति को बू तक नहीं होनी चाहिए। श्री देव का सुझाव यह है कि वरीयता के अलावा अन्य सभी मापदण्ड ठोस और विशिष्ट नहीं हैं और उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की पद्धति सबसे सरल और सुरक्षित है। पर यदि हम इस सिद्धांत को मान लेते हैं तो हम न्याय, शिक्षा, प्रशासन और राजनयिक क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाएंगे। अतः मैं श्री देव के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि वरियता ही एक अच्छा मापदण्ड है और अन्य सभी मापदण्ड असंगत हैं जिनका प्रभावित कारगर और पुष्ट नहीं है। प्रतिभावान व्यक्ति का खोज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लोग स्वयं ही इसको खोज कर लेंगे।

[**श्री द्वारिकानाथ तिवारी** पीठासीन हुए।
SRI D. N. TIWARY *in the Chair*]

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायपालिका में ऐसे लोगों को स्थान मिले जिन्हें कानूनी ज्ञान का अच्छा अनुभव है। पर जिस कार्यक्रम को वह लोकतांत्रिक, संसदीय और संवैधानिक तरीकों से अमल में लाना चाहती है उसमें महत्वपूर्ण न्यायाधीशों की मनोवृत्ति तथा सामाजिक, राजनीतिक और वर्गगत पृष्ठभूमि को आड़े नहीं भरने दे। यदि सरकार लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध है, तो उसे ऐसी भावना पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे यह महसूस हो कि वह काम जल्दबाजी में या अधूरे और असमुचित या थोड़े से लोगों से परामर्श के आधार पर कर रही है। विधि मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि अभी हाल में उच्चतम न्यायालय के जिन दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई उससे देश में कुछ सरगर्मी दिखाई पड़ी थी। कुछ विधिवेता और वकील तो यहां तक नाराज थे कि उन्होंने शपथ-ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया। अतः उसे ऐसा भी कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ पक्षपात किया गया है। मेरे विचार में पीछे यह जो कुछ हुआ वह प्रक्रिया के विरुद्ध आक्रोश था।

[श्री० पी० जी० मावलंकर]

मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले में सतर्कता से काम ले। यह पूर्णत: सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को आंच न आये और जनता में इस सम्बन्ध में आस्था और विश्वास बना रहे। आशा है कि विधि मंत्री इस बारे में आश्वासन देंगे कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इस नियुक्ति को राजनितिक रंग नहीं देगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की विधि का प्रश्न उठाया गया है। पर इसका निदान क्या है? क्या वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर समस्या का समाधान हो जाएगा। आज न्यायाधीशों की नियुक्तियां सिफारशी के आधार पर होने लगी हैं। इस विधेयक को लाने में 1973 की घटनाओ ने माननीय सदस्य को यह विधेयक पेश करने की प्रेरणा दी है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति योग्यता आधार पर नहीं की गई थी। मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि वह योग्य नहीं थे, पर तीन न्यायाधीशो को छोड देने से जनता में असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। यह इसलिए किया गया कि इन तीन जजों द्वारा दिये गए निर्णय तत्कालीन सत्ता के कर्णधारों को पसन्द नहीं थे। उस समय हमने कहा था कि वरियता को उपेक्षा किन्हीं कारणो से प्रेरित होकर की गई है। इस नियुक्ति के बाद लोगों के दिमाग में यह धारणा बन गई है कि मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति में सौदेबाजी की जा सकती है या इस पद को उस व्यक्ति को दिया जा सकती है जो देश को सरकार के हितो का रक्षक हो। यही कारण है कि हाल की नियुक्तियों के सम्बन्ध भी में इसी प्रकार की बातें कहीं गई। पर 1973 में जो हुआ और आज जो हुआ है उसकी तुलना नहीं की जा सकती।

प्रश्न यह है कि क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का नियुक्ति में बार एसोशियेशनो की राय जानना जरूरी है। अच्छा है कि उनको विश्वास में लिया जाए। अमरीका में वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जाता। उसका नियुक्ति सरकार का विशेषाधिकार है। केवल वरीयता को ही मानदण्ड मान लेना इस समस्या का समाधान नहीं है। मैं श्री देव के विचारों से पूर्णत: सहमत नहीं हूं पर मैं उसकी भावना की प्रशंसा करता हूं।

महत्वपूर्ण यह है कि सरकार यह आश्वासन दे कि वह एक स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण करेंगी और उसे बनाए रखेंगी। अगर जनता को यह विश्वास हो जाएगा कि सरकार एक सशक्त न्यायपालिका स्थापित करने के हक में है तो उसको शंका मिट जाएगी। साथ ही न्यायाधीशों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए तभी योग्य व्यक्ति इस व्यवसाय की ओर आकृष्ट होंगे।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोतानी) : विधेयक का सार यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरोयता के आधार पर होनी चाहिए। न्यायालयों की स्वतन्त्रता को बनाये रखना और उसे दृढ बनाना ही मुख्य विषय है। भाग्यवश हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत ऊंचे दर्जे की है। हमें इसके स्तर को न केवल बनाये रखना है बल्कि उसे और उन्नत बनाना है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और न्यायिक स्वतन्त्रता का प्रश्न 1973 में न्यायाधीशों की वरोयता के उल्लंघन के बाद पदा हुआ। मैं यह समझता हूं कि तब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वरीयता के आधार पर की जाती थी परन्तु 1973 में वरीयता के उल्लंघन से न्यायपालिका के लिए खतरा पैदा हो गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सरकार के विवेक पर नहीं की जा सकती—इस पर दो राय नहीं है। मैं समझता हूं कि नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है किन्तु संविधान में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को न केवल मंत्रिमण्डल की सलाह लेना है किन्तु वह मंत्रिमण्डल की सलाह से भी बाध्य हैं। अर्थात् भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मंत्रिमण्डल अथवा कार्यपालिका द्वारा की जाती है। यह एक अवांच्छनीय स्वरूप है और सबसे पहले इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

इस सारे प्रश्न में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि एक परम्परा होनी चाहिए अर्थात् भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में एक ऐसी परम्परा होनी चाहिए जिसके पीछे कानूनी स्वीकृति हो और दूसरी बात यह है कि हम यह निश्चित करना है कि यह परम्परा क्या होनी चाहिए। जहां तक पहली बात का सम्बन्ध है इस बारे में दो राय नहीं हैं। जहां कोई परम्परा नहीं है वहां सरकार को निरंकुश शक्ति आ जाती है। मेरा यह दृढ विचार है कि सरकार का मुख्य न्यायाधीश ही नहीं अपितु अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई सम्बन्ध नही होना चाहिए। सरकार सबसे बड़ी वादी है और एक वादी को न्यायाधीश का चयन करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। अतः मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में स्वस्थ नियम होने चाहिए। जब तक न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार का विवेक है तब तक हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता से दूर हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में परम्परा पर सभा के लगभग सभी वर्गों का सहमति है। परम्परा के बारे यहां कुछ मत-भेद है। श्री पी० के० देव चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरे सुदस्यों ने भिन्न सुझाव दिये हैं। कहा गया है कि वरिष्ठता ही एकमात्र कसोटी नहीं होनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए न केवल विधि की उच्च योग्यता ही चाहिए बल्कि प्रशासनिक योग्यता भी चाहिए। इसीलिए वरीयता ही एक मात्र कसोटी नहीं होनी चाहिए। अतः चुनाव की बात आ जाती है।

मैं समझता हूं कि यह एक भ्रम है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कानूनी और प्रशासनिक दोनों प्रकार की योग्यता देखी जाती है। उच्चतम न्यायालय में मेधावी व्यक्ति न्यायाधीश होते हैं। अतः मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए वरीयता ही कसोटी होनी चाहिए। किन्तु विश्व के किसी भी देश में वरीयता को ही एकमात्र कसोटी नहीं माना जाती है। भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न परम्पराएं हैं। मेरे विचार से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सबसे अच्छी परम्परा होगी।

किन्तु केवल परम्परा बनाने से काम नहीं चलेगा। इस परम्परा के लिए कानूनी स्वीकृति और व्यवस्था की आवश्यकता है। यद्यपि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में मत-भेद हो सकता है किन्तु विधि मंत्री महोदय से इस बार में स्पष्ट आश्वासन मिलना चाहिए। संविधान में भी इस बारे में निर्देश होने चाहिए।

Chowdhry Balbir Singh (Hoshiarpur): Mr. Chairman, Sir, Shri Dev has raised an important issue. We are happy that highest elected body in the country has been given an opportunity to discuss this matter. The condition of the Courts is pitiable. Cases are pending there for more than 15 years and some times the persons are not able to get justice during their lifetime. Secondly, it has become two costly to go to the Courts. Those who are able to spend

[Chaudhry Balbir Singh]

more can only get justice. We have to see as to how we can ensure justice to poor and ordinary man. That is why we are discussing the matter of appointment of the Chief Justice of India in this context. The point is as to how the judges should be appointed so that these ills can be put to an end.

During the emergency the judges of Supreme Court started to make publicity of the social philosophy of Government and asked other judges also to study the social philosophy. The question arises as to what is social philosophy. Now they should be asked as to what philosophy they would propogate and whether the judiciary should play to the time of the contemporary Government.

Today Government, politics and money play an important role in influencing justice in our country. I think the Hon'ble Minister should constitute a committee comprising of the eminent congress and public representatives to go into all these points. The main point is not to prescribe the mode of appointment of Chief Justice of India or to decide whether the appointment should be made on the basis of seniority or not but the main thing is to enable the ordinary citizen quick and cheap justice.

Shri Nirmal Chandra Jain (Seoni): Mr. Chairman, Sir, all the members have supported the spirit of the bill and I also fully support it.

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए
Shri DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

I remember the hue and cry raised in 1973 against the supercession of three judges of Supreme Court. Most of the persons, now in Janata Party had protested that, Bar Council, High Court Bar Association and District Bar Association had also protested against that. It was stated the convention of appointing the senior most judge as the Chief Justice of India should be maintained. Some are of the view that the convention should be maintained and there should be no law for that. But a departure has often been made from the convention. Whatever has been done during the emergency should now be undone. But it is not sufficient to have conventions. We should have no objection to having legal provision. Instances of the convention in other countries have been cited. But we have our own philosophies and mode of doing things. We should take lessons from the past and see that the same mistakes are not repeated again.

The main point in the Bill is the appointment of Chief Justice of India. There should be no practice of giving reward. In the interest of justice, administrative talent and smooth functioning the senior most judge should be appointed the Chief Justice of India. The practice of selection should be put to an end. With these words I support the Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : इस विधेयक तथा इस पर दिये गये विभिन्न भाषणों में अन्तर्निहित भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं तथा सराहना करता हूं । मुख्य न्यायाधीश लोकतंत्र के कार्यकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि लोकतंत्र में न्याय पालिका की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है । किन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, इसमें दी गई बातों को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

प्रस्तावक अनुच्छेद 124 में दो परन्तुक जोड़ना चाहता है। पहले परन्तुक के अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को आवश्यक रूप से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा। यह किसी भी स्थिति में स्वविवेक की गुंजाइश नहीं छोड़ता।

दूसरे परन्तुक में यह उपबन्ध है कि जिस किसी ने उच्चतम न्यायालय में कम से कम दो वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया होगा उसे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ये वैकल्पिक परन्तुक होते तो मैं उन्हें समझ पाता। यदि वरिष्ठतम न्यायाधीश को हर हालत में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना ही है तो फिर दूसरे परन्तुक की क्या आवश्यकता है।

माना कि उच्चतम न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीशों की जन्म तिथियां एक सी हों और लगभग एक ही वर्ष उन्हें सेवा से निवृत्त होना हो तो उनके स्थान पर जिन नये न्यायाधीशों की नियुक्ति की जायेगी उनमें से किसी को भी दो वर्ष की सेवा शर्त पूरी नहीं हो सकेगी और कोई भी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किये जाने के योग्य नहीं होगा। अतः दूसरे परन्तुक की आवश्यकता नहीं जान पड़ती है। सम्भवतः इसके स्थान पर किसी अन्य परन्तुक की आवश्यकता है। ऐसा मालूम होता है इस परन्तुक का अभिप्राय यह था कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसी की प्रत्यक्ष नियुक्ति न की जाये। यद्यपि न्यायाधीश के पद पर प्रत्यक्ष नियुक्ति तो की गई है किन्तु मुख्य न्यायाधीश के पद पर अब तक नहीं हुई है।

यदि लोकतंत्र को कार्य करना है तो फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता हर कीमत पर बनाए रखनी होगी। जहां तक वर्तमान सरकार का सम्बन्ध है इसको न्यायपालिका की स्वतंत्रता में पूरी आस्था है और इसके लिए यह वचनबद्ध भी है। जब कभी हमें इसका कटु अनुभव होता है तो हम अन्य बातों के समझे बिना उपचारात्मक कार्यवाही करने को सोच लेते हैं। यह बात समझ ली जानी चाहिए कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो दीर्घावधि के लिए होता है और यह उचित नहीं होगा कि केवल मात्र एक आध उदाहरण को मान लिया जाये और भविष्य में उत्पन्न होने वाली विभिन्न अन्य संभावनाओं पर ध्यान दिये बिना उसके लिए उपचारात्मक कार्यवाही करने लग जायें।

एक मामले का उल्लेख किया गया है। संविधान के निर्माण के शीघ्र पश्चात् मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया था। उस समय जो वरिष्ठतम न्यायाधीश था, वह शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं था जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के कठिन कार्यों को समुचित ढंग से कर पाता और फिर भी उसने त्यागपत्र नहीं दिया। यदि इस प्रकार का अनिवार्य वाला उपबन्ध होगा कि हर समय केवल वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा तो फिर क्या स्थिति होगी? यदि एक या दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों का ऐसा ही स्वास्थ्य रहा तो फिर कैसी स्थिति उत्पन्न होगी? क्या बिलकुल अयोग्य व्यक्तियों को भारत का मुख्य न्यायाधीश किया जायेगा?

मुझे ऐसे अवसर याद हैं जब उच्च न्यायालय में सेवा निवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश की जन्म तिथि 17 मई थी और वरिष्ठ न्यायाधीश की जन्मतिथि 18 मई थी। ऐसे अवसर विरले ही होते हैं। क्या मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए संविधान में गणितीय सूत्र की व्यवस्था की जायेगी? क्या हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था होगी जब समूचे देश की सम्मति के अनुसार कोई विशिष्ट व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए अवांछित होने पर भी उसे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जायेगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वरीयता के सिद्धान्त को लागू नहीं किया गया है।

[श्री शान्तिभूषण]

किन्तु जहां तक मुख्य न्यायाधीश का सम्बन्ध है मैं इस बात से सहमत हूं कि सामान्यतया ऐसा व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जो योग्य अथवा मेधावी हो । अतः 1973 तक सिवाय पूरे स्वास्थ्य के आधार पर वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है क्योंकि आम तौर से प्रशासनिक कार्य को छोड़ अन्य सभी कार्य मुख्य न्यायाधीश के वही हैं जो अन्य न्यायाधीशों के हैं । प्रशासनिक कार्यों के आधार पर विधि आयोग ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में केवल वरीयता से काम नहीं चलेगा । अतः कोई परम्परा कायम की जानी चाहिए । यह विषय काफी कठिन है । एक ओर तो कहा गया है कि राजनीति और भाई-भतीजा वाद नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ रचनात्मक दृष्टि से निर्णय किया जाना चाहिए । कुछ संरक्षण होने चाहिए । जहां तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का सम्बन्ध है मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना जरूरी है ।

जैसा कि मैंने कहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है और यहां तक कि राज्यपाल तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी ली जाती है । यह एक औपचारिकता ही नहीं है । इसमें जो सलाह ली जाती है उसका अर्थ यह है कि यदि किसी प्राधिकारी का मतभेद है तो इसका उपयुक्त आधार होना चाहिए तथा वह रचनात्मक होना चाहिए । अतः सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है वह इस शक्ति का दुरुपयोग कर सके तथा नियुक्ति राजनीतिक आधार पर कर सके ।

जहां तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ली जानी है और इसमें जैसा कि सरकार अर्थात् राष्ट्रपति ठीक समझे किया जाना चाहिए । किन्तु इस बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह अनिवार्य रूप से ली जानी है । दूसरे सदन में पिछले दिन श्री देसाई को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की बड़ी सराहना की गईहै । कहा गया है कि श्री देसाई एक मेधावी व्यक्ति हैं और उनकी नियुक्ति उचित ही की गई है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस सदन में भी सर्वश्री मावलंकर और सोमनाथ चटर्जी ने इस बात की सराहना की है ।

अच्छे व्यक्तियों की नियुक्ति में काफी विचार किया जाना होता है । यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही विचार विमर्श नहीं कर सकते किन्तु अन्य न्यायाधीशों से भी विचार विमर्श कर सकते हैं । पहले किसी अन्य न्यायाधीश से सलाह नहीं ली गई । केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश से ही सलाह ली गई थी । पहली बार अन्य न्यायाधीशों से विचार-विमर्श करने की प्रथा लागू की गई है और मुख्य न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीशों की सर्वसम्मत सिफारिश की गई है और इस आधार पर नियुक्ति की गई है । इससे अधिक संरक्षण क्या हो सकता है । इन दोनों ही नियुक्तियों में सराहना हुई है ।

उच्चतम न्यायालय, बार संकल्प और केन्द्र के विधि अधिकारियों अर्थात् महान्यायवादी, महाधिवक्ता एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है । उस दिन जब से दो न्यायाधीशों को 10-30 बजे शपथ दी जानी थी उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के कुछ सदस्य 10 बजे एकत्र हुए और उन्होंने एक संकल्प पास किया । ज्योंही बार के कुछ सदस्य वहां 10.15 बजे अथवा 10.20 बजे आने आरम्भ हुए तो उन्हें संकल्प की एक एक प्रति दे दी गई । ऐसे संकल्प का क्या मूल्य है ? महान्यायवादी, महाधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता जैसे विधि अधिकारी जैसे ही

वहां पहुचे उन्हें उस संकल्प का एक-एक प्रति दी गई । वे क्या करते वे तो एसोसियेशन के सदस्य ही हैं । वे सभी बड़ी कठिनाई में पड़ गये । विधि अधिकारियों के मतानुसार नियुक्तियों में कोई त्रुटि नहीं है । उनका आशय विरोध करने का नहीं था । उनके मन में किसी प्रकार का असंतोष नहीं था । दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति में कुछ भी अनुचित नहीं था । इस सम्बन्ध में तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं । इस परिस्थिति में बाद में बार एसोसिएशन के बहुत से सदस्यों ने इस संकल्प को रद्द करने के लिए कहा किन्तु दो घंटे तक बैठक चलने के बाद कोई निर्णय नहीं किया गया । इस प्रकार की परिस्थितियां रही हैं ।

श्री पी० के० देव ने अपने तर्क में कहा है कि वरीयता निश्चित रहती है तथा गुण-दोषों के आधार पर हमेशा अनिश्चितता ही रहती है । किन्तु हमारे देश में योग्यता एवं गुण-दोषों के आधार की परम्परा रही है ।

जी० टी० एक्सप्रेस रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य
STATEMENT *RE.* REPORTED ACCIDENT TO GT EXPRESS

श्री रवीन्द्र वर्मा : हमने रेलवे मंत्रालय से पूछताछ की है और हमें यह जानकारी मिली है कि जी० टी० एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से कल शाम को चली थी, नारखेड़ में दुर्घटनाग्रस्त हुई । यह स्थान नागपुर से लगभग 90 कि० मी० दूर है और नागपुर डिवीजन के अम्बाला-नागपुर सेक्शन में है । 7 बोगियां पटरी से उतरी हैं । छः आदमियों को छोटी चोटें आई हैं । कोई मृत्यु नहीं हुई है ।

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 124 का संशोधन) (श्री पी० के० देव द्वारा)—जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, (AMENDMENT OF ARTICLE 124) BY SHRI P. K. DEO—*Contd.*

श्री शान्ति भूषण (जारी) : श्री सोमनाथ चटर्जी ने न्याय प्रशासन के बारे में कहा है । यह बहुत ही संगत बात है । हम मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं । लोकतांत्रिक देश में न्याय प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है । कहा गया है कि न्याय प्रशासन लोकतंत्र की नीव है । जब जनता का न्याय के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार समाप्त हो जाता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है और अभी-अभी हमने यह देखा है । किन्तु क्या अधिकार के सिद्धान्त रुप में दिये जाने से ही अधिकार मिल जाता है, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे उचित समय में उचित खर्च पर न्याय मिले ।

श्री समर गुहा (कन्टाई) : इस विधेयक के लिए 2 घंटे निर्धारित किये गये हैं और 2 घंटे से अधिक समय व्यतीत हो गया है । मुझे विधेयक पेश करने के लिए कम से कम पांच मिनट चाहिए ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : उसके बाद मुझे अपना विधेयक पेश करने के लिए पांच मिनट चाहिए ।

श्री शान्ति भूषण : मैं कुछ ही मिनटों में अपना भाषण समाप्त करुंगा । कहा गया है न्याय में देर होने से न्याय नहीं मिलता है । हम चाहते हैं कि इस सारी समस्या पर इस दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए कि न्याय की मुख्य बातें बनी रहें और उचित समय के अन्तर्गत न्याय मिले ।

[श्री० शान्ति भूषण]

श्री वनातवाला ने कहा है कि न्यायिक नियुक्तियों में सरकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यह मैं मानता हूं कि सरकार को इन शक्तियों का दुर्पयोग नहीं करना चाहिए। किन्तु सरकार संसद के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी है अतः जनता को यह अधिकार है कि वह सरकार के कार्यचालन का पर्यवेक्षण करे तथा सरकार को शक्तियों का प्रयोग करे। सतर्कता से शक्तियों के दुरुपयोग के ऊपर निगरानी रखी जा सकती है। हमने देखा है कि 1973 में किस प्रकार न्यायाधीशों को वरीयता के अतिलंघन का विरोध किया गया जब वरिष्ठतम न्यायाधीश अस्वस्थ थे। तो वरीयता के अतिलंघन का किसी ने विरोध नहीं किया।

श्री के० लकप्पा : गुजरात में भी यही हुआ।

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य सही नहीं कह रहे हैं। वैसा ही नहीं हुआ है।

श्री समर गुह : विधेयक पर विचार किये जाने का समय बढ़ाया नहीं गया है। यह सभा की स्वीकृति के बिना हो रहा है।

श्री शान्ति भूषण : मैंने पहले ही कहा है कि इस सारे प्रश्न को विधि आयोग को भेजा जाना चाहिए ताकि वह इसका अध्ययन कर कोई उपाय ढूंढ निकाले। सरकार चाहती है कि एसा मार्ग ढुंढ निकाला जाये जिससे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में किसी प्रकार की आलोचना न हो। मुझे प्रसन्नता है कि विधि आयोग इस पर विचार करेगा और जो भी सुधार हों करेगा जिससे इस विधेयक के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

श्री समर गुह : कार्यसूची में यह दिया गया है कि 5-30 बजे आधे घंटे की चर्चा आरम्भ होगी। श्री देव को भी कुछ समय उत्तर देने में लगेगा। मुझे यह आश्वासन मिलना चाहिए कि जब मैं अपने विधेयक पर बोलना आरम्भ करू तो आधे घंटे की चर्चा नहीं की जायेगी। मुझे कुछ मिनट दिये जाने चाहिए अन्यथा यह विधेयक समाप्त हो जायेगा।

सभापति महोदय : एक ही संशोधन है।

एक माननीय सदस्य : कोई संशोधन नहीं है।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वादविवाद में भाग लिया। इससे विषय पर कुछ प्रकाश डाला गया है।

1973 के अनुभव से मुझे यह (संशोधन) विधेयक लाना पड़ा। इससे मैं सारे राष्ट्र का ध्यान इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर आकर्षित करने में सफल हुआ हूं। मैं चाहता था कि कोई सांविधिक मार्गदर्शी सिद्धान्त हो ताकि मामला राष्ट्रपति के विवेक पर न छोड़ा जाये।

प्रत्येक देश की अपनी परम्पराए है। इगलैंड में पहले महान्यायवादी को मुख्य न्यायाधीश का पद दिया जाता है। अतः मैं ऐसा विधान लाना चाहता था जो हमारी मान्य प्रथाओं के अनुकूल हो।

तीसरी लोक सभा में हमने न्यायाधीश इमाम के बारें में, जो कि वरिष्ठतम न्यायाधीश थे, प्रयास किया था। फिर 1973 में हमने कदम उठाने का विचार किया। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए मैं यह विधेयक लाया हूं। मेरा काम सिद्ध हो गया है क्योंकि विधि मंत्री ने कहा है कि वह इस मामले को विधि आयोग को भेज रहे हैं और उस पर विचार करेंगे।

संविधान (संशोधन) विधेयक आसानी से पास नहीं हो सकता है। सरकार संविधान (42 वां) (संशोधन) विधेयक का अभी तक निरसन नहीं कर पायी है क्योंकि संविधान संशोधन के विरुद्ध कई संरक्षण हैं। अतः मैं विधेयक को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री पी० के० देव : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय अवकाश दिन विधेयक (श्री समर गुह द्वारा)
NATIONAL HOLIDAY ON NETAJI SUBHASH CHANDRA BOSE'S BIRTHDAY BILL BY SHRI SAMAR GUHA

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मेरा विधेयक बहुत समय से लम्बित है। मुझे उसे पेश करने की अनुमति दी जाये ताकि फिर यह कार्यसूची में लिया जाये।

श्री पी० के० देव : यह सम्भव नहीं है क्योंकि श्री गुह का विधेयक दो मिनट में निपटाया नहीं जा सकता है।

श्री समर गुह : हमारे देश के लोग और इतिहासकार तथा बाहरी देशों के इतिहासकार भी यह मानते हैं कि नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को हमारे स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा नेता माना जाना चाहिए। उन्होंने इतिहास में युग स्थापित किया है जो स्वर्णिय अक्षरों में लिखा जायेगा।

केवल एक ही दिन सरकारी अवकाश के रूप में मनाया जाता है और वह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस। मैं सदन में यह प्रभाव नहीं डालना चाहता कि मैं नेताजी के जन्मदिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कराना चाहता हूं क्योंकि मैं व्यक्ति पूजा अथवा किसी राजनीतिक विचार धारा को आरम्भ करना नहीं चाहता हूं। मुझे तो ऐतिहासिक दार्शनिक और राजनीतिक तौर पर यह औचित्य स्थापित करना है कि नेताजी के जन्म दिवस को क्यों अवकाश घोषित किया जाये।

पश्चिम बंगाल में नेताजी के जन्म दिन पर सरकारी छुट्टी की गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने ऐसा कर नेताजी का सम्मान न कर उनका अपमान ही किया है क्योंकि उन्होंने नेताजी की महानता की सराहना की है।

नेताजी जन्म से उड़िया थे। इसमें तनिक संदेह नहीं कि वह एक बंगाली थे परन्तु इससे भी अधिक वह एक भारतीय थे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जब वह आजाद हिन्द फौज के सर्वोच्च कमान्डर थे, तो उनका निजी व घरेलू कर्मचारी एक भी बंगाली नहीं था। समूचा भारत ही उनकी मातृभूमि थी। देश के किसी हिस्से का कोई भी व्यक्ति उनका भाई था।

[श्री समर गुह]

मैं इस बात का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं कि बंगाल सरकार ने 23 जनवरी को सरकारी छुट्टी की घोषणा करके बड़ा ही गलत काम किया है। बंगाल सरकार को भारत सरकार पर 23 जनवरी को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने के लिए दबाव डालना चाहिए था।

यह प्रश्न स्वभावतः ही उत्पन्न होता है कि केवल नेताजी सुभाषचन्द्र बोस का जन्म दिन ही राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में क्यों मनाया जाना चाहिए! हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे बहुत से महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने भारी योगदान किया। तो इन सभी व्यक्तियों के जन्म दिन राष्ट्रीय छुट्टियों के रूप में क्यों नहीं मनाये जाने चाहिए? यह बड़ा ही संगत और उपयुक्त प्रश्न है। तो नेताजी के जन्म दिन को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में क्यों मनाया जाना चाहिए। इसके सम्बन्ध में मैं उपयुक्त तर्क दे सकता हूं परन्तु इसको न्यायोचित ठहराने के लिए मुझे काफी समय की आवश्यकता होगी। अतः अगली बार मैं इसके बारे में बताऊंगा।

इन शब्दों के साथ मैं कल तक के लिए अपना भाषण स्थगित करता हूं।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

नौवां प्रतिवेदन

श्री समर गुह : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

श्रम और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई) : सभापति महोदय, जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में मेरा एक निवेदन है।

जैसा कि समिति में तय हुआ है देश के दक्षिण भागों में आए हाल के तूफान और सहायता कार्य पर चर्चा मंगलवार, 6 दिसम्बर, 1977 को अपरान्ह 3 और 7 बजे के बीच होगी। फरक्का बांध पर चर्चा 15 दिसम्बर, 1977 को होगी।

सभापति महोदय : अब मैं आधे घंटे की चर्चा को लेता हूं। श्री युवराज।

श्री के० लक्कप्पा (तुमकुर) : मैं एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव पेश करता हूं...

सभापति महोदय : आप इस समय प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते हैं।

आधे घंटे की चर्चा
Half-an-Hour Discussion

वनों का विकास

Shri Yuvraj (Katihar): Mr. Chairman, Sir, on 14th November, 1977 I had asked a starred Question about the development of forests. The answer given by the Government was very vague and misleading. This is why I am raising the matter again.

In our economy the forests have a very important place. It is, therefore, very necessary to develop the forests. Unfortunately we have not paid adequate attention to it. So we are not getting enough timber today and our economy has been adversely affected. The Estimates Commitee, in its 65th Report has stated that they are greatly concerned that no concrete steps have been taken so far for development of forests.

We have large tracts of waste land in our country which can be used for afforestation. Since this has not been done we are facing great difficulty and our industries are being ruined.

In our country the total area of forests is 746 lakh hectares which is 22.7 percent of the total area of land. We had a plan to undertake afforestation in 33.3 per cent of this area but it could not be done. Though crores of rupees were spent on conservation of forests, no tangible results have been achieved.

It is regrettable that the small farmers, who own forest land in Hazaribagh district of Bihar, are being harassed by the officers of the forest department. Though they have all the records with them, cases have been launched against them and about 5000 cases are pending at present. This has created a lot of discontentment among these people. The Minister should look into it and protect those people.

Instead of undertaking afforestation what had been done in the past is that forests have been destroyed in order to set up new cities. This is something very harmful. Without forests we will have no rains and our industrial development will be retarded.

The economy of the country is mainly based on agriculture and industry and they have a bearing on forests. There is need for the development of forest and so to check their extension. You cannot establish industry unless you develop forestry. Same is the case with the agriculture. In fact all the aspects of our economy even of our defence and railway network are dependent on forest resources. Therefore I would like to emphasise that unless forests are developed our economic conditions will not improve, our industry will not develop, our defence will not be sound. It is hoped that urgent attention will be paid to this problem.

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध बोर्ड का सदस्य रहने के नाते मुझे कृषि और वन समस्याओं की कुछ जानकारी है। खेद है कि वन विकास पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वास्तव में हमने वन समेत अपनी प्राकृतिक सम्पदाओं के उपयोग के सम्बन्ध में सुविचारित, समेकित और समुचित योजना नहीं बनाई है। हम अल्पावधि के लाभ के लिए और कुछ विदेशी मुद्रा कमाने तथा उद्योग चलाने के लिए जंगल काट डालते हैं। वास्तव में हमें दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए और अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों को ध्यान में रखना चाहिए। वनों का सम्पूर्ण भारत में विकास किया जाना चाहिए। इस मद के लिए अधिक धन की व्यवस्था करने के साथ-साथ इसका अच्छी प्रसार, आयोजन और कार्यान्वयन भी जरूरी है।

वन्य प्राणी भी वन सम्पदा के अंग हैं। उनका अन्धाधुन्ध शिकार न किया जाए और उन्हें सुरक्षित रखा जाए। अल्पावधि के लाभों के लिए हमें देश की दीर्घावधि की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 'सोशल फारेस्ट्री' के बारे में गत वर्ष अहमदाबाद में एक विचार गोष्ठि आयोजित की गई थी। उसमें जो निर्णय लिए गये थे उन्हें असल में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई।

श्री गिरधर गोमांगो (कोरापुट) : वन-क्षेत्रों में जनजाति के लोगों की बहुतायत होती है । भारत सरकार ने 1952 में जो वन अधिनियम बनाया था उसके अनुसार जनजाति के लोगों को अधिकार और रियायतें प्रदान की गई थी । पर अब उन्हें केवल रियायतें ही दी जा रही हैं । जो लोग प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए वहाँ जाते हैं वे वास्तव में जनजाति के लोगों का शोषण करते हैं । इस समस्या को ध्यान में रखकर 'वनों पर आधारित जनजाति विकास कार्यक्रम" का अध्ययन करने हेतु एक कार्यदल गठित किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि उसने जो 27 सिफारिशें की थी उनमें से कृषि मंत्रालय ने कितनों पर अमल किया है । क्या राज्य सरकारों को उन्हें अमल में लाने के आदेश दिये गए हैं ? जनजाति के लोगों को उन लोगों के शोषण से बचाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है जो वहां उद्योग स्थापित करते हैं या प्राकृतिक संपदाओं का दोहन करने वहाँ जाते हैं ?

Shri R. L. P. Verma (Kadarma): There is wide corruption in the forest departments. I would like to know whether tribals, harijans and landless people have been given the ownership of land. What action is being taken against the corrupt forest officials who are getting forests cleared by ignoring the afforestation programme?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बर्नाला) : यह सही है कि अब तक वनों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । पिछले कई वर्षों में वनों का विकास करने की बजाय उनका विनाश हुआ है । जब भी किसी परियोजना और नई बस्तियों की आवश्यकता हुई ; तो वनों का क्षेत्र दे दिया गया, क्योंकि उसे देने में अधिक पैसा नहीं लगता । इस काम के लिए प्रतिवर्ष लगभग एक लाख एकड़ वनक्षेत्र दिया जाता रहा है । इसी कारण यहां इतना कम वनक्षेत्र है ।

सामुदायिक वनरोपण की दिशा में कुछ प्रयत्न किए गए हैं । राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह सिफारिश की थी कि सामुदायिक वनरोपण योजनाएँ चालू की जायें और उन्हें पंचवर्षीय योजना में पिछले वर्ष ही लिया गया । 1976-77 में इस पर 2.4 करोड़ रुपये खर्च किया गया और 16,470 हेक्टेयर भूमि पर वनरोपण हुआ । इस प्रकार हम इसमें बड़ा सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । वर्ष 1977-78 में हम इस क्षेत्र को 16,000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 62,000 हेक्टेयर कर रहे हैं जो पिछले वर्ष से चौगुना है ।

आदिवासियों के भूमि के मालिकता अधिकारों की रक्षा करने के लिये कहा गया है । यदि इस अधिकार का सम्बन्ध वन काटने से है तो हम उनकी रक्षा नहीं करेंगे । पर यदि आदिवासी वन उत्पादों से कुछ आय करना चाहते हैं तो उनका स्वागत करेंगे ।

वनरोपण से रोजगार अवसर बढ़ते हैं । हमने देखा है कि वनरोपण मद में व्यय किए गए प्रति एक करोड़ रुपये के पीछे 10,000 लोगों को काम मिलता हैं ।

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 5 दिसम्बर 1977/14 अग्रहायण 1899(शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleventh of the Clock of the 5th December, 1977.

भा०स०मु०ना०—वि० 3—367 एल० एस० एस० 77- 28-3-78- 200